खण्ड-106, अंक-6
शुक्रवार, 31 श्रावण, शक संवत् 1874
(22 अगस्त, 1952 ई0)

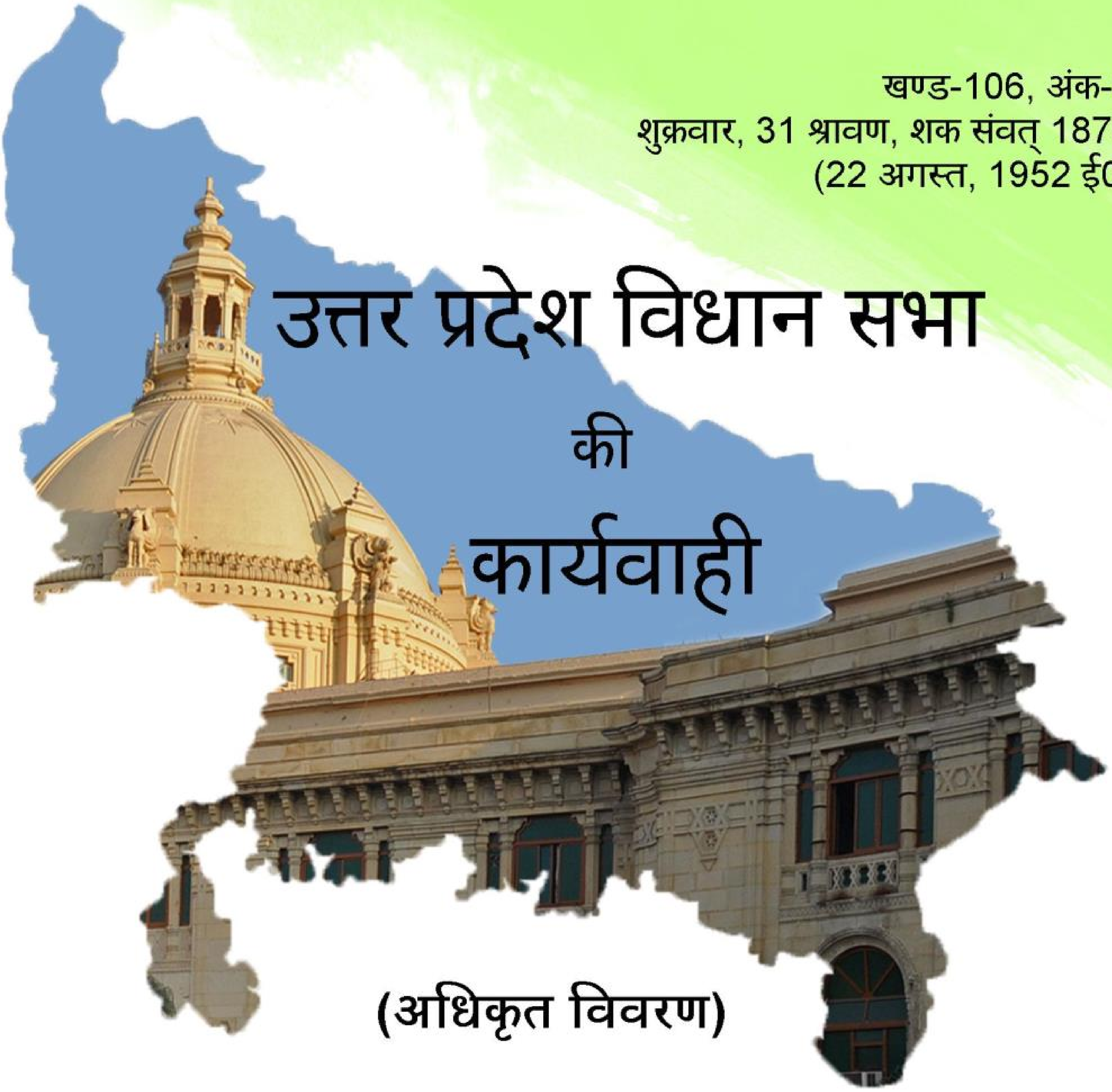

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

खण्ड 106 में 6 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:
निदेशक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, इलाहबाद , उत्तर प्रदेश (भारत)
१९५२

मूल्य : बिना महसूल 25 पैसे, महसूल सहित 31 पैसे |
वार्षिक चन्दा : बिना महसूल 10 रुपये, महसूल सहित 12 रुपये |

उत्तर प्रदेश विधान सभा

शुक्रवार, २२ अगस्त, १९५२

विधान सभा की बैठक सभा-मंडप, लखनऊ, में ११ बजे दिन में अध्यक्ष, श्री आत्माराम गोविन्द खेर, की अध्यक्षता में आरम्भ हुई।

उपस्थित सदस्यों की सूची (३७१)

अंसमान सिंह, श्री
अक्षयवर सिंह, श्री
अज़ीज़ इमाम, श्री
अतहर हुसैन ख्वाजा, श्री
अनन्तस्वरूप सिंह, श्री
अब्दुल मुईज़ ख़ां, श्री
अमरेशचन्द्र पांडेय, श्री
अमृतनाथ मिश्र, श्री
अली ज़हीर, श्री सैयद
अवधशरण वर्मा, श्री
अवधेश चन्द्र सिंह, श्री
अवधेशप्रताप सिंह, श्री
अशरफ़ अली ख़ां, श्री
आर्थर ग्राइस, श्री
आशालता व्यास, श्रीमती
इरतजा हुसैन, श्री
इसरारुल हक़, श्री
इस्तफ़ा हुसैन, श्री
उमाशंकर, श्री
उमाशंकर तिवारी, श्री
उमाशंकर मिश्र, श्री
उम्मेद सिंह, श्री
उल्फ़त सिंह चौहान निर्भय, श्री
ऐज़ाज़ रसूल, श्री
ओंकार सिंह, श्री
कन्हैयालाल वाल्मीकि, श्री
कमलापति त्रिपाठी, श्री
कमला सिंह, श्री
कमाल अहमद रिज़वी, श्री
करण सिंह यादव, श्री
करन सिंह, श्री
कल्याण राय, श्री
कामताप्रसाद विद्यार्थी, श्री
कालिका सिंह, श्री
कालीचरण टंडन, श्री
काशीप्रसाद पाण्डेय, श्री
किन्दरलाल, श्री
किशनस्वरूप भटनागर, श्री
कुंवरकृष्ण वर्मा, श्री
कृपाशंकर, श्री
कृष्णचन्द्र गुप्त, श्री
कृष्णचन्द्र शर्मा, श्री
कृष्णशरण आर्य, श्री
केदारनाथ, श्री
केवल सिंह, श्री
केशभान राय, श्री
केशव पाण्डेय, श्री
केशवराम, श्री
कैलाशप्रकाश, श्री
ख़यालीराम, श्री
ख़ुशीराम, श्री
ख़ूब सिंह, श्री
गंगाधर, श्री
गंगाधर जाटव, श्री
गंगाधर शर्मा, श्री
गंगाप्रसाद, श्री
गंगाप्रसाद सिंह, श्री
गजेन्द्र सिंह, श्री
गज्जूराम, श्री
गणेशचन्द्र काछी, श्री
गणेशप्रसाद जायसवाल, श्री
गणेशप्रसाद पांडेय, श्री
गिरजारमण शुक्ल, श्री
गिरधारीलाल, श्री
गुप्तार सिंह, श्री
गुरुप्रसाद पाण्डेय, श्री

उत्तर प्रदेश विधान सभा

गुरुप्रसाद सिंह, श्री
गुलजार, श्री
गेंदा सिंह, श्री
गोवर्धन तिवारी, श्री
गौरीराम, श्री
घनश्याम दास, श्री
घासीराम जाटव, श्री
चतर्भुज शर्मा, श्री
चन्द्रपाल बाजपेयी, श्री
चन्द्रभानु गुप्त, श्री
चन्द्रभानु शरण सिंह, श्री
चन्द्र सिंह रावत, श्री
चन्द्रहास, श्री
चरण सिंह, श्री
चित्तर सिंह निरंजन, श्री
चिरंजीलाल जाटव, श्री
चिरंजीलाल पालीवाल, श्री
चुन्नीलाल सगर, श्री
छेदालाल, श्री
जगगतनारायण, श्री
जदीशप्रसाद, श्री
जगदीशसरन रस्तोगी, श्री
जगनप्रसाद रावत, श्री
जगन्नाथप्रसाद, श्री
जगन्नाथबख्श दास, श्री
जगन्नाथ मल्ल, श्री
जगन्नाथ सिंह, श्री
जगपति सिंह, श्री
जटाशंकर शुक्ल, श्री
जयपाल सिंह, श्री
जयराम वर्मा, श्री
जयेन्द्र सिंह विष्ट, श्री
जवाहरलाल, श्री
जवाहरलाल रोहतगी, डाक्टर
जोरावर वर्मा, श्री
टीकाराम, श्री
डल्लाराम, श्री
डालचन्द, श्री
ताराचन्द माहेश्वरी, श्री
तुलसीराम, श्री
तुलाराम रावत, श्री
तेजप्रताप सिंह, श्री
तेजबहादुर, श्री
तेजा सिंह, श्री
त्रिलोकीनाथ कौल, श्री
दयालदास भगत, श्री
दर्शनराम, श्री
दलबहादुर सिंह, श्री
दाताराम, श्री
दीनदयालु शर्मा, श्री
दीनदयालु शास्त्री, श्री
दीपनारायण वर्मा, श्री
देवकीनन्दन विभव, श्री
देवदत्त मिश्र, श्री
देवदत्त शर्मा, श्री
देवनन्दन शुक्ल, श्री
देवमूर्ति राम, श्री
देवराम, श्री
देवेन्द्र प्रतापनारायण सिंह, श्री
द्वारका प्रसाद मित्तल, श्री
द्वारका प्रसाद मौर्य, श्री
द्वारिका प्रसाद पाण्डेय, श्री
धर्म सिंह, श्री
धर्मदत्त वैद्य, श्री
नत्थू सिंह, श्री
नन्दकुमार देव वाशिष्ठ, श्री
नरदेव शास्त्री, श्री
नरेन्द्र सिंह विष्ट, श्री
नरोत्तम सिंह, श्री
नवलकिशोर, श्री
नागेश्वर द्विवेदी, श्री
नाजिम अली, श्री
नारायणदत्त तिवारी, श्री
नारायणदास, श्री
नारायणदीन, श्री
निरंजन सिंह, श्री
नेकराम शर्मा, श्री
नेत्रपाल सिंह, श्री
नौरंगलाल, श्री
परमेश्वरी राम, श्री
परिपूर्णानन्द वर्मा, श्री
पहलवानसिंह चौधरी, श्री
पुत्तूलाल, श्री
पुट्टनराम, श्री
पुलिनबिहारी बनर्जी, श्री
प्रकाशवती सूद, श्रीमती
प्रतिपाल सिंह, श्री
प्रभाकर शुक्ल, श्री
प्रभुदयाल, श्री
फ़ज़लुल हक़, श्री
फ़तेह सिंह राणा, श्री
फूल सिंह, श्री

बद्रीनारायण मिश्र, श्री
बलदेव सिंह आर्य, श्री
बलवीर सिंह, श्री
बलभद्रप्रसाद शुक्ल, श्री
बलवन्त सिंह, श्री
बशीर अहमद हकीम, श्री
बसन्तलाल, श्री
बसन्तलाल शर्मा, श्री
बाबूनन्दन, श्री
बाबूलाल कुसुमेश, श्री
बाबूलाल मित्तल, श्री
बालेन्दुशाह, महाराजकुमार
बिशम्भर सिंह, श्री
बेचनराम, श्री
बेचनराम गुप्त, श्री
बेनी सिंह, श्री
बैजनाथप्रसाद सिंह, श्री
बैजूराम, श्री
ब्रह्मदत्त दीक्षित, श्री
भगवतीदीन तिवारी, श्री
भगवती प्रसाद दुबे, श्री
भगवती प्रसाद शुक्ल, श्री (प्रतापगढ़)
भगवती प्रसाद शुक्ल, श्री (बाराबंकी)
भगवानदीन मिश्र, श्री
भगवानदीन वाल्मीकि, श्री
भगवान सहाय, श्री
भीमसेन, श्री
भुवरजी, श्री
भूपाल सिंह खाती, श्री
भृगुनाथ चतुर्वेदी, श्री
भोला सिंह यादव, श्री
मंगलाप्रसाद, श्री
मथुराप्रसाद त्रिपाठी, श्री
मथुरा प्रसाद पांडेय, श्री
मदनगोपाल वैद्य, श्री
मदनमोहन उपाध्याय, श्री
मन्नीलाल गुरुदेव, श्री
महमूदअली खां, श्री (रामपुर)
महमूद अली खां, श्री (सहारनपुर)
महाराज सिंह, श्री
महावीर प्रसाद शुक्ल, श्री
महावीर प्रसाद श्रीवास्तव, श्री
महीलाल, श्री
मान्धाता सिंह, श्री
मिजाजीलाल, श्री
मिहरबान सिंह, श्री
मुज़फ़्फ़रहसन, श्री
मुनीन्द्रपाल सिंह, श्री
मुन्नूलाल, श्री
मुरलीधर कुरील, श्री
मुश्ताक़ अली खां, श्री
मुहम्मद अदील अब्बासी, श्री
मुहम्मद अब्दुल लतीफ़, श्री
मुहम्मद अब्दुस्समद, श्री
मुहम्मद तक़ी हादी, श्री
मुहम्मद नबी, श्री
मुहम्मद नसीर, श्री
मुहम्मद मञ्जूरुल नबी, श्री
मुहम्मद शाहिद फ़ाख़री, श्री
मुहम्मद सुलेमान अधमी, श्री
मोहनलाल, श्री
मोहनलाल गौतम, श्री
मोहन सिंह, श्री
मोहन सिंह शाक्य, श्री
यमुना सिंह, श्री
यशोदादेवी, श्रीमती
रघुनाथप्रसाद, श्री
रघुराज सिंह, श्री
रघुवीर सिंह, श्री
रणञ्जय सिंह, श्री
रतनलाल जैन, श्री
रमानाथ खेरा, श्री
रमेशचन्द्र शर्मा, श्री
रमेश वर्मा, श्री
राघवेन्द्रप्रताप सिंह, राजा
राजकिशोर राव, श्री
राजकुमार शर्मा, श्री
राजदेव उपाध्याय, श्री
राजनारायण, श्री
राजनारायण सिंह, श्री
राजवंशी, श्री
राजाराम किसान, श्री
राजाराम मिश्र, श्री
राजाराम शर्मा, श्री
राधाकृष्ण अग्रवाल, श्री
राधामोहन सिंह, श्री
राम अधार तिवारी, श्री
राम अधीन सिंह यादव, श्री
राम अनन्त पाण्डेय, श्री
राम अवध सिंह, श्री
रामकिंकर, श्री
रामकुमार शास्त्री, श्री

रामचन्द्र विकल, श्री
रामजी लाल सहायक, श्री
रामजी सहाय, श्री
रामदास आर्य, श्री
रामदास रविदास, श्री
रामदुलारे मिश्र, श्री
रामनरेश शुक्ल, श्री
रामनाथ तिवारी, श्री
रामनारायण त्रिपाठी, श्री
रामप्रसाद, श्री
रामप्रसाद देशमुख, श्री
रामप्रसाद नौटियाल, श्री
रामबली मिश्र, श्री
रामभजन, श्री
राममूर्ति, श्री
रामरतनप्रसाद, श्री
रामराज शुक्ल, श्री
रामलखन, श्री
रामलखन मिश्र, श्री
रामलाल, श्री
रमवचन यादव, श्री
रामशंकर द्विवेदी, श्री
रामशंकर रविवासी, श्री
रामसनेही भारतीय, श्री
रामसहाय शर्मा, श्री
रामसुन्दर पांडेय, श्री
रामसुन्दर राम, श्री
रामसुभग वर्मा, श्री
रामसुमेर, श्री
रामस्वरूप, श्री
रामस्वरूप गुप्त, श्री
रामस्वरूप भारतीय, श्री
रामस्वरूप मिश्र विशारद, श्री
रामहरख यादव, श्री
रामहेत सिंह, श्री
रामेश्वरप्रसाद, श्री
लक्ष्मणदत्त भट्ट, श्री
लक्ष्मणराव कदम, श्री
लक्ष्मीदेवी, श्रीमती
लक्ष्मीशंकर यादव, श्री
लताफ़त हुसैन, श्री
लालबहादुर सिंह, श्री
लालबहादुर सिंह कश्यप, श्री
लीलाधर अष्ठाना, श्री
लुत्फ अली खां, श्री
लेखराज सिंह, श्री
वंशीदास धनगर, श्री
वंशीधर मिश्र, श्री
वशिष्ठनारायण शर्मा, श्री
वासुदेव प्रसाद मिश्र, श्री
विजयशंकर प्रसाद, श्री
विद्यावती राठौर, श्रीमती
विश्वनाथ सिंह गौतम, श्री
विष्णुदयाल वर्मा, श्री
विष्णुशरण दुब्लिश, श्री
वीरसेन, श्री
वीरेन्द्रनाथ मिश्र, श्री
वीरेन्द्रपति यादव, श्री
वीरेन्द्रशाह, राजा
व्रजरानी मिश्र, श्रीमती
व्रजवासीलाल, श्री
व्रजबिहारी मिश्र, श्री
व्रजबिहारी मेहरोत्रा , श्री
शंकरलाल, श्री
शम्भूनाथ चतुर्वेदी, श्री
शान्तिप्रपन्न शर्मा, श्री
शिवकुमार पाण्डेय, श्री
शिवकुमार मिश्र, श्री
शिवकुमार शर्मा, श्री
शिवदान सिंह, श्री
शिवनारायण, श्री
शिवपूजन राय, श्री
शिवप्रसाद, श्री
शिवमंगल, श्री
शिवमंगल सिंह कपूर, श्री
शिवराजबली सिंह, श्री
शिवराज सिंह यादव, श्री
शिवराम पाण्डेय, श्री
शिवराम राय, श्री
शिववक्ष सिंह राठौर, श्री
शिववचन राव, श्री
शिवशरण लाल श्रीवास्तव, श्री
शिवस्वरूप सिंह, श्री
शुकदेव प्रसाद, श्री
शुगनचन्द, श्री
श्याममनोहर मिश्र, श्री
श्यामलाल, श्री
श्यामाचरण बाजपेयी शास्त्री, श्री
श्रीचन्द, श्री
श्रीनाथ राम, श्री
श्री निवास, श्री
श्रीपति सहाय, श्री

सच्चिदानन्द नाथ त्रिपाठी, श्री
सत्यनारायण दत्त, श्री
सत्य सिंह राणा, श्री
सत्यानन्द, श्री
सावित्रीदेवी, श्रीमती
सियाराम गंगवार, श्री
सियाराम चौधरी, श्री
सीताराम, डाक्टर
सीताराम शुक्ल, श्री
सुखीराम भारतीय, श्री
सुन्दरलाल, श्री
सुरुजूराम, श्री
सुरेन्द्रदत्त वाजपेयी, श्री
सुरेश प्रकाश सिंह, श्री
सुल्तान आलम खां, श्री
सूर्य्यप्रसाद अवस्थी, श्री
सूर्य्यबली पांडेय, श्री
सेवाराम, श्री
हबीबुर्रहमान अंसारी, श्री
हमीद खां, श्री
हरखयाल सिंह, श्री
हरगोविन्द पन्त, श्री
हरगोविन्द सिंह, श्री
हरदयाल सिंह पिपल, श्री
हरदेव सिंह, श्री
हरिप्रसाद, श्री
हरिश्चन्द्र अष्ठाना, श्री
हरिश्चन्द्र वाजपेयी, श्री
हरिसिंह, श्री

विधान सभा सचिवालय, उत्तर प्रदेश

प्रश्नोत्तर

तारांकित प्रश्न

---

*१–३—श्री रामनारायण त्रिपाठी (जिला फैजाबाद)—[२९ अगस्त, १९५२, के लिए स्थगित किये गए।]

*४—श्री कृष्ण शरण आर्य—(जिला रामपुर)—[२९ अगस्त, १९५२, के लिए स्थगित किया गया।]

*५–६—श्री राजनारायण (जिला बनारस)—[२९ अगस्त, १९५२, के लिए स्थगित किये गये।]

*७–९—श्री भगवती प्रसाद शुक्ल (जिला बाराबंकी)—[२९ अगस्त, १९५२, के लिए स्थगित किये गये।]

*१०–१२—श्री महीलाल (जिला मुरादाबाद)—[२८ जुलाई, १९५२, को संख्या ४९–५१ के अन्तर्गत इन प्रश्नों के उत्तर दिये गये।]

रीजनल हरिजन सहायक आफिसर्स तथा जिला हरिजन वेलफेयर सुपरवाइजर्स के कार्यालयों तथा निवासस्थानों का प्रबन्ध

*१३—श्री पुत्तूलाल (जिला आगरा)—क्या यह सच है कि प्रान्तीय रीजनल हरिजन सहायक आफ़िसर्स तथा जिला हरिजन वेलफ़ेयर सुपरवाइजर्स के रहने तथा उनके दफ्तरों का कोई उचित प्रबन्ध नहीं है? यदि हां, तो उचित प्रबन्ध सरकार कब तक करेगी?

शिक्षा मंत्री के सभासचिव (डाक्टर सीताराम)—जी हां, रहने योग्य मकान न मिलने की समस्या हर एक जगह है। जिसके कारण इन सब पदाधिकारियों के रहने तथा उनके दफ्तरों के लिये कोई सन्तोषजनक प्रबन्ध नहीं किया जा सका है। परन्तु जिलाधीशों को सरकारी आदेश दिये गये हैं कि जल्द से इन कर्मचारियों के लिये मकानों का प्रबन्ध क ।

श्री पुत्तूलाल—क्या माननीय शिक्षा मंत्री यह बतलाने का कष्ट करेंगे कि इन आफिसर्स को ५–६ महीने से रहने का स्थान न मिलने से परेशानी है?

शिक्षा मंत्री (श्री हरगोविन्द सिंह)—हां, अवश्य परेशान होंगे।

श्री पुत्तूलाल—क्या सरकार को ज्ञात है कि रीजनल हरिजन सहायक आफिसर आगरा ने अप्रैल, १९५२, से कई एक प्रार्थना-पत्र मकान के अलाटमेंट के लिये दिये लेकिन उन मकानों को दूसरे लोगों के लिये अलाट कर दिया गया?

श्री हर गोविन्द सिंह—ऐसी कोई सूचना सरकार को नहीं है।

श्री राम प्रसाद देशमुख (जिला अलीगढ)—क्या सरकार यह बताने का कष्ट करेगी कि हर जगह के वेलफेयर सुपरवाइजर और शिक्षा का क्या-क्या कार्य करते हैं और वे अपनी ड्यूटी को ठीक अंजाम देते हैं?

श्री हरगोविन्द सिंह—इस प्रश्न का कोई सम्बन्ध जो प्रश्न इस समय है, उससे नहीं मालूम होता।

श्री पुत्तू लाल—क्या सरकार यह बतलाने का कष्ट करेगी कि इन रीजनल हरिजन सहायक आफिसर्स के दफ्तर रीजन के किस हिस्से में रखे गये हैं?

डाक्टर सीताराम—पहला बरेली, दूसरा मेरठ, तीसरा लखनऊ, चौथा बनारस, पांचवां इलाहाबाद।

श्री हरदयाल सिंह पिपल (जिला अलीगढ़)—क्या माननीय मंत्री जी यह बतलाने की कृपा करेंगे कि जिला हरिजन वेलफेयर सुपरवाइजर्स अपने अपने क्षेत्रों में साल में कितना दौरा करते हैं?

श्री हरगोविन्द सिंह—ये हर जिले में हर महीने में २० दिन दौरा करते हैं।

श्री रामकुमार शास्त्री (जिला बस्ती)—क्या सरकार मेहरबानी करके बतलायेगी कि यह घर पाने की दिक्कत कितने महीने में दूर होगी?

श्री हरगोविन्द सिंह—इसका कोई संतोषजनक उत्तर नहीं दिया जा सकता।

श्री धर्म सिंह (जिला बुलन्दशहर)—क्या सरकार बतलाने की कृपा करेगी कि जिलों में वेलफेयर सुपरवाइजर्स को अन्य सरकारी कर्मचारियों की तरह टी० ए० तथा डी० ए० नहीं दिया जाता?

श्री हरगोविन्द सिंह—टी० ए० दिया जाता है, लेकिन उनके लिये मुस्तकिल रकम होती है।

श्री पुत्तूलाल—क्या माननीय शिक्षा मंत्री बतलाने का कष्ट करेंगे कि रीजनल हरिजन सहायक आफिसर्स को अपने रहने के स्थान पर दफ्तर बनाने के लिये कुछ रुपया दिया जाता है?

डाक्टर सीताराम—उनको २५ रुपया महीना दिया जाता है। अगर २५ रुपये से ज्यादा की रक़म हो जाय तो वह अपने पास से दे करके रह भी सकते हैं।

*१४—**श्री यमुना सिंह** (जिला गाजीपुर)—[२९ अगस्त, १९५२, के लिए स्थगित किया गया।]

*१५—**श्री शिवपूजन राय** (जिला गाजीपुर)—[२९ अगस्त, १९५२, के लिए स्थगित किया गया।]

*१६-१७—**श्री शम्भूनाथ चतुर्वेदी** (जिला आगरा)—[२९ अगस्त, १९५२, के लिए स्थगित किये गये।]

*१८-२०—**श्री श्रीपति सहाय** (जिला हमीरपुर)—[४ सितम्बर, १९५२, के लिये संख्या ४४—४६ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किये गये।]

लखनेश्वर डीह, जिला बलिया में पुरातन ऐतिहासिक मूर्ति का पाया जाना

*२१—**श्री गंगाप्रसाद सिंह** (जिला बलिया)—क्या सरकार को विदित है कि बलिया जिले के अन्तर्गत थाना रसड़ा, ग्राम लखनेश्वर डीह में दो वर्ष पूर्व एक पुरातन ऐतिहासिक भव्य मूर्ति पाई गई? यदि हां, तो दूर दूर से आने वाले दर्शनार्थी यात्रियों के ठहरने के हेतु सरकार कृपया प्रबन्ध करेगी?

डाक्टर सीताराम--जी नहीं। सरकार को ऐसी कोई सूचना नहीं मिली।प्रश्न का दूसरा भाग उत्पन्न नहीं होता।

श्री गंगाप्रसाद सिंह--क्या यह सच है कि माननीय मुख्य मंत्री उस स्थान पर गये थे और उन्होंने यह इच्छा प्रकट की थी कि वह मूर्ति किसी म्यूजियम में रखी जाय पर वहां की जनता के अनुग्रह से वह वहीं छोड़ दी गयी ?

श्री हरगोविन्द सिंह--ऐसी कोई सूचना सरकार के दफ्तर में नहीं है, संभव है कि ऐसा हुआ हो।

श्री शिवकुमार शर्मा (जिला बिजनौर)---क्या सरकार कृपा करके यह बतलायेगी कि यह मूर्ति किस की है ?

श्री हरगोविन्द सिंह--यह तो जवाब दे ही दिया कि सरकार के यहां ऐसी कोई इत्तिला नहीं है। इसलिये सरकार यह बताने में असमर्थ है कि यह मूर्ति किसकी है।

श्री गंगाप्रसाद सिंह--क्या यह सच है कि सरकार ने इस मूर्ति की जांच के लिये एक पुरातत्व शास्त्री को नियुक्त किया था जिसने अपनी रिपोर्ट दी थी ?

श्री हर गोविन्द सिंह---इसका भी उत्तर दे दिया गया है।

आगरा ज़िला नियोजन अधिकारी के पास हरिजनोत्थान के लिये धन

*२२--श्री पुत्तू लाल---क्या यह बात सच है कि ज़िला प्लानिंग आफ़िसर्स को प्रत्येक वर्ष कोई धनराशि हरिजन उत्थान के लिए सौंपी जाती है ? यदि हां, तो गत वर्ष जिला प्लानिंग आफ़िसर, आगरा, को कितना रुपया इस कार्य के लिए सौंपा गया और कितना रुपया उसमें से खर्च किया गया तथा बचे हुए रुपये का क्या हुआ ?

डाक्टर सीताराम--जी हां, गत वर्ष जिला प्लानिंग आफीसर, आगरा, को १,००० रुपया इस कार्य के लिये दिया गया था जिसमें से २५० रुपया खर्च हुआ, बाकी रुपया अभी जिला प्लानिंग कमेटी के पर्सनल लेजर अकाउन्ट में जमा है।

श्री पुत्तूलाल--क्या सरकार यह बतलाने का कष्ट करेगी कि यह२५० रुपये की रक़म किस प्रकार खर्च की गयी ?

डाक्टर सीताराम--दो मीटिंगों के बुलाने में यह रकम खर्च हुई ।

श्री पुत्तूलाल---क्या सरकार यह बतलाने का कष्ट करेगी कि यह दो मीटिंगें कहां हुईं ?

डाक्टर सीताराम---इसकी सूचना नहीं है।

श्री पुत्तूलाल--क्या सरकार यह बतलाने का कष्ट करेगी कि वह रुपया हरिजन उत्थान के सम्बन्ध में देहातों में प्रोपेगेंडा वर्क (प्रचार-कार्य) के लिये दिया जाता है ?

डाक्टर सीताराम--जी हां, प्रोपेगेंडा वर्क में जैसे कि मीटिंग करना, ऐसे कम्पेटीशन, ड्राइंग, यह सब काम हैं जिनके लिये उनको दिया जाता है।

श्री रामदास (जिला फैजाबाद)---क्या सरकार यह बतलाने की कृपा करेगी कि जिला हरिजन सहायक असोसियेशन की राय से इस रकम को हरिजन उत्थान के कार्यों में खर्च किया जाता है ?

डाक्टर सीताराम--जी हां, उनके परामर्श से खर्च किया जाता है।

श्री पुत्तूलाल--क्या सरकार यह बतलाने का कष्ट करेगी कि यह साढ़े सात सौ की रकम क्यों बचायी गयी ?

डाक्टर सीताराम--यह रकम खर्च नहीं हो पायी, इसलिये बचा दी गई।

श्री हरदयाल सिंह पिपल--क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि जिला प्लानिंग अफसर, आगरा, के पास हरिजनों की तरफ से सन् १९५१-५२ में कितने प्रार्थना-पत्र सहायता के लिये आये ?

श्री हरगोविन्द सिंह--इसके लिये सूचना चाहिये।

नियोजन योजना के अन्तर्गत हरिजनों के लिये कुयें

*२३--श्री पुत्तू लाल--क्या यह सच है कि जिला प्लानिंग आफ़िसर्स को सरकार ने अधिकार दे रक्खा है कि जहां आवश्यकता हो, निर्धन दलित जनता के हित के लिये सार्वजनिक कुएं बनवाये जायं ? यदि हां, तो अब तक इस विभाग द्वारा कितने कुएं हरिजनों के हित के लिए बनवाये गये और प्रत्येक जिलें में उनकी संख्या क्या है ?

डाक्टर सीताराम--जी हां, गत वर्ष बनवाये गये कुओं की जिलेवार संख्या के बारे में सूचना इस समय उपलब्ध नहीं है पर एकत्रित की जा रही है।

श्री देवदत्त मिश्र (जिला उन्नाव)--क्या यह सच नहीं है कि कई जिलों में सार्वजनिक हित के लिये कुवों का निर्माण कार्य बन्द कर दिया गया है, जैसे उन्नाव में ?

डाक्टर सीताराम--जी नहीं।

*२४-२५--श्री बलवन्त सिंह (जिला मुजफ्फर नगर)--[२९ अगस्त, १९५२, के लिये स्थगित किये गये।]

अस्पृश्यता निवारक कानून को भंग करने के मामले

*२६--श्री धर्म सिंह--क्या शिक्षा मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि अस्पृश्यता निवारक कानून के अनुसार कितने केस उत्तर प्रदेश में जिलाधीशों के सम्मुख आये और उनमें जिला बुलन्दशहर के कितने केस हैं ?

डाक्टर सीताराम--उत्तर प्रदेश में लखनऊ, बलिया, शाहजहांपुर तथा इटावा के जिलों को छोड़कर जहां से अभी तक कोई सूचना नहीं आई है, कुल ८८ केस अदालत में आये; इनमें से बुलन्दशहर के कुल ४ केस हैं।

श्री धर्म सिंह--क्या माननीय मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि जिन जिलों से सूचना नहीं आयी उसके आने में कितना समय लगेगा?

श्री हरगोविन्द सिंह--यह नहीं बताया जा सकता।

श्री धर्म सिंह--क्या सरकार महसूस करती है कि चार जिलों को छोड़ कर जो ८८ भिन्न भिन्न जिलों से केसेज आये हैं उनमें अस्पृश्यता निवारक कानून का ठीक तरह से प्रयोग नहीं हो रहा है ?

डाक्टर सीताराम---कानून का तो उपयोग किया जाता है लेकिन ऐसे केसेज आये हैं जिन पर गवर्नमेंट कार्रवाई कर रही है और इसी के लिये रिपोर्ट आयी है।

श्री धर्म सिंह---क्या सरकार अस्पृश्यता निवारक क़ानून को कागनिजेबिल बनाने पर विचार कर रही है?

श्री हरगोविन्द सिंह---इस समय तो सरकार के विचाराधीन यह प्रश्न नहीं है।

श्री रामदास---क्या सरकार इस किस्म के केसेज में हरिजनों को सरकारी वकील की सहायता देना पसन्द करेगी?

श्री हरगोविन्द सिंह---किन मुक़द्दमात में सरकारी वकीलों की सहायता लोगों को प्राप्त होती है इसका एक कानून है। अगर उसके अन्दर यह आता होगा तो सहायता प्राप्त होगी वरना नहीं।

*२७---**श्री धर्म सिंह**---अस्पृश्यता निवारक क़ानून के अनुसार कितने लोगों को दंड दिया गया?

डाक्टर सीताराम---२५ व्यक्तियों को।

श्री मदनमोहन उपाध्याय (जिला अल्मोड़ा)---क्या सरकार यह जरूरी नहीं समझती है कि अस्पृश्यता निवारक कानून के अन्दर जिन लोगों को सजा हो उसका काफ़ी प्रचार किया जाय ताकि दूसरे लोग ऐसा जुर्म न करें?

श्री हरगोविन्द सिंह---सजा का काफ़ी प्रचार अपने आप ही हो जाता है।

*२८--२९---**श्री चिरंजीलाल पालीवाल** (जिला फर्रुखाबाद)---[२९ अगस्त, १९५२, के लिये स्थगित किये गये।]

*३०--३१---**श्री रामसुभग वर्मा** (जिला देवरिया)---[२९ अगस्त, १९५२ के लिये स्थगित किये गये।]

*३२--३३---**श्री बाबूनन्दन** (जिला जौनपुर)---[२९ अगस्त, १९५२, के लिये स्थगित किये गये।]

*३४--३५---**श्री धनुषधारी पांडेय** (जिला बस्ती)---[२९ अगस्त, १९५२, के लिये स्थगित किये गये।]

*३६---**श्री नारायण दत्त तिवारी** (जिला नैनीताल)---[२९ अगस्त, १९५२, के लिये स्थगित किये गये।]

*३७--३८---**श्री कालीचरण टंडन** (जिला फर्रुखाबाद) (अनुपस्थित)---
(देखिये आगे पृष्ठ ४०० पर।)

हिन्दी पढ़ाने वाले संस्कृत अध्यापकों का वेतन

*३९---**श्री शिवकुमार शर्मा**---क्या सरकार यह बतलाने की कृपा करेगी कि हिन्दी के पद पर एस० एस० ई० एस० अर्थात् २०० रुपये से ४५० रुपये मासिक वेतन के ग्रेड में अध्यापकों के प्रोमोशन के संबंध में उसकी नीति उन संस्कृत अध्यापकों के प्रति क्या है जो कि हिन्दी और संस्कृत दोनों विषयों में एम० ए० हैं?

डाक्टर सीताराम---हिन्दी के एस० एस० ई० एस० वेतन क्रम के पदों पर संस्कृत अध्यापक पदोन्नत नहीं किये जाते।

श्री शिवकुमार शर्मा---क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि एजुकेशनल सबार्डिनेट सर्विस में संस्कृत के अध्यापकों को प्रोमोशन क्यों नहीं दिया जाता है ?

श्री हरगोविन्द सिंह---संस्कृत के अध्यापकों को तो प्रोमोशन दिया जाता है।

श्री शिवकुमार शर्मा---शिक्षा मंत्री के उत्तर में बिल्कुल स्पष्ट है कि संस्कृत और हिन्दी के अध्यापकों को प्रोमोशन नहीं दिया जाता है।

श्री हरगोविन्द सिंह---जो प्रश्न पूछा गया था उसका तो मतलब जहां तक मेरी समझ में आया वह यह था कि संस्कृत के अध्यापक अगर वे हिन्दी में एम० ए० पास कर लें तो उनको वह ग्रेड दिया जायगा कि नहीं। उसका उत्तर दिया गया कि नहीं ?

अध्यक्ष---उन्होंने पूछा है कि क्यों नहीं दिया जा सकता है।

श्री हरगोविन्द सिंह---इसलिये कि वह संस्कृत के अध्यापक होते हैं, हिन्दी के नहीं।

श्री मदनमोहन उपाध्याय---क्या सरकार यह बतलाने की कृपा करेगी कि यह एस० एस० ई० एस० क्या बला है ?

अध्यक्ष---यह शब्द "बला" मैं समझता हूं कि इस विधान सभा के लिये उपयुक्त नहीं है।

श्री मदनमोहन उपाध्याय---मैं वापिस लेता हूं। यह एस० एस० ई० एस० से क्या मतलब हुआ, समझाने की कृपा करेंगे ?

श्री हरगोविन्द सिंह---इसके माने यह होते हैं कि "स्पेशल सबोर्डिनेट ऐजूकेशन सर्विस"।

श्री शिव नारायण (जिला बस्ती)---क्या सरकार यह बतलाने की कृपा करेगी कि जो अध्यापक साहित्य रत्न पास हैं वह एम० ए० पास अध्यापक के समान समझे जायेंगे और उनकी वेतन वृद्धि में कोई रुकावट नहीं होगी ?

श्री हरगोविन्द सिंह---जी नहीं।

*४०---**श्री शिवकुमार शर्मा**---क्या सरकार यह बतलायेगी कि क्या अन्य विषयों के अध्यापकों को भी हिन्दी के पद पर प्रमोट किया गया है ?

डाक्टर सीताराम---जी नहीं।

*४१---**श्री शिवकुमार शर्मा**---यदि किया गया है, तो चिरकाल से हिन्दी पढ़ाने वाले संस्कृत अध्यापकों की ऐसे प्रोमोशन (उन्नति) के समय क्यों उपेक्षा की गयी है ?

डाक्टर सीताराम---प्रश्न नहीं उठता।

श्री शिवकुमार शर्मा---क्या सरकार यह बतलाने की कृपा करेगी कि किसी फारसी पास एम० ए० अध्यापक को प्रोमोशन दिये गये हैं ?

श्री हरगोविन्द सिंह---हां, एक केस ऐसा है श्री बृज भूषण जी का।

श्री शिवकुमार शर्मा—क्या सरकार यह बतलाने की कृपा करेगी कि फारसी एम० ए० पास अध्यापक को क्यों प्रमोशन दिया गया है जब कि संस्कृत वाले को नहीं दिया जाता है ?

श्री हरगोविन्द सिंह—मुझसे गलती हो गई, फारसी पास एम० ए० को किसी को प्रोमोशन नहीं दिया गया है।

गवर्नमेंट हाई स्कूलों तथा नार्मल स्कूलों के अध्यापकों तथा डिप्टी इन्सपैक्टरों व सब-डिप्टी इन्सपैक्टरों के स्थानान्तरण

*३७—**श्री काली चरण टंडन** (अनुपस्थित)—क्या शिक्षा मंत्री कृपया बतायेंगे कि गवर्नमेंट हाई स्कूलों तथा नार्मल स्कूलों के अध्यापकों तथा सहायक अध्यापकों, डिप्टी इन्स्पैक्टर तथा सब-डिप्टी इन्स्पैक्टर आफ़ स्कूलों की किसी एक स्थान में रहने की अवधि तथा उनके स्थानान्तर किसी नियम द्वारा नियंत्रित रहते हैं ? यदि हां, तो क्या शिक्षा मंत्री तत्संबंधी नियमों की एक प्रति मेज पर रखने की कृपा करेंगे ? यदि नहीं, तो इन पदाधिकारियों का स्थानान्तर किस सिद्धांत से किया जाता है ?

डाक्टर सीताराम—जी हां, गजटेड पदाधिकारियों के लिये यह आदेश हैं कि वे ५ वर्ष से अधिक एक स्थान पर न रहने दिये जायं। आदेश अर्धसरकारी पत्र द्वारा जारी किये गये थे अतः उसकी प्रतिलिपि देना उचित नहीं है। नान गजटेड पदाधिकारियों पर यह आदेश लागू नहीं होता। इनका स्थानान्तरण प्रशासकीय कारणों से होता है।

*३८—**श्री कालीचरण टंडन** (अनुपस्थित)—क्या यह सच है कि अब कुछ डिस्ट्रिक्ट इन्स्पैक्टर की नियुक्ति सीधे होती है ? यदि हां, तो कितने प्रति सैकड़ा ? क्या सिविल सर्विस की तरह प्रतियोगिता परीक्षा द्वारा इनकी नियुक्ति होती है ?

डाक्टर सीताराम—जी हां, ६० प्रति सैकड़ा। जी नहीं।

श्री सुल्तान आलम खां—क्या सरकार मेहरबानी करके बतलायेगी कि अब डिप्टी इन्सपैक्टर्स का डायरेक्ट अपाइन्टमेंट नहीं होता है तो कब से यह शुरू किया गया है ?

डाक्टर सीताराम—सन् ४८ से शुरू किया गया है।

श्री सुल्तान आलम खां—क्या सरकार मेहरबानी करके बतलायेगी कि डायरेक्ट एपाइन्टमेंट कम्पटीटिव एक्जामिनेशन से होता है या वैसे ही होता है ?

डाक्टर सीताराम—जी नहीं।

श्री सुल्तान आलम खां—क्या सरकार मेहरबानी करके बतलायेगी कि जिस तरह प्राविंशियल सरविसेज में अपाइन्टमेंट होते हैं उस तरह से क्यों नहीं किया जाता है ?

श्री हरगोविन्द सिंह—इसलिये कि जो क्वालीफिकेशन्स नियत कर दी जाती है उसके काफी लोग मिलते हैं।

नोट—प्रश्न संख्या ३७–३८ श्री सुल्तान आलम खां ने पूछे।

श्री सुल्तान आलम खां—क्या यह सच है कि जो लोग हेडमास्टरी से डिस्ट्रिक्ट इंस्पेक्टर हो कर आते हैं उनको काफी तजुर्बा होता है और जो नये डायरेक्ट एप्वाइन्टमेंट (सीधी नियुक्ति) से आते हैं उनको उतना तजुर्बा नहीं होता ?

श्री हरगोविन्द सिंह—इसीलिये तो दोनों को इसमें रक्खा गया है, डायरेक्ट एप्वाइंटमेंट से और प्रोमोशन से भी।

श्री सुल्तान आलम खां—क्या सरकार मेहरबानी करके बतलायेगी कि डायरेक्ट एप्वाइन्टमेंट और प्रोमोशन के जरिये से जो जगहें बढ़ाई जायेंगी उनमें कितना कितना हिस्सा किस किस के लिये मुकर्रर किया गया है ?

श्री हरगोविन्द सिंह—पहले ही बतला चुका हूं कि ६० प्रतिशत और ४० प्रतिशत।

उत्तर प्रदेश भूमि व्यवस्था (अनुपूरक) विधेयक, १९५२

माल मंत्री (श्री चरण सिंह)—अध्यक्ष महोदय, मैं उत्तर प्रदेश भूमि व्यवस्था (अनुपूरक) विधेयक, १९५२, पुरःस्थापित करता हूं।

(देखिये नत्थी 'क' आगे पृष्ठ ४५५ पर)

संकल्पों पर विवादार्थ समय-विभाजन तथा भाषणों का समय-निर्धारण

राजा वीरेन्द्रशाह (जिला जालौन)—आज के एजेंडे पर ४ प्रस्ताव हैं। मेरा प्रस्ताव यह है कि अगर आप आज्ञा दें कि उनमें वक्त बराबर बांट दिया जाय। मूवर (प्रस्तावक) के लिये २० मिनट और बाकी सबके लिये १५, १५ मिनट रख दिया जाय जैसा कि आपके नियमों में है।

अध्यक्ष—समय के बारे में जैसा कि नियमों में है मूवर को २५ मिनट और बाकी सबको १५ मिनट मिलते हैं।

राजा वीरेन्द्रशाह—जैसा नियम है उसके मुताबिक कर दीजिये और चारों में बराबर बराबर समय बांट दीजिये।

अध्यक्ष—क्या इस प्रस्ताव के संबंध में किसी को आपत्ति है ?

श्री रामनारायण त्रिपाठी (जिला फैजाबाद)—दूसरा प्रस्ताव बहुत महत्त्वपूर्ण है। इसलिये इसमें समय अधिक दिया जाय और बाकी में बराबर बराबर बांट दिया जाय।

अध्यक्ष—जो जिसका प्रस्ताव है वह अपने प्रस्ताव को महत्त्वपूर्ण समझेगा। या तो यह सिद्धांत माना जाय कि सबमें बराबर बराबर समय बांट दिया जाय या फिर साढ़े चार घंटे का जो समय रह गया है उसमें सबको १, १ घंटा दे दिया जाय और दूसरे प्रस्ताव के लिये बाकी जितना समय बचे वह सब दे दिया जाय। कोई सवा या डेढ़ घंटा उसको बचेगा।

(कुछ समय पश्चात् किसी के आपत्ति न करने पर)

तो फिर यही निश्चित रहा कि १, १ घंटा सबके लिये और बाकी का समय नम्बर दो के लिये रखा गया।

हरिजनो और पिछड़ी जातियों के आर्थिक व सामाजिक उत्थान आदि के सम्बंध में संकल्प

श्री सुल्तान आलम खां (जिला फर्रुखाबाद)—माननीय स्पीकर साहब, इस एजेंडे में आज के लिये जो रिजोल्यूशन्स छपे हुये हैं उनमें तकरीबन सबके लिये यह कहा गया है कि

[श्री सुल्तान आलम खां]

यह सदन सरकार से सिफारिश करता है कि हमारे जो नये रूल्स हैं इस सिलसिले में उसकी तरफ मैं आपकी तवज्जह दिलाना चाहता हूं।

यह ७७ रूल जो है उसकी रू से हमारा यह हाउस खुदमुख्तार है किसी भी अपने काम को करने के लिये। इसी तरह से कांस्टीट्यूशन जो है उसके अन्दर भी २४६ सेक्शन के आर्टिकिल में यह दिया हुआ है कि हमारी यह असेम्बली सावरेन बाडी है। इसलिए मैं यह अर्ज करता हूं कि इसके अन्दर जो लफ्ज आये हैं कि "यह सदन सरकार से सिफारिश करता है अब" यह सही नहीं है। इसकी जगह पर अब तो यही होना चाहिये कि "इस सदन की राय में"। इसलिये मेरी यह दरख्वास्त है कि इस रेजोलूशन में यह तरमीम कर दी जाय।

अध्यक्ष---श्री रामेश्वर प्रसाद जी, यह नियम आपने सुन लिया होगा। यह ऐसा ही है जैसा कि माननीय सदस्य ने अभी सदन के सामने रखा है। इस प्रस्ताव के अन्दर से "सिफारिश" शब्द निकल जायगा। उस वाक्य में अब इस तरह से हो जायगा कि "अतः इस सदन की यह निश्चित राय है कि सरकार" और "अतः यह सदन निश्चय करता है और सरकार से सिफ़ारिश करता है कि वह" इतना पूरा निकल जायगा। इस कारण अब आप इसको इसी तरह से पढ़ें।

श्री रामेश्वर प्रसाद (जिला रायबरेली)---माननीय अध्यक्ष महोदय, आपकी आज्ञा से मैं यह प्रस्ताव करता हूं कि "उत्तर प्रदेशीय विधान सभा के इस सदन की राय में हरिजनों तथा पिछड़ी जातियों का आर्थिक, सामाजिक, शारीरिक तथा बौद्धिक विकास नितान्त आवश्यक है। अतः इस सदन की यह निश्चित राय है कि सरकार शीघ्रातिशीघ्र हरिजनों और पिछड़ी जातियों के आर्थिक व सामाजिक उत्थान आदि के निमित्त साधन तथा उपाय सोचने के लिये एक समिति की नियुक्ति करे जो अपनी रिपोर्ट ६ मास के भीतर ही इस सदन के सम्मुख रखे।'

माननीय अध्यक्ष महोदय, इस प्रस्ताव को करते हुये मेरा अपना यह विचार है कि जब से मैं इस सदन के भीतर आया हूं मैंने यह अनुभव किया है और इस प्रस्ताव को कोई नई रीति से लाने की मैंने कोशिश नहीं की है। मुझे विश्वास है कि यह सदन इस प्रस्ताव को अपने बहुमत से मानेगा वर्ना सर्वसम्मति से मानेगा, क्योंकि अब तक मैंने इस सदन के अन्दर बैठे हुये माननीय सदस्यों की विचारधारा का अध्ययन किया है उससे मुझे प्रतीत होता है कि इस सदन का प्रत्येक सदस्य इसमें अपना गौरव समझता है और अपना बड़प्पन समझता है कि वह दलितों के लिये, दबे हुये भाईयों के लिये और गरीबों के लिये जो कुछ कर सकता हो करे और उनको उठाने के लिये, और उनको भी समाज के ऊंचे स्तर पर लाने के लिये हर कोशिश करे। अब तक जो भाई भी यहाँ बोले हैं उनकी विचारधारा यही रही है कि उनको ऊंचा उठाया जाय और इसलिये मुझे पूरा विश्वास है। फिर भी मैं अपने इस प्रस्ताव को लाने की मन्शा पर कुछ कहना चाहता हूं।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आप से निवेदन करूंगा कि यह हमारा पुराना संकल्प है कि हमने हमेशा जब जब भी हमारे कांग्रेस अधिवेशन हुये हैं और जब जब भी हमने सामाजिक गुत्थियों को सुलझाने की कोशिश की है और राष्ट्रनिर्माण की बात की है तब तक हमने इस प्रश्न को बहुत विचार से सोचा है और इस पर गौर किया है। मुझे मालूम है कि इस सदन का प्रत्येक सदस्य अपने सामने राष्ट्रनिर्माण का एक बहुत ऊंचा सिद्धांत रखता है और वह सिद्धांत महान् आत्मा बापू का सिद्धांत है। मैंने देखा है कि इस बात को मानते हुये सदन का प्रत्येक सदस्य बापू के सिद्धांत की दोहाई देता है और उसको फ़ुलफ़िल करने के लिये प्रयत्नशील है। इसलिये मैं एक बार फिर अपने माननीय सदस्यों का.....

अध्यक्ष—मैं इतना कहना चाहता हूं कि चूंकि इसके लिये केवल एक घंटे का समय निश्चित हो चुका है और यद्यपि आप को अधिकार है कि प्रस्तावक की हैसियत से आप २५ मिनट बोलें और २५ मिनट माननीय मंत्री जी बोलें इसलिये आप अपने २५ मिनट में....

श्री रामेश्वर प्रसाद—जिस समय आप कहेंगे मैं बैठ जाऊंगा।

अध्यक्ष—आप २५ मिनट में से जितना समय कम कर सकते हों उतना स्वयं ही कम कर दें।

श्री रामेश्वर प्रसाद—मैं उस सिद्धान्त को यहाँ पर लाना आवश्यक समझता हूं और पूज्य बापू ने कहा है कि—

"Ramrajya can be religiously translated as Kingdom of God on earth: politically translated, it is perfect democracy in which inequalities based on possession and non-possesion, colour, race or creed vanish, in it, land and State belong to the people, justice is prompt, perfect and cheap and therefore there is freedom of worship, speech and the press—all these because of the reign of the self—imposed law of moral restraint." He said further, "My conception of Swaraj is not one of political independence. I want to see Dharmaraj (Kingdom of Heaven on earth), the reign of truth and non-violence in every walk of life. To remain a slave is beneath the dignity of man." He also said, " For me patriotism is the same as humanity. Imperialism has no place in my scheme of life. Isolated independence is not the goal of States. It is voluntary inter-dependence I believe in Adwaita. I believe in the essential unity of man, for that matter of all that lives. I believe that if one man gains spiritually, the whole world gains with him: and if one man falls, the whole world falls to that extent." He said again, "I shall work for an India in which the poorest shall feel that it is their country in whose making they have an effective voice, an India in which there shall be no high class and low class people, an India in which all communities shall live in perfect harmony. There can be no room in such an India for the curse of untouchability or the curse of intoxicating drinks or drugs."

["धार्मिक दृष्टकोण से रामराज्य का अनुवाद संसार में परमेश्वर का राज्य हो सकता है, राजनीतिक दृष्टिकोण से इसका अनुवाद किया जा सकता है पूर्ण जनतंत्र जिसमें क़ब्जा और गैर कब्जा वर्ग जाति या धर्म के ऊपर आधारित असमानतायें दूर हो जाती हैं। इसमें भूमि और राज्य जनता का है, न्याय में त्वरितता रहती है उसमें पूर्णता तथा सस्तापन रहता है, और इस कारण पूजा, भाषण तथा प्रकाशन में स्वतंत्रता रहती है, ये सब बातें इस कारण होती हैं कि उसमें नैतिक नियंत्रण की आत्मारोपित विधि का राज्य रहता है"। उन्होंने यह भी कहा "मेरी स्वराज्य की भावना राजनीतिक स्वतंत्रता नहीं है। मैं धर्मराज (भू-स्वर्ग), जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में सत्य एवं अहिंसा का "राज्य देखना चाहता हूं। दास रहना मानव मर्यादा के नीचे है।" उन्होंने यह भी कहा किमेरे लिये देशभक्ति और मानवता समान हैं। मेरी जीवन योजना में साम्राज्यवाद के लिये स्थान नहीं है। एकाकीकृत स्वतंत्रता राज्यों का लक्ष्य नहीं है। यह स्वेच्छापूर्वक पारस्परिक निर्भरता है। मैं अद्वैत में विश्वास करता हूं। मैं मानव की और साथ ही साथ समस्त प्राणियों की सारात्मक एकता में विश्वास करता हूं। मैं इस पर विश्वास करता हूं कि यदि एक व्यक्ति आध्यात्मिक उन्नति करता है तो समस्त संसार उसके साथ उन्नति करता है और यदि एक व्यक्ति अवनति करता है तो समस्त संसार उस सीमा तक अवनति करता है। उन्होंने यह भी कहा– "मैं उस भारत के लिये कार्य करूंगा जिसमें एक निर्धनतम व्यक्ति अनुभव करेगा कि यह उसका देश है, जिसके निर्माण में उसका सप्रभाव हस्त होगा, एक ऐसे भारत के लिये जिसमें उच्च और नीचजाति के व्यक्ति न होंगे, एक ऐसे भारत के लिये जिसमें समस्त जातियां पूर्ण समवाय के साथ रहेंगी। ऐसे भारत में अस्पृश्यता के अभिशाप के लिये या मादक पेयों एवं पदार्थों के अभिशाप के लिये कोई स्थान न होगा]

[श्री रामेश्वर प्रसाद]

इस तरह से यह जो फारमूला है मैं देखता हूं कि प्रत्येक माननीय सदस्य इसको स्टिक कर के चलता है। तो शायद यह स्पष्ट करने की जरूरत न होगी कि जो मैं रेजोल्यूशन लाया हूं वह उसी भावना से लाया हूं। मेरा मतलब यह नहीं है कि जो कुछ भी सरकार ने किया है वह असंतोषजनक है। लेकिन इस रेजोल्यूशन को मान लेने से और कमेटी बनाने से यह सदन हरिजन कार्य के लिये एक और प्रगतिशील कदम उठायेगा।

इसके साथ ही साथ मैं आपसे मैं यह भी बताऊं कि श्री पट्टाभिसीतारमैया ने जयपुर अधिवेशन में हरिजनों के लिये यह रेजोल्यूशन स्वीकार करवाया था।

"Within the range of Hindu society by itself we have the Harijans constituting quite a fifth of the population. Theirs is an age-long problem and we owe it to ourselves to keep it ever fresh in our minds remembering alike its essential nature and its never-fading urgency."

[हिन्दू समाज के भीतर ही हमारे यहां हरिजन हैं जो आबादी के ठीक पंचमांश हैं। उनकी एक दीर्घकालिक समस्या है और यह हमारे ऊपर एक दायित्व है कि हम इसे अपने मस्तिष्क में सदैव ताजा बनाये रखें इसकी नैसर्गिक प्रकृति और निर्हसमयी त्वरितता को समान रूप से याद रखते हुये।]

आगे भी है। लेकिन मैं समय की कमी के कारण आगे पढ़ना नहीं चाहता।

इसीके साथ साथ गांधी जी ने अपने कांस्ट्रक्टिव प्रोग्राम में हरिजन कार्यक्रम को दूसरा स्थान दिया था। इस प्रकार उन्होंने हरिजन कार्य को कितना महत्व दिया है! उन्होंने रिमूवल आफ अनटचेबिलिटी के सिलसिले में लिखा है--

"At this time of the day it is unnecessary to dilate upon the necessity of the removal of this blot and curse upon Hinduism. Congressmen have certainly done much in this matter. But I am sorry to have to say that many Congressmen have looked upon this item as a mere political necessity and not something indispensable."

[आज इस समय हिन्दू धर्म के ऊपर जो यह अभिशाप तथा कलंक है उस को दूर करने की आवश्यकता में बिलम्ब करना अनावश्यक है। कांग्रेसजनों ने अवश्य इस विषय में पर्याप्त कार्य किया है। किन्तु मुझे यह कहते हुये खेद है कि बहुत से कांग्रेसजनों ने इस विषय को केवल राजनीतिक आवश्यकता समझा है और अपरिहार्य विषय नहीं समझा है।]

उन्होंने इसको कर्स (अभिशाप) बताया है हिन्दू धर्म के लिये।

इसके आगे भी उन्होंने कहा है--

"I know from experience how difficult the task is."

[मैं अनुभव से जानता हूं कि यह कार्य कितना कठिन है।]

उन्होंने इस काम को बहुत ही गम्भीर बताया है, बड़ा मुश्किल बताया है।

"But it is part of the task of building this edifice of Swaraj."

[किन्तु यह निर्माण कार्य का भाग है स्वराज्य के इस भवन का]

लेकिन उन्होंने इसीके साथ यह भी कहा कि काम तो मुश्किल है लेकिन स्वराज्य का बहुत बड़ा हिस्सा पूरा हो जाता है। तो ऐसी परिस्थिति में मुझे मंत्री महोदय से कोई असंतोष नहीं है, अगर वह यह समझें कि मैंने ऐसा प्रस्ताव ला कर असंतोष प्रगट किया है। मेरा यह असंतोष नहीं है। मैंने अपने बजट भाषण में सरकार की ओर से जो कुछ हरिजनों के लिये

किया गया है उस पर अपना संतोष जाहिर किया था। उसकी तारीफ की थी कि किसी भी प्रान्त में ऐसा इंतजाम नहीं किया गया है जैसा कि इस प्रांत में हरिजनों के लिये एक अलग अनुदान देकर किया गया है। लेकिन साथ ही साथ मैं यह भी कहना चाहता हूं कि मुझे उससे संतोष नहीं है। जिस प्रकार हमने हरिजनों के लिये अलग अनुदान देकर और प्रांतों के लिये एक मिसाल पेश की है वैसे ही मैं चाहता हूं कि हम इस प्राबलम पर इस प्रकार से सोच कर कोई ऐसी स्कीम रखें जिसका दूसरे सूबे अनुसरण करें। हम उनका अनुसरण न करें।

हो सकता है कि हमारे मंत्री महोदय यह कहें, और मुझे विश्वास है कि वह कहेंगे कि हमारे यहां यू० पी० हरिजन बोर्ड बना हुआ है जोकि हरिजनों के लिये सामूहिक चीजें सोचता है, तो कमेटी बनाने की क्या जरूरत है। लेकिन मैं उनसे नम्र निवेदन करना चाहता हूं कि वह तो है ही लेकिन आप भी जानते हैं, और जानते नहीं तो फील तो करते ही हैं, क्योंकि दो तीन प्राब्लम्स में मैं भी आपके सामने रहा हूं, और मैंने देखा है कि आप किस तरह से फील करते हैं कि असलियत क्या है, वह कितना काम करता है। जिसको कोई अन्दाज नहीं कि हम कहां जायेंगे, जिसके पास कोई नकशा नहीं, और इस तरह से टाइम लिमिट है, विधान के अनुसार केवल दस वर्ष हैं। प्रांत के हरिजनों और पिछड़ी हुई जातियों की आबादी ढ़ाई करोड़ के लगभग होगी, उनको समाज के स्तर पर बराबर लाने की, दस साल में, हमारी जिम्मेदारी है। तो इस प्रकार अगर हम कोई कांस्ट्रक्टिव प्रोग्राम, कोई ऐसी लाइन बना कर नहीं चलेंगे तो हरिजन बोर्ड के बना देने से इस तरह से बिखरित रूप में, किसी जिले में कुछ थोड़ा, किसी जिले में कुछ थोड़ा कार्य करने से दस वर्ष में उद्देश्य की पूर्ति नहीं हो सकेगी। हम तो समझते हैं कि उससे बहुत मुश्किल होगा। मैं जानता हूं कि माननीय मंत्री जी मुझे यह जवाब देंगे कि सेंटर ने जो कमीशन हरिजनों की स्थिति की जांच करने के लिये मुकर्रर किया है कि उन्होंने कितनी तरक्की की है तथा क्या करने की जरूरत है, उसकी रिपोर्ट मिल जाने पर उसी लाइन पर काम किया जायगा। लेकिन मैं आपको बतलाऊं कि वह जो रिपोर्ट होगी वह आल इंडिया बेसिस पर होगी, फिर उसका इफेक्ट (प्रभाव) हमारे प्रान्त के हरिजनों पर क्या होगा? मैं समझता हूं कि उस रिपोर्ट से हम अपने को सेटिसफाई (संतुष्ट) नहीं कर सकेंगे। तो ऐसी परिस्थिति में जो मैंने इस प्रस्ताव को रखा है उसमें हरिजनों के लिये चार चीजें बतलायी गयी हैं। उसमें हरिजनों के लिये चतुर्मुखी प्रोग्राम चाक आउट करने की बात कही गयी है। अगर उस बिना पर संगठन हो जाय, प्रोग्राम बन जाय और सामूहिक सलाह से हम काम करें और उसके लिये प्लान बनावें तो हरिजनों का स्तर ऊंचा हो सकता है।

सबसे पहली चीज यह है कि हमें हरिजनों की इकनामिक कंडीशन (आर्थिक स्थिति) को दुरुस्त करना है। हरिजनों के पास कोई जमीन नहीं है, उनके पास कोई उद्योग नहीं है जिससे वे अपनी आर्थिक स्थिति डेवेलप कर सकें। इसलिये मेरा सुझाव यह है कि इस सदन की जो कमेटी बने उसमें जो भाई भी जायं वे कम से कम इस लाइन पर अवश्य विचार करें क्योंकि इससे हरिजन समाज की इकनामिक कंडीशन (आर्थिक स्थिति) अच्छी हो जायगी, उससे उसकी शिक्षा बढ़ेगी तथा स्टैंडर्ड बढ़ाने में भी सहायता मिलेगी। मेरा सुझाव यह है कि जैसे काटेज इंडस्ट्रीज है और उद्योग धंधे हैं, उनके पास लेबर बहुत है जो बेकार है, उनको आप काम में लगा सकते हैं। जैसे एक रुपये का एक बांस मिलता है आप एक बांस एक आदमी को दे दें और उससे जो वे टोकरी तैयार करें उसको लखनऊ में लाकर एक रुपये की जगह पर ५ रुपये में बेंचे तो उससे हरिजनों का कल्याण हो सकता है।

इसी तरह से एग्रीकल्चर का भी मामला है। बहुत सी जमीनें बेकार पड़ी हुई हैं जो बंजर हैं। मैं यह नहीं कहता हूं कि उनके लिये रिजरवेशन कर दिया जाय लेकिन मैं सदन से यह जरूर प्रार्थना करूंगा कि उसके ऊपर सिमपैथिटिकली (सहानुभूतिपूर्वक) विचार किया जाय और गवर्नमेंट अपने कलक्टर्स को इस बात की इजाजत दे कि जब ऐसी जमीनों का बन्दोबस्त हो, चाहे कोआपरेटिव बेसिस पर या इनडिवीजुअली तो उसमें प्रथम स्थान हरिजनों को दिया जाय क्योंकि उनके पास लेबर बहुत ज्यादा है। अगर उनको जमीनें मिल जायेंगी

[श्री रामेश्वर प्रसाद]

तो वे अपनी जमीन में जाकर काम करेंगे, अपनी जीविका मजे से चला सकेंगे और अपनी उन्नति कर सकेंगे। आज तो हालत यह है कि हरिजन दूसरे के खेतों में जाकर कमाते हैं और उसकी कमाई दूसरे खाते हैं।

इसके साथ साथ मैं फूड मंत्री जी से जो इस वक्त यहां पर नहीं हैं यह ध्यान दिलाना चाहूंगा कि इस तरह की शर्त व्यापार के लाइसेंस के लिये जो लगायी गयी है कि जिसने सन् ४० में काम किया हो उसी को लाइसेंस मिल सकता है, ऐसी दशा में हरिजनों को कैसे मौका मिल सकता है। सन् ४० में तो यह विधान भी नहीं था। हरिजनों के लिये इस तरह से कनसेशन दिये जायं और उनको सब तरह के लाइसेंस मोटर विहिकिल्स के लिये और दूसरे तरह के लाइसेंसों में उनको स्थान दिया जाय। इस तरह से भी उनकी इकोनोमिक कंडीशन अच्छी हो सकती है।

इसके साथ साथ मेरा यह भी सुझाव है कि जैसे डेरी फार्म्स में होता है कि किसानों को भैंसें और गायें दे दी जाती हैं वैसे ही कोआपरेटिव बेसिस पर एक भैंस और एक गाय एक फेमिली को मिल जाय, तो वह गवर्नमेंट का रूपया भी रिपे कर देंगे और उनकी इकोनोमिक कंडीशन भी सुधर सकती है।

इसके साथ साथ एक बात यह है कि हरिजनों में ज्यादातर खेतिहर मजदूर हैं, लेकिन उनकी मजदूरी नियत न होने के कारण उनका पेट नहीं भर पाता है। कहीं दो आना, कहीं आठ आना, कहीं एक रुपया मिलता है। तो मजदूरी का सरकार द्वारा नियंत्रण होना चाहिये और सरकारी तौर पर स्केल मुकर्रर हो जाना चाहिये, जिससे हरिजन समझ सकें कि हम जो पायेंगे और हम जो काम करते हैं उसमें हमारी गुजर बसर हो सकती है। यह मेरा उस कमेटी के सामने भी सुझाव होगा।

इसके साथ ही साथ सर्विसेज का जो मामला है, उसमें मुझे विशेष तौर से कह देना है और मैं समझता हूं इसी के लिये यह कमेटी का फार्मेशन मैं सबसे जरूरी समझता हूं। इसलिये यह जो १० परसेंट का रिजर्वेशन है उसके लिये कुछ समय बीत गया, कुछ बाकी है। हम माननीय मंत्री जी के पास भी जाते हैं कि हमारे आदमी नहीं लिये गये। पब्लिक सरविस कमीशन भी रिजर्वेशन के हिसाब से नहीं लेता। अगर माननीय मंत्री जी नकशा मांगें तो उनको मालूम हो जायगा कि यह जो उनका सिद्धांत है वह अप्लिकेबिल (लागू होने योग्य) नहीं होता है। तो इसके लिये मैं चाहता हूं कि जब कमेटी बन जायगी तो यह भी सुझाव रखा जाय कि गवर्नमेंट नकशा मंगाले कि क्या क्या और कहां कहां रिजर्वेशन किया जाय। तो इससे बहुत कुछ हमारी भलाई हो सकती है इसके साथ साथ सोशल डिसएबिलिटीज (सामाजिक असमर्थताओं) के लिये जो ऐक्ट है, हम चारपाई से उठा दिये जाते हैं। अगर हम इस्तगासा करने जाते हैं तो हाई कोर्ट उसका फैसला करेगी तो यह बड़ी मुश्किल बात है। इसलिये मेरा सुझाव है कि इस तरह के केसेज को पुलिस केस माना जाय और सरकार इसके लिये तैयार हो।

शारीरिक उत्थान के लिये यह है कि मेरा खयाल है कि इस सदन के सभी माननीय सदस्य इलेक्शन के सिलसिले में गली कूचे में गये हैं। उन्होंने देखा होगा कि हरिजनों की जो बस्तियां हैं वे कितनी कनजेस्टेड (संकीर्ण) हैं। एक एक घर में सुअरों की तरह २०-२० और २५-२५ आदमी रहते हैं, ऐसा नारकीय जीवन वे व्यतीत करते हैं। इस तरफ भी उनका ध्यान जाना चाहिये। उसपर भी वह कमेटी विचार करे और गवर्नमेंट के सामने अपना सुझाव दे।

उसके बाद शिक्षा के बारे में यह कहना है कि उसके लिये भी जो गवर्नमेंट कर रही है वह तो है लेकिन उसमें भी बहुत सी वेग चीजें हैं। कोई ऐसा नकशा नहीं कि १० साल में हम इस स्टेज पर हरिजन को लाकर खड़ा कर देंगे कि वह सामाजिक स्तर पर आ जायगा और उसको हेल्प की जरूरत नहीं रहेगी। हो सकता है कि १०-२० हजार को पढ़ाकर छोड़ दें और शिक्षित करके छोड़ दें। फाइनेनशियल पोजीशन उनकी कुछ है नहीं। बी० ए०, एम० ए०

कर लेंगे तो कोई नौकरी नहीं मिलेगी और बेकार फिरेंगे। तो इसके लिये भी कि उनकी शिक्षा कैसी हो, किस स्पीड से हो, स्कालरशिप किस तरह से हों, किस तरह से फिक्स हों।

यह मेरे इस प्रस्ताव के बारे में सुझाव है और मुझे आशा है कि माननीय मंत्री जी मेरा अपोजीशन कतई नहीं करेंगे क्योंकि उनकी सिम्पेथी हरिजनों के साथ है और मुझे गर्व है कि इस हाउस के प्रत्येक सदस्य की सिम्पेथी हरिजनों के साथ है। मुझे आशा है कि मेरा यह प्रस्ताव मंजूर होगा।

श्री वीरेन्द्रपति यादव (जिला मैनपुरी)—अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि उक्त संकल्प की चतुर्थ पंक्ति में शब्द "वह" के आगे. .

अध्यक्ष—'वह' की जगह अब "सरकार" हो गया है।

श्री वीरेन्द्रपति यादव—और शब्द "शीघ्रातिशीघ्र" के पूर्व निम्नलिखित वाक्य जोड़ दिया जाय।

"भारतीय संविधान की मंशा व कांग्रेस सरकार की घोषित नीति के अनुसार"।

अध्यक्ष—मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आप इसमें से "कांग्रेस" शब्द निकाल दें क्योंकि सरकार सब की सरकार है।

श्री वीरेन्द्रपति यादव—स्वीकार है।

अध्यक्ष—"प्रदेशीय सरकार" आप वहां चाहते हों तो कर दिया जाय ?

श्री वीरेन्द्र पति यादव—जी हां।

"भारतीय संविधान की मंशा व प्रदेशीय सरकार की घोषित नीति के अनुसार"।

अध्यक्ष महोदय, जो आज भवन के समक्ष लाया गया है वह कोई नयी चीज नहीं है। जब से कांग्रेस ने यह संकल्प किया कि स्वतंत्रता की लड़ाई को लड़ा जावे तभी से हम देखते हैं कि कांग्रेस ने यह प्रतिज्ञा की कि उसको पिछड़ी हुई जातियों और हरिजन भाइयों को आगे बढ़ाना है, उनकी सामाजिक व आर्थिक उन्नति करनी है। मैं अध्यक्ष महोदय के द्वारा इस सदन के सदस्यों का ध्यान २६ जनवरी की ओर ले जाना चाहता हूं कि १५ अगस्त, सन् १९४७, के पहले प्रत्येक २६ जनवरी को यह प्रतिज्ञा की जाती थी कि हमें हरिजन भाइयों की और पिछड़े हुये भाइयों की उन्नति करनी है। मैं यह नहीं कहता कि सरकार ने हरिजनों के लिये कुछ नहीं किया। सरकार ने वास्तव में हरिजनों के लिये बहुत कुछ किया है और कर रही है लेकिन दुर्भाग्यवश कांग्रेस की प्रतिज्ञा पिछड़ी हुई जातियों के संबंध में कार्यरूप में परिणत नहीं हुई।

इसके बाद मैं अध्यक्ष महोदय के द्वारा अपने माननीय सदस्यों का ध्यान १५ अगस्त की तरफ दिलाना चाहता हूं। जब १५ अगस्त, सन् १९४७ को स्वतंत्रता प्राप्त हुई तो केन्द्रीय सरकार के प्रधान मंत्री और हमारे प्रान्तीय सरकार के प्रधान मंत्री द्वारा एक संदेश दिया गया था जिसमें यह कहा गया था कि हमें खेतिहर भाइयों को, जिनमें हमारे पिछड़े भाई और हरिजन सम्मिलित हैं, उठाना है। इसके अतिरिक्त कांस्टिटुएंट असेम्बली का जब प्रथम अधिवेशन हो रहा था तो उसमें हमारे प्रधान मंत्री माननीय पंडित जवाहर लाल नेहरू द्वारा जो उद्देश्यों का प्रस्ताव किया गया था उस संबंध में जो उन्होंने शब्द कहे थे वे अब भी मौजूद हैं। उस प्रस्ताव में स्पष्टरूप से कहा गया था कि हमें पिछड़े भाइयों का खयाल करना है, और हमें पिछड़े भाइयों की सामाजिक और आर्थिक उन्नति करनी है। उसके बाद में देखता हूं कि जब हमारा भारतीय संविधान पास हुआ तो उसमें भी कुछ ऐसी धारायें रखी गयीं। हमें भारतीय संविधान की हर तरह से रेसपेक्ट करनी है। सब से पहले मैं आर्टिकिल ४६ की तरफ, अध्यक्ष महोदय, अपने माननीय सदस्यों का ध्यान दिलाना चाहता हूं। उसमें कहा गया है—

[श्री वीरेन्द्रपति यादव]

"The State shall promote with special care the educational and economic interests of weaker sections of the people and, in particular, of the Scheduled Cartes.."

[राज्य जनता के दुर्लभतर विभागों के, विशेषतया अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के शिक्षा तथा अर्थ संबंधी हितों की विशेष सावधानी से उन्नति करेगा .....]

यहां पर वीकर सेक्शन्स की जो मंशा है वह पिछड़ी जातियों से है। इसके अतिरिक्त जो ३४० धारा हमारे संविधान की है उसकी तरफ भी मैं माननीय सदस्यों का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं। उसके संबंध में मुझे अधिक नहीं कहना है क्योंकि वह केन्द्रीय सरकार की चीज है और केन्द्रीय सरकार एक बैकवर्ड क्लासेज कमीशन की नियुक्ति करने वाली है बल्कि उसकी क़रीब क़रीब नियुक्ति हो चुकी है। अब सचमुच ये प्रतिज्ञायें हमारी कांग्रेस नीति का हिस्सा हैं और हम देखते हैं कि हमारी कांग्रेस सरकार सचमुच एक वर्गहीन समाज की स्थापना करना चाहती थी और अब भी कर रही है और आज इस प्रस्ताव को लाते हुये बड़ा खेद होता है लेकिम मजबूरी है और आना चाहिये। सचमुच हम स्वप्न तो इस बात का देख रहे थे कि जब हमारा भारतवर्ष स्वतंत्र हो जायगा तो वहां न पिछड़ा वर्ग होगा, न हरिजन वर्ग होगा और न उच्च वर्ग होगा। तो अगर सचमुच समाज में समानता लानी है, जातीयता को ठुकराना है और उसे ठुकराना चाहिये, तो जब तक हमारे प्रान्त में सैकड़ों जातियां हैं जो टुकड़े टुकड़े में बंटी हुई हैं तब तक मैं समझता हूं कि हम सफल नहीं हो सकते हैं। मैं तो वह दिन देखना चहता हूं जब हमारे प्रान्त में और देश में न कोई जाति होगी, न वर्ग होगा, न हिन्दू होगा, न मुसलमान होगा बल्कि केवल एक भारतीय होगा।

हमारी सरकार ने पिछड़े वर्ग के लिये कुछ किया है लेकिन हमें खेद के साथ कहना पड़ता है कि हालांकि कोशिश की जा रही है और आशा भी हम लोग करते हैं, लेकिन जो तीव्रता पिछड़ी हुई जातियों को ऊपर उठाने के लिये होनी चाहिये थी वह नहीं हुई। मैं उदाहरण के रूप में आपके सामने कह देना चाहता हूं कि हमारी प्रान्तीय सरकार द्वारा जिलाधीशों को यह आदेश दिया जाता है कि हरिजन और पिछड़ी जातियों के भाइयों को नौकरियों में तरजीह दी जाय, लेकिन जब हम जिलों में पहुंचते हैं और जिलाधीश से या इंस्पेक्टर आफ स्कूल्स से पूछते हैं कि क्या सरकार की तरफ से कोई ऐसा आदेश आया है जिसमें पिछड़ी हुई जाति के लोगों को नौकरियों में कुछ तरजीह देने की बात कही गयी हो तो जवाब मिलता है कि उनके पास ऐसा कोई सरकुलर नहीं आया है। जब ऐसी दशा है और ऐसा ढिलावा है, चाहे वह हमारे नीचे के कर्मचारियों की तरफ से ही हो, तो हम को यही कहना पड़ेगा कि हमारे संविधान का और हमारी सरकार का जो सचमुच में मंशा है उसको कार्यरूप में परिणित करना है।

हम देखते हैं कि बैकवर्ड क्लासेज़ की एक सूची बनी हुई है जो हरिजन सहायक बोर्ड में है और वह सूची वही है जो हमारे केन्द्र में है और इस सूची के अनुसार हमारे पिछड़े हुये भाइयों को वजीफा आदि भी कुछ मिलते हैं। लेकिन एक दूसरी सूची और भी है। जब इसका मुकाबिला हम दूसरी सूची से करते हैं जो सूची जुलाई-अगस्त, सन् १९५१, में हमारे जिलों को भेजी गयी थी तब सचमुच हम को आश्चर्य होता है। जो पिछड़ी हुई जातियां उसमें लिखी हुई हैं उनका मुझे नाम भी याद नहीं है और मैं दावे के साथ कह देना चाहता हूं कि जो सूची जुलाई-अगस्त, १९५१, में जिलों में भेजी गयी थी उसमें जो जातियां लिखी हैं उनका एक भी उम्मीदवार नहीं होगा जिसने सरकार के किसी विभाग को नौकरी के लिये प्रार्थना पत्र भेजा हो। इसलिये जो सूची है उसमें एक युनिफ़ार्मिटी (एकरूपता) होनी चाहिये और जो केन्द्रीय सरकार की सूची है उससे टैली होनी चाहिये। आप उसमें से घटा दें या बढ़ा दें यह कोई हर्ज की बात नहीं है लेकिन यह आवश्यक है कि सूचियां एक ही प्रकार की हों। पिछले अधिवेशन में जब हमारे यहां कुछ सवालात किये गये थे तो हमारे माननीय मुख्य मंत्री ने जवाब दिया था कि हां, यह संभव है कि दूसरी सूची यहां पर मौजूद हो। मैं, अध्यक्ष महोदय, आपके द्वारा सरकार

को सुझाव देना चाहता हूं कि जो दो सूचियों पिछड़े वर्ग की हैं उसके लिये कोई जस्टिफिकेशन (औचित्य) नहीं मालूम पड़ता है। आपकी सूची एक होनी चाहिये और एक युनिफार्मिटी (एकरूपता) होनी चाहिये कि कौन-कौन सी पिछड़ी हुई जातियां है। हमारे सूबे में ही दो सूचियों के होने का कोई जस्टिफिकेशन नहीं मालूम पड़ता है। मैं देखता हूं कि सचमुच हमारी प्रान्तीय सरकार बहुत कुछ करने की आशा करती है और कर भी रही है। लेकिन पुराने जमाने की भी कुछ अच्छी बातें हुआ करती हैं। उनको अगर ध्यान में रखा जाय तो कोई बात नहीं होती है। हम देखते थे कि सन् १९३७ में बदकिस्मती से अंग्रेजी राज्य था। उसने एक ऐसा आदेश भेजा था कि सरकारी नौकरियों में पीजेंट क्लास के लोग भी लिये जायं। जो विज्ञप्ति निकलती थी वह यह होती थी कि १२ जगहों में से दो जगह उनके लिये होंगी और हम देखते थे कि सचमुच वह लोग ले लिये जाते थे। लेकिन आज हमें खेद के साथ कहना पड़ता है कि वह चीज अब निकाल दी गयी है। उन पीजेंट क्लास के वही लोग होते थे जो ८७ फीसदी पिछड़े लोग हैं। आज हम अपनी सरकार के होते हुये भी देखते हैं कि उनका नाम तक नहीं है।

मुझे आपकी आज्ञा से अधिक नहीं कहना है। केवल इन शब्दों के साथ मैं अपने कुछ सुझावों को रख देना चाहता हूं। जो सदन के सामने यह प्रस्ताव आया है वह सचमुच में एक महत्वपूर्ण प्रस्ताव है जिसके अनुसार कांग्रेसी सरकार को एक समिति बनानी चाहिये और वह यह देखें कि इनके आर्थिक और सामाजिक सुधार के लिये क्या क्या करना है। सचमुच में जब इस प्रस्ताव को कार्य रूप में परिणत किया जायगा तभी हम समझते हैं कि हमारी कांग्रेस सरकार की जो भावना वर्गविहीन समाज की स्थापना की है, हमारे समाज में समानता हो, ऊंच नीच का सवाल न हो, यह तभी पूरी हो सकती है जब कि हम इस बात की कोशिश करें कि सब लोग बराबर के रास्ते पर आयें और सब लोगों को एक सा अवसर दिया जाय।

हम समझते हैं कि संविधान में भी यही चीज है और सरकार भी इस दिशा में कोशिश कर सकती है। इस संबंध में हमारी सरकार को एक क्रांतिकारी परिवर्तन करना है। जब तक यह नहीं होता है तब तक मैं समझता हूं कि जो आज देश की स्थिति है वही स्थिति बनी रहेगी और ऊंच नीच का सवाल सदा ऐसा ही बना रहेगा जो कि आज है। क्योंकि यह एक प्राकृतिक चीज है। हालांकि यह नहीं होना चाहिये। एक दिन ऐसा आये जब इस देश में न कोई ठाकुर हो, न कोई ब्राह्मण हो, न कोई हिन्दू हो, न कोई मुसलमान हो, न कोई ईसाई हो, सब भारतीय हों। इन शब्दों के साथ मैं अपने भाषण को समाप्त करता हूं।

शिक्षा मंत्री (श्री हरगोबिन्द सिंह)—मेरी राय है कि और लोग बोल लें तो आखिर में मैं बोलूं।

अध्यक्ष—यह साढ़े बारह बजे खत्म करना है। इसके अलावा उत्तर का मौका भी प्रस्तावक को देना है। इसलिये आप बोल लें तो अच्छा हो।

श्री हरगोविंद सिंह—हां, पहले और लोग बोल लें और केवल २० मिनट मुझे दे दें।

अध्यक्ष—२० मिनट तो नहीं, हां १५ मिनट आपको मिल सकते हैं। ५ मिनट मैं श्री जयपाल सिंह को दिये देता हूं।

श्री जयपाल सिंह (जिला सहारनपुर)—अध्यक्ष महोदय, जो रिजोल्यूशन भवन के सम्मुख उपस्थित है उसकी ताईद करने के लिये खड़ा हुआ हूं। मैं उन शब्दों को यहां पर रिपीट कर देना चाहता हूं जो कि श्री वेंकटेश नारायण तिवारी की किताब में दिये हुये हैं कि "हिन्दू दलितों की समस्या धार्मिक कलंक और राजनीति के अत्याचर की एक अकथ कहानी है। मनुष्य की

[श्री जयपाल सिंह]

अहंमन्यता और असहिष्णुता का इससे अधिक भयंकर उदाहरण शायद ही कहीं मिले। यह ठीक है कि अमेरिका और अफ्रीका के गोरे श्याम वर्ण हब्शियों के साथ उसी तरह का नृशन्स और बर्बर बर्ताव करते हैं, जिस तरह के बर्ताव से मिलता जुलता व्यवहार हम अपने दलितों के साथ किया करते हैं। जातीय महत्ता का घमंड और साम्पत्तिक स्वार्थ इस तरह के कुत्सिक कलंक की जड़ में निहित है।"

मैं जब यह देखता हूं कि इस तरह से हमारे समाज में हरिजनों के साथ व्यवहार होता है और कहने को तो कानून तो बहुत बनते है लेकिन उन पर अमल नहीं होता है। हमारे कांस्टीटयूशन से पहले भी सोशल डिसएबीलिटीज ऐक्ट बना लेकिन वैसे का वैसे ही रहा। आप देहातों में जायं और देखें कि वहां पर अब भी पहले के समान ही असपृश्यता विद्यमान है। आप लोगों को इसको देखने का शायद मौका नहीं मिला है। इस तरह की एक कमेटी बनाई जाय और वह यह देखे कि इस तरह की चीज अब भी मौजूद हैं और उसी दिशा में मौजूद हैं जैसे कि पहले थीं। मैं समझता हूं कि ऐसी कमेटी बनेगी तो स्थिति सामने आ जायगी और फिर हम अपना निश्चित कदम आगे उठा सकेंगे।

जहां तक विधान का सम्बन्ध है उसमें आर्टिकिल ४३ में यह लिखा है—

"The state shall endeavour to secure, by suitable legislation or economic organisation or in any other way, to all workers, agricultural, industrial or otherwise, work, a living wage, conditions of work ensuring a decent standard of life and full enjoyment of leisure and social and cultural opportunities and, in particular, the State shall endeavour to promote cottage industries on an individual or co-operative basis in rural areas."

[उपयुक्त विधान या आर्थिक संघटन द्वारा, अथवा और किसी दूसरे प्रकार से राज्य कृषि के, उद्योग के या अन्य प्रकार के सब श्रमिकों के काम, निर्वाह मजूरी, शिष्ट-जीवन स्तर, तथा अवकाश का सम्पूर्ण उपभोग सुनिश्चित करने वाली काम की दशाएं तथा सामाजिक और सांस्कृतिक अवसर प्राप्त कराने का प्रयास करेगा तथा विशेष रूप से ग्रामों में कुटीर उद्योगों को वैयक्तिक अथवा सहकारी आधार पर बढ़ाने का प्रयास करेगा।]

दूसरा आर्टिकिल ४६ है। उसमें भी थोड़ा सा संकेत के साथ बतला देता हूं —

"The State shall promote with special care the education and economic interests of the weaker sections of the people, and, in particular, of the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes, and shall protect them from social injustice and all forms of exploitation."

[राज्य जनता के दुर्लभतर विभागों के, विशेषतया अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिमजातियों के शिक्षा तथा अर्थ सम्बन्धी हितों की विशेष सावधानी से उन्नति करेगा तथा सामाजिक अन्याय तथा सब प्रकारों के शोषण से उनका संरक्षण करेगा।]

जब हम यह स्पष्ट देखते हैं कि हमारा संविधान यह स्पष्ट बतलाता है कि आर्थिक और सामाजिक मामलों में हरिजनों का उत्थान करना है और दूसरी जातियों के स्तर के बराबर उनको लाना है तो यह प्रस्ताव इस दृष्टि से कितना महत्वपूर्ण है और इसको कार्यान्वित करना इस सरकार के लिये और इस भवन के लिये बहुत जरूरी है। इसके लिये हमे सोचना है कि हमें किन किन दशाओं में बढ़ना है। यह जो डेढ़ करोड़ हरिजन पददलित हैं

उनके लिये मैं यह नहीं कहता कि उनको अनाज की शक्ल में सहायता दी जाय। मैं यह कहता हूं कि उनको रोजगार दिया जाय, काम धंधे दिये जायं। काम धंधे देकर हम इस देश को शक्तिशाली और समृद्धिशाली बना सकते हैं। इतना बड़ा तबका जो खेतिहर मजदूरों का देहातों में रहता है, उनके लिये हमें कुछ निश्चित और ठोस कदम उठाना चाहिये ताकि थोड़े अर्से में हम इस समस्या को हल कर सकें और आगे लेकर चल सकें।

जहां तक हरिजन सहायक बोर्ड का सवाल है यह केवल एडवायजरी बोर्ड है और इसके हाथ में कुछ नहीं है। एक अमुक धनराशि जो हरिजनों की सहायता के लिये दी जाती है उसमें भी यह अधिक हस्तक्षेप नहीं कर सकता और इसकी हैसियत इतनी ही है जैसे कहावत है "भागते चोर की लंगोटी ही भली"।

जहां तक डिस्ट्रिक्ट बोर्ड का सम्बन्ध है उसमें भी कोई काम नहीं हुआ। जो धनराशि दी जाती है उसको भी ठीक तौर से इम्पलीमेंट (अभिपूरण) नहीं किया जाता। इस कारण से हरिजन अभी बहुत पीछे हैं। इसके लिये एक बोर्ड बनाना चाहिये जो काफी पावरफुल हो।

जहां तक सर्विसेज का सवाल है कमीशन की रिपोर्ट मेरे पास है उसमें लिखा हुआ है कि नौकरियों में हरिजनों को जो रिजर्वेशन दिया हुआ है वह कहीं भी पूरा नहीं हो पाया है। पुलिस, पी० डब्ल्यू० डी०, एग्रिकल्चर, फारेस्ट, जनरल एडमिनिस्ट्रेशन आदि में एक फीसदी भी हरिजन आपको नहीं मिलेंगे। संविधान में स्पष्ट हरिजनों को नौकरियों में १० या साढ़े १२ फीसदी रिजर्वेशन देने के लिये लिखा हुआ है लेकिन स्टेट गवर्नमेंट ने इस ओर कोई कदम नहीं उठाया।

जहां तक एजूकेशन का सम्बन्ध है उसके लिये भी एक प्लान होना चाहिये। उसके मुताबिक काम होना चाहिये। मैं समझता हूं कि इसके लिये एक ऐसी कमेटी बना दी जाय जो इन सब चीजों की फाइंडिंग (मालूम) करे और हरिजनों की हाउसिंग, हेल्थ एंड सेनीटेशन के बारे में भी रिपोर्ट दे। उस रिपोर्ट पर सरकार अमल करे तो मैं समझता हूं कि थोड़े ही अर्से में देश की तरक्की हो सकती है और प्रदेश की भी तरक्की होगी। जहां तक बजट का सम्बन्ध है प्लानिंग बजट के सिलसिले में उसमें १४ लाख रुपया दिया हुआ है, लेकिन इस बजट में एक पाई भी नहीं रखी गई है। मैं समझता हूं कि एक निश्चित कदम उठाने के लिये एक कमेटी की आवश्यकता है। मैं दरख्वास्त के साथ यह निवेदन करना चाहता हूं कि अगर हम हरिजन रोते हैं और उसको यह कहा जाय कि नालायक है और वह गलती करता है तो फिर वही बात है जैसी कि हमारे साथ देहातों में होती है। मैं सरकार से प्रार्थना करता हूं कि वह इस प्रस्ताव को स्वीकार करे और यह कोई ऐसा बड़ा भारी प्रस्ताव नहीं है और मैं बहुत आभारी हूंगा। मैं चाहता हूं कि पिछड़ी जाति के उत्थान के लिये एक कमेटी नियुक्त की जाय जो अपनी रिपोर्ट ६ महीनों के अन्दर दे और गवर्नमेंट उस पर विचार करे और उसके बाद एक निश्चित कदम उठाया जाय। इसलिये मैं आशा करता हूं कि इस प्रस्ताव को सरकार स्वीकार करेगी।

श्री हरगोविन्द सिंह--श्रीमान् अध्यक्ष महोदय, मुझे दुःख है कि इतने महत्वपूर्ण प्रस्ताव के होते हुये और उसके उद्देश्यों से सहमत होते हुये, हरिजन सहायक कार्य के महत्व को समझते हुये मुझे इस प्रस्ताव का विरोध करना पड़ रहा है। वह इस वजह से नहीं जैसा कि मैंने पहले कहा कि हम अधिक से अधिक अपने हरिजन भाइयों को या पिछड़ी जातियों को उठाना चाहते बल्कि मैं तो सचमुच यह समझता हूं कि सदियों से इनके ऊपर अत्याचार किये गये, जिनको मानव अधिकार से वंचित रखा गया, जिनको व्यावहारिक रूप से मानव अधिकार समाज में प्राप्त नहीं रहे हैं। साथ ही यह भी है कि समाज का वह अंग जो इसके लिये जिम्मेदार है। उनको यह पिछड़ा

[श्री हरगोविन्द सिंह]

काम भी मालूम न दे तो यह सचमुच में एक अफसोस की बात है, लेकिन उसके लिये करना क्या है यह हमारा ख्याल है कि इस प्रस्ताव का उद्देश्य है। पहले हमारे प्रस्तावक और समर्थक महोदयों ने यह कहा कि जितना सम्भव हो रहा है उतना सरकार कर रही है। मैं यह नहीं कहता कि वह पर्याप्त है, किन्तु जैसा मैंने पहले कहा कि इससे कई गुना अधिक खर्च किया जाय तो भी शायद वह कम ही रहेगा। लेकिन अगर मतलब यही है कि किसी प्रकार से यह विचारा जाय, सोचा जाय कि किस प्रकार से हम कम से कम समय में अपने हरिजन भाइयों का और पिछड़ी हुई जातियों का उत्थान कर सकते हैं। अगर प्रस्ताव के पीछे यही एक भावना है तो उसके लिये मैं सिर्फ यहीं कहूंगा कि गवर्नमेंट आफ इंडिया ने एक कमीशन मुकर्रर कर रखा है। वह जो हिन्दुस्तान भर में यह समस्या है उस पर वह विचार करेगा और फिर वह कमीशन अपनी रिपोर्ट देगा। उस कमीशन की रिपोर्ट हमारे ऊपर भी लागू होगी। तो क्या आप यह आवश्यक नहीं समझते हैं कि उस रिपोर्ट के लिये हम इन्तजार करें? जो आपने ध्येय रखा है वही ध्येय उस रिपोर्ट के पीछे भी है। तो एक हिन्दुस्तान के बड़े सवाल को लेकर वह गवर्नमेंट आफ इंडिया का कमीशन जो आपके सम्मुख रिपोर्ट रखेगा वह मेरा ख्याल यह है कि उसका बड़ा दायरा होगा और उस दायरे में हर एक चीज पर विचार होगा और शायद उसके बाद आप स्वयं समझें कि ऐसी किसी कमेटी की जरूरत नहीं है। मैं आप से यह नहीं कहता कि यहां चूंकि एक हरिजन सहायक बोर्ड है इसलिये इस कमेटी की आवश्यकता नहीं है। एक दलील वह हो सकती है, यह बात नहीं है कि उस दलील में कोई सार नहीं होगा। जिस उद्देश्य से आप कमेटी बनाना चाहते हैं वह जी० ओ० जिसके द्वारा हरिजन सहायक बोर्ड बना है वही चीज उसमें भी है। हरिजन सहायक बोर्ड इस सदन के सदस्यों का ही नहीं है, बल्कि उसमें बाहर के लोग भी हैं जो कि हरिजन सेवा कार्य कर रहे हैं। उनके सामने आपके सुझाव आ सकते हैं और उनपर विचार कर के ही नीति का निर्धारण होगा। इसमें भी कोई शक नहीं है कि ६ महीने के बाद जब कमेटी रिपोर्ट देगी तब वह भी सरकार के सामने विचार के लिये आयेगी कि उसको कैसे कार्यान्वित किया जाय और फिर यही तमाम प्रश्न होगा। जब आपके सम्मुख एक बोर्ड है और उसके सामने जो भी हरिजन सेवा में दिलचस्पी रखता है अपने सुझाव रख सकता है तो मेरी समझ में किसी दूसरी कमेटी की आवश्यकता नहीं है। अगर कोई समस्या इतनी गूढ़ होती, अगर उसमें इतनी पेचीदगी होती और अगर यह समझ में नहीं आता कि इस समस्या का किस प्रकार से हल निकाला जाय तब तो बात दूसरी थी, लेकिन हम जानते हैं कि इस समस्या का रूप क्या है और उसको हल करने के लिये, सुलझाने के लिये हमें क्या करना चाहिये।

हम जानते हैं कि हमारा समाज ऋणी है हरिजन भाइयों का, पिछड़ी हुई जातियों का। शताब्दियों से उन्होंने लोगों की बहुत सेवा की है और उन्होंने कुछ अपने अधिकार समझे ही नहीं। हम उनको उठाना चाहते हैं उनमें शिक्षा बढ़ा कर और उनकी आर्थिक अवस्था को ठीक करके उनको उठाना चाहते हैं। मैं समझता हूं कि इस समस्या के यही दो अंग हैं। जब समस्या के यही दो अंग हमारे सामने स्पष्ट हैं और इसमें सन्देह नहीं कि इसकी पूर्ति के लिये हम जितनी शीघ्रता करें उतना ही अच्छा है। मुझे यह मंजूर करने में तनिक भी हिचक नहीं है कि आज दस फीसदी की बात कही जाती है वह शायद अब भी पूरी नहीं हो रही है। हम इस बात की कोशिश कर रहे हैं जितनी हो सकती है, एक ओर हरिजनों का उत्थान किया जाय, उनका भौतिक स्तर ऊंचा किया जाय और दूसरी ओर यह प्रयत्न है कि दस फीसदी से भी अधिक वह एक ऐसे स्तर पर पहुंच जांय कि दस फीसदी की बात ही न रहे और वह १५, २५, ५० और १०० फीसदी तक आ जायं लेकिन उसमें समय लगेगा इसमें भी सन्देह नहीं है।

जैसा कि मैंने बजट स्पीच के वक्त कहा था कि हमारी सरकार ने जब यह देखा कि पब्लिक सर्विस कमीशन में जो हरिजन बालक जाते हैं वह उस स्तर के नहीं होते जो दूसरे बालकों का होता है। इसलिये हमने प्रबन्ध किया है कि उनको अलग तरीक़े से पढ़ाया जाय और उनके लिये अलग शिक्षकों का इन्तजाम किया जाय, जिससे वह भी अन्य बालकों की तरह उत्तीर्ण हो सकें। क्योंकि समस्या का रूप हमारे सामने है और स्पष्ट है और हम जानते हैं कि किस प्रकार से उसे हल करना चाहिये और यह भी जानते हैं कि किस तरह से समस्या को जल्द हल कर दें, इतनी ही बात करना है और उसके लिये भी एक बड़ी कमेटी आल इंडिया बेसिस प काम कर रही है। इसलिये मैं चाहूंगा कि उस समय तक जब तक कि कमीशन की रिपोर्ट आपके सम्मुख न हो आप अपने इस विचार को स्थगित कर दें और कमीशन की रिपोर्ट के आ जाने के बाद अगर आप देखते हैं कि आपके विचारों को स्थान नहीं मिलता है और आप समझते हैं कि उससे प्रगति इतनी अधिक नहीं होगी जितनी हम और आप चाहते हैं उस समय हमको और आपको अवसर होगा कि जिस तरह से भी सम्भव हो हम वह कार्य करें कि जिससे हम थोड़े से समय में हरिजनों को उस स्तर पर ला सकें जिस पर लाना चाहते हैं। इसलिये मैं प्रस्तावक महोदय से अनुरोध करूंगा कि वह इस समय इस प्रस्ताव को वापिस ले लें।

श्री रामेश्वर प्रसाद—माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं इस पसोपेश में पड़ गया कि माननीय मंत्री जी की बातों का क्या उत्तर दूं। माननीय मंत्री जी कुछ ऐसे बीच से निकल जाना चाहते हैं कि जो कुछ उन्होंने कहा है वह दो तरफा बात कही जा सकती है। आपने कहा कि ऐसे सवाल को वह बहुत महत्वपूर्ण समझते हैं और बहुत ज़ोर इस पर दिया, लेकिन इस प्रस्ताव को मानने से मजबूरी प्रकट की। आपने कहा कि आल इंडिया बेसिस पर जो रिपोर्ट आवेगी तब उस पर सोचा जायगा। इसके लिये तो मैंने पहले ही कहा था कि आप इसका प्रोटैक्शन लेंगे और वही बात सामने आई। मैंने यह भी कहा कि वह तो आल इंडिया बेसिस पर रिपोर्ट होगी, लेकिन हमारा सूबा तो पहले ही से औरों की अपेक्षा प्रगतिशील है। वह तो और सूबों से पहले ही इस बात में आगे चल रहा है तो फिर वह रिपोर्ट हमारे लिये अधिक महत्व की नहीं होगी। यह प्रस्ताव कोई ऐसी चीज़ नहीं थी कि जिसका प्रभाव ख़राब पड़ता। यह सबको ज्ञात है कि जब कोई कमेटी या कमीशन बिठाया जाता है तो उसका फल अच्छा ही निकलता है। उससे हानि नहीं होती। मेरा तो कुछ ऐसा ही अनुमान है। माननीय मंत्री जी ने कहा कि इस प्रश्न को स्थगित रखा जाय। इन शब्दों में सहानुभूति है भी और मैं क्या करूं मेरा तो पूरा मंशा था और मेरा ख्याल है कि इस हाउस का भी होगा, क्योंकि मैंने कनवैंसिंग करके लोगों में पाया है, और सवर्ण लोगों ने तो मुझसे यहां तक कहा कि तुम वोटिंग करा लेना। लेकिन मनुष्यता मेरे लिये यह कबूल नहीं करती है कि जब मंत्री जी इस प्रकार का आश्वासन देते हैं तो मैं क्या बताऊं, मैं उनके आश्वासन पर अपना प्रस्ताव वापस लेता हूं।

अध्यक्ष—क्या वीरेन्द्रपति यादव जी भी अपना संशोधन वापस लेंगे ?

श्री वीरेन्द्रपति यादव—जी हां, जब मूल प्रस्ताव ही गिर गया।

अध्यक्ष—क्या सदन की अनुमति है कि यह प्रस्ताव वापस लिया जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और हाथ उठाकर विभाजन होने पर निम्नलिखित मतानुसार स्वीकृत हुआ —

पक्ष में—२०९

विपक्ष में—२६)

शिकमी व बटाईदार किसानों का नाम सरकारी कागजों में उचित रूप से अभिलेख करने के हेतु जिलों में समितियां निर्माण करने के सम्बन्ध में संकल्प

श्री नारायणदत्त तिवारी (जिला नैनीताल)—आदरणीय अध्यक्ष महोदय, आपकी आज्ञा द्वारा मैं सदन के सम्मुख निम्नलिखित प्रस्ताव स्वीकृति के लिये प्रस्तुत करना चाहता हूं—

"चूंकि दस पन्द्रह वर्ष से भी अधिक समय से खेत जोतने वाले शिकमी, बटाईदार किसानों का नाम पटवारी के कागज में दर्ज न होने से शिकमी व बटाईदार काश्तकार बेदखल हो रहे हैं, जमींदारी उन्मूलन के बाद उनके बेदखल होने का और भी ज्यादा डर है।

अतः इस सदन की यह राय है कि, प्रत्येक जिले में एक हाई पावर कमेटी बनाई जाय जो सरकारी कागजों में ठीक तौर पर शिकमी बटाईदार किसानों के नाम दर्ज करे और उनकी बेदखली से सम्बन्धी मामलों की जांच करके फैसला करे।"

आदरणीय अध्यक्ष महोदय, जो यह प्रस्ताव आज मैं आपके द्वारा सदन के माननीय सदस्यों की स्वीकृति के लिये पेश कर रहा हूं यह उसी प्रस्ताव की ऐतिहासिक परम्परा है जो कि इसी माननीय सदन ने सन् १९४६ के ८ अगस्त को पास किया था और जिसमें यह स्वीकार किया गया था कि हम लोग और यह सदन और हमारा यह प्रदेश, मध्यवर्तियों और वास्तविक काश्तकारों के बीच में जो भेद है उसको दूर करेंगे। आज सारे प्रदेश में जमींदारी उन्मूलन अधिनियम लागू होने के बाद शिकमी काश्तकारों और बटाईदारों पर जो बीत रही है उससे सारे सदन के सदस्य परिचित हैं। आपको यह मालूम है और मैं समझता हूं कि सरकार को भी मालूम है कि अनेक जिलों में, आजमगढ़, बनारस और पूर्वी जिलों में विशेष रूप से शिकमी काश्तकारों और बटाईदार काश्तकारों को बेदखल किया जा रहा है। हमारे माननीय विरोधी दल के नेता ने ढाई सौ इस प्रकार की अर्जियां माननीय माल मंत्री के सामने प्रस्तुत की हैं। आजमगढ़ में और खास तौर से घोसी तहसील में इस प्रकार के हजारों काश्तकार बेदखल किये गये हैं और वहां तो यह भी देखने में आया है कि इस प्रकार से फौजदारी के झगड़े हुए हैं और अनेक जिलों में, अकेले घोसी तहसील में ही लगभग ५० आदमी कत्ल किये जा चुके हैं और खुद जिला मैजिस्ट्रेट ने अपनी रिपोर्ट में इस बात को स्वीकार किया है कि वहां पर १२ आदमियों के कत्ल हुये हैं। हजारों एकड़ जमीन इन झगड़ों की वजह से, जो गलत इन्दराज हुए हैं उनकी वजह से जिलों में बेकार और बंजर पड़ी हुई है।

मैं समझता हूं कि सरकार को ये सभी बातें मालूम हैं और इसी भावना को ध्यान में रख कर और इसी प्रस्ताव की आत्मा को ध्यान में रखते हुए बहुत हद तक मैं समझता हूं कि आज अभी इस सदन के सामने माननीय माल मंत्री जी ने जो विधेयक पुरःस्थापित किया है, उसमें भी इसी प्रस्ताव की भावना है इसका अंश उस प्रस्ताव में भी आ गया है। तो मैं तो यह कहूंगा कि जिस प्रस्ताव को आज माननीय माल मंत्री जी ने पुरःस्थापित किया है, उस प्रस्ताव को संयत बनाने के लिये, उस उद्देश्य को पूरा करने के लिये यह आवश्यक है कि सरकार हमारे इस प्रस्ताव को स्वीकार करे।

शिकमी काश्तकारों और बटाईदारों के जो हकूक हैं वे सदन में कितनी बार दोहराये जा चुके हैं, जब हम लोग कांग्रेस में थे तो कांग्रेस द्वारा भी ये कितनी बार दोहराये जा चुके हैं और आज देश की जितनी प्रगतिशील पार्टियां हैं उन सभी का लक्ष्य

बराबर यही रहा है। अगर भारतीय संस्कृति की ओर देखा जाय तो कौटिल्य जो अर्थशास्त्र के बड़े भारी विद्वान हो चुके हैं उन्होंने अपने अर्थशास्त्र के दूसरे अध्याय में कहा है कि जो काश्तकार स्वयं भूमि नहीं जोतता या किसी तीसरे को उठाता है उससे जमीन ले लेनी चाहिये। कौटिल्य ने इस बात को कहा है और सन् ४९ में जो कांग्रेस एग्रेरियन रिफार्म्स कमेटी बैठी थी उसकी रिपोर्ट में भी यह कहा गया है :—

"The Zamindari Abolition Bills in the various provinces which are in different stages of implementation are the first step towards that object but even after the abolition of the zamidari there would remain a large element of non-cultivating interest in land. The Committee is strongly of the opinion that in the Agrarian Economy of India there is no place for intermediaries and land must belong to the tiller, subject to conditions mentioned hereinafter."

[विभिन्न प्रान्तों में जमींदारी विनाश विधेयक, जो अभिपूरण के विभिन्न प्रक्रमों पर हैं, उस लक्ष्य की ओर प्रथम कदम हैं किन्तु जमींदारी विनाश के उपरान्त भी भूमि पर काफी ऐसे लोग रह जायंगे जो कृषि नहीं करेंगे। समिति की प्रबल सम्मति है कि भारत की कृषकीय आर्थिक जीवन में मध्यस्थ के लिए कोई स्थान नहीं है, भूमि उसी के पास अवश्य रहनी चाहिए जो कृषि करे उन शर्तों को लागू करते हुए जिनकी नीचे चर्चा की गयी है।]

तो हम देखते हैं कि अगर हम ऐग्रेरियन रिफार्म्स कमेटी की रिपोर्ट को लेते हैं तो हमें मिलता है कि हमें यहां के नान कल्टीवेटिंग इंटरेस्ट को हटाना है। जमींदारी अबालिशिन कमेटी की रिपोर्ट में भी, उसके पहले वाल्यूम में यह बात साफ साफ कही गयी है कि जो इस प्रकार के काश्तकार हैं, जो कि बटाईदार या शिकमीदारों से खेती करवाते हैं उनकी क्या स्थिति है :—

"The sub-tenant has always been holding an insecure tenure not exceeding 5 years and on the clear understanding that after the expiry of the lease he would be ejected from the holding. Nor can we treat the tenant in chief as a permanent intermediary for under the law he must cultivate the holding at least for three years before he can sub-let the whole or part of it."

[शिकमी काश्तकार सदैव अरक्षित अधिकार रखता आया है जिसकी अवधि ५ वर्ष से अधिक नहीं है और उसको स्पष्ट मालूम है कि पांच वर्ष की पट्टे की समाप्ति पर वह जोत से बेदखल हो जायगा। हम प्रधान काश्तकार को स्थायी मध्यवर्ती भी नहीं मान सकते क्योंकि विधि के अन्तर्गत वह तब तक उस जोत को या उसके भाग को पट्टे पर नहीं उठा सकता जब तक कि वह पहले कम से कम तीन वर्ष स्वयं उस पर कृषि न करता रहा हो।]

तो मैं यह देखता हूं कि खुद जमींदारी अबालिशन कमेटी की रिपोर्ट में भी यह कहा गया कि, जो इस तरह के मुख्य काश्तकार हैं उनको 'परमानेंट इंटरमीडियरी' कमेटी नहीं मान सकती है। जमींदारी अबालिशन कमेटी की रिपोर्ट के भाग दो में कहा गया है कि इस प्रकार के २७ लाख काश्तकार हैं जिनको शिकमी या बटाईदार या सब-टिनेंट की श्रेणियों में रख सकते हैं।

बेगम ऐजाज रसूल ने तो यह कहा है कि यह संख्या कम है। डा० राधा कमल मुकर्जी ने अपनी किताब लैंड रिफार्मस इन इंडिया में यह कहा है कि इस प्रकार के काश्तकार ३४ लाख हैं। कांग्रेस ऐग्रेरियन रिफार्म्स कमेटी ने तो बंगाल में और आसाम में इस प्रकार के जो बटाईदार हैं उनके भी आंकड़े हमारे सामने दिये हैं।

[श्री नारायणदत्त तिवारी]

इस प्रकार से यह एक बहुत बड़ी समस्या है और हमारे प्रदेश के लिये इसका विशेष महत्व है। इसलिये मैं आपके द्वारा माननीय सदन से अनुरोध करूंगा कि मेरे इस संकल्प को पास करने में उसे कोई अड़चन न होनी चाहिये। हम उन काश्तकारों की जो कि सब से निर्बल हैं, जिनका अपना कोई संगठन नहीं है मदद करें, हम देखते हैं कि कई सालों से प्रयत्न हो रहा है कि इस प्रकार के जो काश्तकार हैं उनका कोई संगठन हो जाय लेकिन कोई संगठन नहीं हो पा रहा है, क्योंकि उनकी पिछड़ी हुई दशा के कारण उनमें संगठन का बीज तक नहीं है। जो १९३६ में यू० पी० कांग्रेस की टंडन कमेटी बैठी थी उसमें यह कहा गया है कि यह लोग ऐसे हैं कि अगर सरकार स्वयं इनके मामले को अपने हाथ में नहीं लेगी तो कुछ भी नहीं हो पायेगा। टंडन कमेटी रिपोर्ट में कहा गया है :—

"The tenant at will and the landless labourer are the first to be hit by any calamity, natural or otherwise. They have nothing to fall back upon and they are helpless victims of misfortunes which they simply cannot avert. Their condition is terrible. Surely no one can claim that these peasants can be extricated out of difficulties without State aid."

[स्वेच्छा काश्तकार पर और भूमि रहित मजदूर पर विपदा का चाहे वह प्राकृतिक हो या अन्यथा हो प्रथम प्रहार होता है। उनके पास कोई आसरा नहीं होता, उन पर दुर्भाग्य का घोर प्रहार होता है जिसे वे रोक नहीं सकते हैं उनकी स्थिति भीषण होती है। निःसन्देह कोई दावा नहीं कर सकता है कि राज्य-सहायता के बना इन किसानों की कठिनाइयां सुलझ सकती हैं।]

बिना सरकार की सहायता के, बिना सरकारी निश्चय के अपने हाथ से कुछ नहीं कर सकते। उनका संगठन भी इतना कमजोर है। इसलिये आवश्यक है कि सदन अपने सिद्धान्त की रक्षा के लिए इसको स्वीकार करे।

कांग्रेस ऐग्रेरियन रिफार्म्स कमेटी की रिपोर्ट में उनकी परिभाषा इस प्रकार दी हुई है :—

"By tenant we understand a person lawfully cultivating any land belonging to another person, if such land is not cultivated personally by the owner and if such a person is not a member of the owner's family, a mortgagee in possession or a servant on wages payable in cash."

[काश्तकार से हम उस व्यक्ति को समझते हैं जो ऐसी भूमि पर कृषि कर रहा हो, जो दूसरे की हो, जब मालिक स्वयं उस भूमि पर कृषि न करता हो और जब वह व्यक्ति स्वयं मालिक के परिवार का सदस्य न हो, भोग बन्धकी न हो या ऐसा सेवक न हो जिसे नकद मंजूरी मिल रही हो।]

तो इस तरह के, टेनेंट्स की परिभाषा में जितने भी शिकमी और बटाईदार हमारे प्रान्त में हैं वह सब अग्रेरियन रिफार्म कमेटी रिपोर्ट के अनुसार भी इस परिभाषा में आते हैं।

बंगाल लैंड रिफार्म कमीशन में भी जो १९४० में बना था, बटाईदार के अधिकार को माना है कि उनको लिमिटेड आकुपेंसी राइट्स देने चाहिये और जब हम यह सब मान लेते हैं तो कम से कम उनके इन्दराज तो सही हों। आज कोशिश की जा रही है कि उनको बेदखल किया जाय। उनको पता नहीं कि नाम कहां लिखा जाता है। तो मेरा सुझाव यह है कि हर जिले में एक हाई पावर, पूर्ण अधिकार वाली समिति बनाई जाय जिसमें हम तय कर सकते हैं कि कौन कौन रहें। पांच आदमियों की एक विशेष कमेटी हो सकती है जिसमें एक सरकार के द्वारा नियुक्त अधिकारी या जिला पंचायत राज अधिकारी हो सकते हैं। उस जिले के एम० एल० एज० में से दो एम० एल० ए० हो सकते हैं।

कुछ ऐसे इनवाइटी मेम्बर हो सकते हैं जो उस ग्राम सभा से संबंधित हों जो बटाईदार की हों और वह उन बटाईदारों द्वारा चुने जायं। एक बार (Bar) के प्रतिनिधि हों। तो इस तरह से पांच जनों की एक हाई पावर कमेटी हर जिले में हो हो जाय। इससे मैं समझता हूं कि जहां नाम जोड़ने हैं वह जोड़े जा सकते हैं और आगे चल कर हम उनको वे अधिकार दे सकते हैं जिनको हम अपनी कमेटियों और रिपोर्टों के द्वारा घोषित कर चुके हैं। इस सिलसिले में जब मैं अग्रेरियन रिफार्म कमेटी की रिपोर्ट पढ़ रहा था तो जो महत्वपूर्ण सिफारिश उस कमेटी ने दी वह उसमें आती है। उन्होंने पेज ४५ पर कहा है--

"We therefore recommend that a tenant at will cultivating a holding or a part of the holding for 6 years should automatically get the right of occupancy over it unless the owner proves before the proper authority his disability to cultivate the land personally."

[अतः हम सिफारिश करते हैं कि यदि मालिक उपयुक्त अधिकारियों के समक्ष अपनी इस अक्षमता को सिद्ध न कर सके कि उसने भूमि पर स्वयं कृषि क्यों नहीं की तो उस कृषक को जो स्वेच्छा से किसी जोत या जोत के खंड पर छः वर्षों तक कृषि कर रहा है, उस भूमि पर दखीलकार का अधिकार स्वतः प्राप्त होना चाहिये।]

और इसके आगे कहा है,

"In order that the maximum advantage may be taken of the reform by the tenant it should be given retrospective effect. As land is held for cultivation, there is no social injustice in depriving the owner his right of ejecting the tenant when he has been on the land and has cultivated it continuously for a period of 6 years. It is the tenant who has put the land to use."

[इस कारण कि कृषक इस सुधार से अधिकतम लाभ प्राप्त कर सके, इसे अनुदर्शी प्रभाव प्राप्त होना चाहिये। क्योंकि भूमि कृषि के लिए रखी गयी है इसमें कोई सामाजिक न्याय नहीं है कि मालिक को कृषक बेदखल करने के उसके अधिकार से वंचित किया जाय जब कि उसका कब्जा भूमि पर है और वह लगातार ६ वर्षों से उस पर कृषि कर रहा है। कृषक ही भूमि को उपयोग में लाया है।]

तो इस तरह से यह सिद्ध होता है कि इस सारे देश भर के लिये इस कांग्रेस अग्रेरियन रिफार्म कमेटी में यह स्वीकार कर लिया गया है और यह सिफारिश कर दी गयी है कि हमें इस प्रकार के जो शिकमी, बटाईदार काश्तकार हैं उनको पूरे अधिकार देने चाहिये। जब इस प्रस्तावना को हम देखते हैं तो हम समझते हैं कि हमें और इस माननीय सदन को और सरकार को कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिये। वह हमारे इस प्रस्ताव को स्वीकार करे और अपने ही उद्देश्यों को कार्यान्वित करने के लिये वह इन शिकमी पट्टेदार जिनका कि इन्दराज नहीं है या जिनका गलत इन्दराज किया गया है, उनके इन्दराज कर दिये जायं। हर जिले में हाई पावर कमेटी बनाई जाय और उसके साथ उनको वह सारे अधिकार दिये जायं जिनकी हम समय समय पर घोषणा कर चुके हैं।

श्री सुल्तान आलम खां (जिला फर्रुखाबाद)--माननीय स्पीकर साहब, मेरे दोस्त नारायण दत्त त्रिपाठी जी ने जो रेजोल्यूशन इस भवन के सामने पेश किया था उसके साथ में उन्होंने जो सुन्दर तकरीर फरमाई, मैंने उसे बड़े गौर से सुना। मैं उनके जज़बात की बड़ी कद्र करता हूं और उनका बड़ा अहतराम करता हूं और मैं यह भी

[श्री सुल्तान आलम खां]

जानता हूं कि उन्होंने जो रेजोल्युशन इस भवन में पेश किया है उसमें उनकी नीयत तो खैर है और वह सही तौर पर अपनी जगह पर यह महसूस करते हैं कि इससे काश्तकारों को बहुत नफा पहुंचेगा। लेकिन मैं महसूस यह कर रहा हूं कि इस रेजोल्यूशन के पास होने के बाद बजाय इसके कि उन काश्तकारों को जिनको वह कुछ नफा पहुंचाना चाहते हैं उनको नफा तो न पहुंचेगा बल्कि उनकी दिक्कतें और दुश्वारियां बढ़ जायंगी। इसमें शक नहीं कि उन काश्तकारों को, जो कि वाकई शिकमी हैं या जो पट्टेदार हैं और जिनके कि पोजीशन शिकमी के बारबर है उनके तो सही इन्दराज होने चाहिये। इसमें तो कोई एतराज सदन को नहीं है। लेकिन उनकी तकरीर में मैंने कोई ऐसी बात नहीं पाई कि जिससे यह पता लगता कि इस सूबे में कोई ऐसी खास समस्या या प्राब्लम है जिसके लिये एक हाई पावर कमेटी मुकर्रर की जाय।

जहां तक कि हमारे मौजूदा कानून का ताल्लुक है, जमींदारी एबालिशन ऐंड लैंड रिफार्म्स ऐक्ट का ताल्लुक है, वह उसी जरूरत को कि जो आम तौर पर पैदा होती है पूरा करने के लिये हर तरह पर काफी है। अगर इस किस्म की कोई दिक्कत या दुश्वारी पैदा होती है कि जिसमें पटवारी सही इन्दराज नहीं करता है तो कानून के अन्दर उसकी चाराजोई मौजूद है, हर मुकाम पर उसके लिये आफिसर मौजूद हैं कानूनगो मौजूद हैं, तहसीलदार मौजूद हैं, हाकिम परगना मौजूद हैं और खुद कानून मौजूद है। मेरे सामने कोई ऐसी चीज नहीं आयी, कोई ऐसे आंकड़े नहीं आये जिससे मैं यह महसूस करता कि यह समस्या इतनी ज्यादा अधिक सूरत में पेश हो गयी है जिसके लिये मौजूदा कानून को अपनी जगह से हटा करके एक नया तरीका अख्तियार करना ज्यादा मुनासिब होगा। कोई वजह मेरी समझ में नहीं आती कि अगर इस किस्म की शिकायतें उन हुक्काम के पास कि जिन्हें कानून ने यह अधिकार दिया है लाई जायं तो वह उनको न सुनें और वह उन पर ग़ौर न करें। उसमें अपील का भी तरीका लिखा हुआ है उसमें काग़जात की दुरुस्ती का भी तरीका लिखा हुआ है कि अगर पटवारी ग़लती करे तो उसको किस तरह से दूर किया जाय। मेरे सामने वह जमींदारी एबालिशन ऐक्ट नहीं है जिसकी मातहत में तफसील के साथ उन्हें वह तमाम दफात बता सकता जिसके जरिये वह इस किस्म का तदारुक हासिल कर सकते हैं लेकिन मैं जानता हूं कि वह वकील हैं, पढ़े लिखे हैं और बहुत काबिल आदमी हैं, वह खुद इस बात को महसूस करेंगे।

फिर एक चीज मैं यह अर्ज करना चाहता हूं कि मैं यह तवक्को कर रहा था कि यह रेजोल्यूशन शायद ईस्टर्न डिस्ट्रिक्ट्स के किसी मेम्बर की तरफ से पेश हो, इसलिये कि इसमें उन्होंने अपनी तक़रीर में जो कुछ फरमाया वह यही फरमाया कि मशरकी जिलों में इस किस्म की शिकायतें ज्यादा पायी जाती हैं। मेरे दोस्त जिन्होंने इस रिजोल्यूशन को मूव किया है वह तो ऐसे मुकाम से तशरीफ लाये हैं जहां अभी जमींदारी एबालिशन ऐक्ट मंजूर भी नहीं हुआ है, आयन्दा होने वाला है और होगा, मगर अब तक मैं यह महसूस करता हूं कि उनको उन तमाम दिक्कतों का, उन तमाम ऐडिमिनिस्ट्रेटिव डिफीकल्टीज (प्रशासनीय कठिनाइयों) का और उन तमाम मुश्किलात का उतना पूरे तरीके पर इल्म नहीं है जितना कि इस सूबा के मशरकी जिलों के रहने वाले या मग़रबी जिलों के रहने वाले एहसास कर सकते हैं।

जनाबवाला, एक चीज इसमें और बुनियादी या उसूली पैदा होती है और वह यह है कि एक तरफ तो इस लेजिस्लेचर का बनाया हुआ कानून नाफिज है और उस कानून के जरिये हर शख्स को यह आजादी है कि वह उस कानून के तोड़नेवालों, उस कानून की बेउनवानियां करने वालों की अदालती तौर पर कानूनी तौर पर चाराजोई हासिल

कर सके, लेकिन अगर इस रिज़ोल्यूशन को मंजूर कर लिया गया और इसके मातहत कोई ऐसी कमेटी बना दी गयी जो बकौल मेरे दोस्त एक हाई पावर कमेटी हो तो उसका क्या असर होगा। मैं हाई पावर का मतलब तो यही समझा हूं कि हाई पावर कमेटी का मतलब यह है कि उसका फैसला आखिरी हो जिसकी कोई अपील न हो सके, वह जो चाहे वह करे। ऐसी कमेटी शायद वह चाहते हैं।

मैं आपके जरिये उनकी खिदमत में यह अर्ज़ करना चाहता हूं कि वह इस पर भी गौर करें कि एक तरफ तो जमींदारी एबालिशन ऐंड लैंड रिफार्म्स ऐक्ट इन आपरेशन होगा इस सूबे के अन्दर कुमायूं को छोड़ कर जहां से मेरे दोस्त तशरीफ लाये हैं और दूसरी तरफ वहीं पर एक हाई पावर कमेटी बैठेगी जो उसी चीज की काग-निजेंस (अभिज्ञान) लेगी जिसकी कि अदालतें लेंगी। फर्ज कीजिये अदालत में एक ऐसा मुक़दमा गया और अदालत ने एक फैसला दे दिया, और फिर उस कमेटी के सामने वही मुकदमा गया और उसने एक दूसरा फैसला कर दिया तो इसका क्या नतीजा होगा? इससे बड़ी ऐडमिनिस्ट्रेटिव (प्रशासनीय) दिक्कतें पैदा होंगी, इससे बड़ी दुश्वारियां पैदा होंगी और मैं समझता हूं कि वह मकसद जो वह चाहते हैं हासिल नहीं हो सकेगा। इस तरह सिवाय इसके कि इसके जरिये से हमारी कुछ दिक्क़तें और दुश्वारियां पैदा हों, मेरी समझ में और कोई दूसरी चीज नहीं मालूम होती।

मेरे दोस्त ने अभी अपनी तकरीर में यह भी फरमाया कि उन काश्तकारों को, जिनको कि इसके जरिये से रेमेडी (उपाय) ढूंढ़ना है, इस बात का पता ही नहीं है कि कानून में ऐसी रेमेडी कहां ढूंढ़ी जा सकती है। किस आफिसर के पास जायं, कानूनगो के पास जायं या तहसीलदार के पास जायं। मैं उन्हें यकीन दिलाना चाहता हूं कि कम से कम इस देश के रहने वाले काश्तकार इतने समझदार हैं कि वे यह सब कुछ जानते हैं। कभी किसी काश्तकार के मुंह से हमने चाहे और कुछ भी शिकायत सुनी हो लेकिन यह शिकायत कभी नहीं सुनी होगी कि इस क़ानून के मातहत जो हमें रेमेडी हासिल करनी है वह किस मुक़ाम पर मिल सकती है और कहां नहीं मिल सकती है और जब कि हमारे दोस्त के तरीक़े पर बहुत से क़ाबिल वकील हर जगह मौजूद हैं तो अगर उनको कोई ऐसी दिक्कत है तो वे उनको बतलाने के लिये काफी हैं। तो इस सूरत में कि जब वह कानूनगो या तहसीलदार या किसी दूसरे कर्मचारी का हो जो वहीं पर रहता है पता नहीं लगा सकते तो मेरी समझ में नहीं आता कि ऐसी हाई पावर कमेटी के मेम्बरों का वह कैसे पता लगा सकते हैं कि वे किस मुकाम पर होंगे जिनके जरिये से हमें ऐसे मालूमात में मदद मिले। फिर इसमें एक सूरत यह भी है कि अगर कोई हाई पावर कमेटी या ट्रिब्यूनल इस किस्म का आपने बना दिया और उस कमेटी ने काम शुरू कर दिया तो उसका नतीजा यह होगा कि आपके पास इस किस्म की शिकायतों की भरमार हो जायगी अगर किसी सूरत से हम यह नहीं करते कि जिन लोगों को कानून के जरिये से रेमेडी मिलनी चाहिये वह न मिले। लेकिन मैं यह भी चाहता हूं और हर शख्स को यह चाहना चाहिये कि हम किसी सूरत से लिटीगेशन को इनकरेज न करें।

लिटीगेशन ही वह चीज है जो हमारे समाज की बुराइयों में बहुत बुरे किस्म की बुराई है और जिससे हमारी माली हालत पर बहुत बुरा असर पड़ा है और इसीलिये गवर्नमेंट को पंचायती निजाम का इन्तजाम करना पड़ा है जिससे बग़ैर वकीलों की मदद के मुकामी झगड़ों को तय किया जा सके। तो अगर इस सूरत से कोई ट्रिब्यूनल कायम हुआ तो इसका नतीजा यह होगा कि लोगों में एक किस्म का इनकरेजमेंट पैदा होगा, क्योंकि अगर किसी चीज को बार बार कहा जाय तो फिर वह समस्या बजाय इसके कि कम हो बढ़ जाती है। आपने देखा है कि इसी तौर

[श्री सुल्तान आलम खां]

से मशरिकी जिलों में लोगों को दुश्वारियां हैं, वहां गल्ले की कमी है, इससे कोई भी इनकार नहीं कर सकता, लेकिन मैं समझता हूं कि इसको हर शख्स को मानना पड़ेगा कि इसको बार बार कहने से कि मशरिकी जिलों में बंगाल के फैमिन की तरह सूरत पैदा हो रही है नतीजा यह जरूर होता है कि लोग यह महसूस करते है कि कोई पैनिक की सूरत है जिससे लोग गल्ला जमा करना शुरू कर देते हैं और लोगों को चीज नहीं मिलने लगती है और इसका नतीजा अच्छा नहीं होता।

इसी सूरत से अगर लोगों को यह मालूम हो जाय कि वाक़ई इस सूबे के अन्दर ऐसी हालत है कि किसी शिकमी काश्तकार, किसी बटाईदार का इन्दराज सही नहीं है और हर शख्स को जमीन मिल सकती है और एक हाई पावर कमेटी फैसला करेगी तो मैं आपसे कहता हूं कि कोई इन्तहा नहीं रहेगी और तमाम एलीगेशन्स उस कमेटी के पास पहुंचेंगे जिनमें कुछ सच भी होंगे और कुछ ग़लत भी होंगे नतीजा इसका यह होगा कि लोगों में एक किस्म का इनकरेजमेंट (प्रोत्साहन) पैदा होगा कि गवर्नमेंट को अब तो एक नया कानून बनाना पड़ा इसलिये कि जो कानून गवर्नमेंट का अब तक रायज था और जिसके मुताबिक फैसले होते थे वह नाकाफी साबित हुआ और श्री नारायण दत्त तिवारी जी को, जो हमारे यहां के नुमायन्दे हैं, उनको इस बात की जरूरत महसूस हुई कि यह रेजोल्यूशन यहां रखें। आप जरा गौर फरमायें कि इससे ऐडमिनिस्ट्रेटिव दिक्कतें कितनी बढ़ेंगी, लिटीगेशन कितना बढ़ेगा, इससे लोगों में एक किस्म का इनकरेजमेंज़ इस किस्म के मुकद्दमों को लाने का कितना बढ़ जायगा। इसलिये मैं तो उनसे यही दरख्वास्त करूंगा कि वह तमाम दुश्वारियों पर ग़ौर फरमायें। बेशक उसके लिये हम सबको मिलजुल कर कोशिश करनी चाहिये कि जिन लोगों के इन्दराज ग़लत हैं वे सही किये जायं।

आपने अभी तकरीर में फरमाया कि पब्लिक मेन या एम० एल० एज० उस हाई पावर कमेटी में काम कर सकते हैं। तो मेरा कहना यह है कि क्या इसके लिये वे लोग अपना जाती असर इस्तेमाल नहीं कर सकते कि वे मुकामी हुक्कामों से मिलें, कानूनगो से मिलें, और अगर उससे मिलना मुनासिब न समझें तो तहसीलदार से मिलें, हाकिम परगना से मिलें और इन्दराज की दुरुस्ती करायें। मुझे यकीन है कि अगर वह लोग तवज्जुह करें और वक्त दें और सही और जीनियस (वास्तविक) केस सामने आये और उनको आगे बढ़ाने की कोशिश करें तो कोई वजह नहीं है कि यह दिक्कतें दूर न हों। मैंने जो दरख्वास्त श्री त्रिपाठी जी के सामने पेश की है, मुझे उम्मीद है कि वह उस पर गौर फरमायें और दिक्कतों दुश्वारियों पर ग़ौर करते हुये वह इसको पेश नहीं करेंगे बल्कि वापस ले लेंगे।

श्री भगवानदीन वैद्य (जिला बहराइच)—अध्यक्ष महोदय, मैं श्री नारायण दत्त तिवारी के प्रस्ताव का समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं। प्रस्ताव जो इस सदन के सामने उपस्थित किया गया है उसकी कितनी बड़ी आवश्यकता है इसको प्रत्येक जिले में कार्यकर्ता और अधिकारी वर्ग देख रहे हैं। जमींदारी विनाश कानून तथा भूमि व्यवस्था कानून के पास हो जाने के बाद और खास तौर से जुलाई में इसकी घोषणा हो जाने के बाद शिकमी काश्तकारों को या जिनके अधीन खेत हैं उन पर किस तरह से वज्रपात हुआ है। किस तरह से लोगों ने जबर्दस्ती कब्जा करना शुरू कर दिया है। यह जिलों की रिपोर्ट से पता चल सकता है।

जब हमारी सरकार ने टैनेन्सी ऐक्ट पास किया था और यह कहा था कि शिकमी काश्तकार के क्या अधिकार हैं, जो शिकमी है वह बेदखल नहीं किया जा सकता है। उस समय जितने बड़े बड़े काश्तकार और ताल्लुकेदार थे जिनके नाम सीर और खुदकाश्तें दर्ज हैं। उन लोगों ने पटवारी को अपनी तरफ मिलाकर उनके इंदराज नहीं होने दिये

और जो शिकमी काश्तकार खेतों पर काबिज हैं उनके भी इन्दराज नहीं हैं। पिछले साल व्यवस्था की गई कि शिकमी काश्तकार को ५ वर्ष के बाद अधिकार होगा कि वह १५ गुना लगान जमा करके अपनी जमीन का भूमिधर बन सकता है। इस व्यवस्था का लाभ न उठाने देने के लिये हर प्रकार से कोशिश की गई और यह कोशिशें बड़े काश्तकारों और जमींदारों के जरिये की गई हैं जिससे उनके इन्दराज न हों।

जब पिछले साल बहुत अधिक जोर दिया गया और जगह जगह पर कोशिश की गई तो जो काश्तकार जमींन पर काबिज हैं उनका इन्दराज जरूर हो जाय तो उस समय पटवारी ने अपने जान बचाने के लिये और कानून की गिरफ्त में न आने के लिये बिला फैसला इन्दराज किया है। वह भी आज किन्हीं गलत तरीकों से किन्हीं कानून के आधार पर १८० के तेहत बेदखल किये जा रहे हैं। इस तरह के सैकड़ों केस मेरे जिले में आये हैं और जिलाधीश ने वास्तव में यह देखकर कि शिकमी काश्तकारों के साथ बहुत बड़ी ज्यादती हो रही है, उन्होंने उचित समझा और ऐसे काश्तकार जिन्होंने गलत तरीकों से यह शिकमी के जबर्दस्ती खेत जोत लिये थे उनके खिलाफ १०७ और ११७ की कार्यवाही की है जिसकी वजह से बहुत से शिकमी काश्तकारों के खेत बच सके हैं।

ऐसी अवस्था में जब कि नई व्यवस्था देश में बनाई जा रही है तो जरूरत इस बात कि है कि हमारे कागजात ठिकाने से दुरुस्त कर दिये जायं। उनके जरिये से जो हमारे शिकमी काश्तकार हैं या बटाईदार काश्तकार हैं जिनको बिला फैहला काश्तकार दर्ज कर दिये हैं उससे उनकी रक्षा हो सके, उससे उनको त्राण मिल सके। आज इस बात की आवश्यकता है। मैं यह नहीं कहता कि कोई हाई पावर कमेटी बनाई जाय लेकिन इस बात की आवश्यकता है कि सरकार की तरफ से जिला अधिकारियों को इस बात की आज्ञा होनी चाहिये कि वह पूरे तौर से जांच करके, गांव सभाओं के प्रधान को लेकर या कमेटी बनाकर या जाड़ों में जो तहसीलदारों या डिप्टी कलक्टरों का दौरा होता है तो उनका मुख्य काम यह होना चाहिये कि वह हर गांव में देखकर कागजात को दुरुस्त कर दें। कागजात की दुरुस्ती हो जाने पर वास्तव में जो काश्तकार जमींन का जोतने वाला है वह उससे लाभ उठा सके और गलत इन्दराज का फायदा बड़ा काश्तकार या जमींदार न उठा सके। इसलिये मैं यह समझता हूं कि यह प्रस्ताव जो सदन के सामने उपस्थिति किया गया है यह आवश्यक है। मैंने जैसा आपसे निवेदन किया बहुत जगह इन्दराजात किये गये हैं, इस भय से किये गये हैं शायद हमारे कागजात पकड़े न जायं लेकिन उसमें बिला फैसला एक साल के लिये दर्ज कर दिया गया। इस तरीके से सैकड़ों की तादाद में १८० की बेदखलियां हो रही हैं बल प्रयोग करके क्योंकि उनका शिकमी कागजात में कोई इन्दराज नहीं है और इस तरह से शिकमी काश्तकारों के बोये हुये, जोते हुये खेत जबर्दस्ती छीन लिये गये। गरीब किसान जो है उसके पास बल नहीं है, आर्थिक दशा इतनी अच्छी नहीं है कि वह मुकदमेबाजी कर सके। इस तरह बेचारे सैकड़ों की संख्या में घर बैठ रहे और संकड़ों की संख्या में जो हमारे पास आये उनकी जहां तक सहायता की जा सकी, जिले के अधिकारियों ने वास्तव में उनकी सहायता की और जो खेत बल प्रयोग करके ले लिये गये थे उनके दिलाने में पूरी पूरी सहायता की और उन लोगों के खिलाफ जिन्होंने कानून के खिलाफ बल प्रयोग किया था मुकदमा चलाया गया।

मैं समझता हूं कि सदन के सामने इस प्रस्ताव का आ जाना आवश्यक था ताकि हमारी सरकार जिस प्रकार से भी हो उन बटाईदार काश्तकारों की, शिकमी काश्तकारों की या उन बिला फैसला दर्ज हुये काश्तकारों की रक्षा समुचित रूप से कर सके। इन शब्दों के साथ में इस प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

श्री सुरेश प्रकाश सिंह (जिला सीतापुर)—अध्यक्ष महोदय, मैं श्री नारायण दत्त तिवारी द्वारा उपस्थित किये हुये प्रस्ताव का समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं। श्रीमान् यह तो सभी माननीय सदस्यों को मालूम है और खास तौर से उन माननीय सदस्यों को जो देहात से आये हैं कि जमींदारी उन्मूलन विधेयक के कारण और पहली जूलाई को उसके लागू हो जाने के कारण शिकमी काश्तकारों की एक बड़ी गम्भीर समस्या इस सूबे में हमारी सरकार के सामने आ गई है। परन्तु, श्रीमान् आपके द्वारा मैं इस भवन को अत्यन्त खेद के साथ यह बतला देना चाहता हूं कि इसकी पूरी पूरी और सारी जिम्मेदारी इस सरकार के ऊपर है, न जमींदार के ऊपर और न काश्तकार के ऊपर। यह सरकार जो आज इस सिद्धांत को मानती है और इसको अपनाती है और अपना कर आगे बढ़ा रही है कि जो शख्स जमीन को जोते और बोये उसी के पास जमीन रहनी चाहिये। यही सरकार १९३७ में इन्हीं सिद्धांतों पर चल रही थी परन्तु १९३७ में जो टेनेन्सी ऐक्ट अमेंडेड फार्म में आया उसमें सरकार ने शिकमी काश्तकार की इजाजत दे दी। नतीजा यह हुआ, श्रीमान् आज काश्तकारों को दिक्कतें उठानी पड़ रही हैं। मैं कहूंगा कि जमींदार के साथ बेइंसाफी भी हो रही है। एक कानून द्वारा १९३७ में जिस चीज की इजाजत दे दी गई हो अब वही सरकार दूसरे कानून द्वारा जमींदारों से उनकी जमीन छीन ले इसलिये कि उन्होंने शिकमी पर उठा दी थी, यह तो मैं नम्रतापूर्वक कहूंगा कि जमींदारों के साथ ज्यादती है और जो शिकमी काश्तकार ५ या ७ साल से किसी जमीन पर काबिज रहा हो, अब किसी कानूनगो या पटवारी की गलती या शैतानी के द्वारा जमींदार से मिल कर वह उसको वहां से हटा दे यह काश्तकार के साथ ज्यादती और बेइंसाफी है। तो श्रीमान् दोनों तरफ बेइन्साफी हो रही है। इसकी पूरी जिम्मेदारी सरकार के ऊपर है। मुझे दुख है कि इस प्रस्ताव के विरोध में एक माननीय सदस्य ने कहा कि इसको इसलिये मंजूर न करना चाहिये कि इससे मुकदमेबाजी और लड़ाइयाँ और बढ़ेंगी। एक ऐसा कानून नहीं बनना चाहिये जिससे कि देहात में काश्तकार और जमींदारों को यह मालूम हो कि जमींदारी उन्मूलन विधेयक पर्याप्त नहीं था इसलिये और कानून बनाना पड़ा।

मेरे माननीय मित्र भूल गये कि आज ही इस भवन में एक उत्तर प्रदेश भूमि व्यवस्था अनुपूरक विधेयक माल मंत्री जी की ओर से टेबिल हुआ है। उसमें १३५९ फसली में जो काबिज हैं उनको अधिवासी मानने के लिये व्यवस्था की गई है। श्रीमान् मैं तो यह समझता हूं कि जो हाई पावर कमेटी का प्रस्ताव माननीय नारायण दत्त जी ने किया है वह लिटिगेशन नहीं बढ़ायेगा झगड़ा नहीं बढ़ायेगा। इससे तो अदालत में जाना बच जायेगा। आप जानते हैं कि देहात में चाहे जमींदार हो, चाहे काश्तकार हो, चाहे एम० एल० ए० हो, चाहे अफसर हो, कोशिश इस बात की की जाती है और खासकर आजकल के जमाने में यही इच्छा रहती है कि अगर कोई झगड़ा हो तो वह आपस में ही तय हो जाय क्योंकि हर शख्श इस बात को जानता है कि अदालत में जानने से कितना समय बर्बाद होगा, कितनी दिक्कत होगी और कितना रूपया खर्च होगा। इसलिये मान लीजिये कि मेरे ही चुनाव क्षेत्र में कोई ऐसी समस्या आ खड़ी हो कि जहां पर सैकड़ों या हजारों काश्तकार बेदखल किये जा रहे हों और काश्तकारों का कहना यह हो कि उनके साथ ज्यादती की जा रही है तो क्या हर्ज है कि अगर मैं जिलाधीश के पास जाऊं और जिलाधीश के अंडर या किसी और अफिसर के अंडर में जो कमेटी बिठायी जाय उसके सामने काश्तकारों या जमींदारों के जितने मामले हों उनको ले जाया जाय और जिनका आपस में झगड़ा हो उसकी वहां पर कोशिश की जाय कि वह उसी कमेटी में तय हो जाय तो अच्छा है। उसके बाद आगे भी दरवाजा खुला है।

मेरा ख्याल यह है कि माननीय नारायण दत्त जी का यह मन्शा नहीं है कि यह कमेटी अदालत का स्थान ग्रहण कर ले और यह कमेटी अदालत बनकर बैठ जाय या वहां पर वकील आयें या उसके निर्णय के बाद जमींदार या काश्तकार अदालत में न जा सकें। यह अनुपूरक विधेयक इस भवन से जब पास हो जायगा तो मुझे अन्देशा है कि जिन काश्तकारों के साथ

बेइन्साफी हो रही हो उनको किसी तरह से बचाने के साथ ही झगड़ा भी और पैदा होगा और यहां तक झगड़े पैदा होंगे कि उन झगड़ों पर काबू पाना सरकार के लिए मुश्किल हो जायगा। यह कमेटी वहां पर सरकार सहायक होगी और इस कमेटी को मैं समझता हूं कि सरकार की, जमीदार की और काश्तकार की इन तीनों की सहायता मिलेगी और मैं कोई वजह नहीं देखता हूं कि इसमें इन्साफ न हो सके या कोई ऐसी दिक्कत सरकार के सामने या जनता के सामने पेश होगी जिससे यह कहा जाय कि इस प्रस्ताव को हरगिज स्वीकार नहीं करना चाहिये ।

श्री गेंदा सिंह (जिला देवरिया)---अध्यक्ष महोदय, मैं नारायण दत्त तिवारी जी के प्रस्ताव के संबंध में कुछ कहना चाहता हूं। मैं तो माननीय सुल्तान आलम खां के वक्तव्य के बाद ऐसा समझता था कि उनकी मुखालफत माननीय माल मंत्री जी करेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अब मुझे उसके लिये खड़ा होना पड़ रहा है और लोगों ने भी इसका समर्थन किया है, लेकिन मैं उस संबंध में कुछ न कहकर केवल इतना कहना चाहता हूं कि माननीय माल मंत्री की तरफ से जो अनुपूरक विधेयक आया है और जो यह प्रस्ताव है उसमें कितना अन्तर है इसको आप देखें। मैं इस अनुपूरक विधेयक के उद्देश्य के दो वाक्य पढ़ना चाहता हूं। "सरकार को इस आशय की बहुत सी शिकायतें मिली हैं कि भूमिधर और सीरदारों के खातों की भूमि में खेती करने के रूप में काबिज बहुत से व्यक्ति भूमि से जबरदस्ती बेदखल किये जा चुके हैं या किये जा रहे हैं।"

फिर अब इस बात के बतलाने की जरूरत नहीं है कि इस प्रस्ताव को पास करने की कितनी अहमित है। फर्क सिर्फ इतना है कि माल मन्त्री जी की तरफ से जो बिल आया है उसको हम पास करें या नारायण दत्त जी की तरफ से जो आया है उसको पास करें। मेरी यह निश्चित राय है कि माल मन्त्री जी ने जो प्रस्ताव रखा है उससे वह जरूरत रफा नहीं होती और नारायण दत्त जी के प्रस्ताव से जरूरत रफा होती है। डर इस बात का लगता है कि जनाब सुल्तान आलम खां को कि मुकदमेबाजी बढ़ेगी लेकिन मैं समझता हूं कि अगर माल-मन्त्री जी का बिल इसी रूप में पास हो गया तो आप निश्चित समझें कि उससे मुकदमेबाजी बढ़ेगी, क्योंकि उसमें गुंजाइश है कि जहां पर वह आवश्यकता समझेंगे वहां पर एक अफसर की नियुक्ति करेंगे और वह जैसा मुनासिब समझेगा उस तरह से मुकदमों का फैसला करेगा और कागजात को ठीक करायेगा ।

अनुभव हमारा यह है कि कुछ जिलों में लैंड रिकार्ड आपरेशन सन् ३८ में हुये थे। वह जिन हिस्सों में हुये थे वहां कितनी मुकदमेबाजी हुई है इससे यह सदन वाकिफ है। महाराज और फरेंदा तहसीलें जिनके बारे में कल बहुत बहस हुई वहां जो लैंड रिकार्ड आपरेशन के जरिये से एन्ट्री हुई थीं उस पर कितनी मुकदमे बाजी हुई, मारपीट हुई और खून खराबी हुई और उसके बाद हम किस नतीजे पर पहुंचे हैं। जहां पर भी वह आपरेशन हुये हैं वहां पर हम किसी सही नतीजे पर पहुंचे हैं। इसमें शुबहा है और साथ साथ इस में कितने मुकदमेबाजी हुई है और कितना पैसा लोगों का खर्च हुआ है यह सोचने की बात है। मैं समझता हूं कि हाई पावर कमेटी मुकर्रर की जाय और उस की परेशानी को दूर करने के लिय या माननीय सुल्तान आलम खां की परेशानी को दूर करने के लिये उसको जिले में एक जगह बैठकर फैसला करने का अधिकार न हो बल्कि वह घूम कर और मौके पर निजी तौर पर जानकारी करने के बाद वह फैसला दे इस तरह से मुकदमेबाजी बढ़ेगी नहीं और बल्कि और घटेगी ।

दूसरी बात यह है कि इस हाई पावर कमेटी को यह अख्तियार न हो कि वह लैंड रिकार्डस को दुरुस्त कर दे बल्कि जैसी हैसियत काश्तकार की हो, चाहे वह सीरदार हो या नये कानून से वह जिस श्रेणी में भी आये उस श्रेणी में उसका नाम लिखाया जाय और जैसा कि माल मंत्री जी के प्रस्ताव में है अगर हम १३५९ को ही मानकर उन्हें अधिवासी

[श्री गेंदा सिंह]

बना दें तो मैं इस पर विवाद करना नहीं चाहता, लेकिन मैं समझता हूं कि नारायण दत्त जी के प्रस्ताव के बाद सदन को व्यर्थ अपना समय नष्ट न करना पड़ेगा और न माल मंत्री महोदय को इतना परिश्रम करना पड़ेगा। १३५९ में जो इन्द्राज हुये हैं उन की तारीफ तो माननीय माल मंत्री का ध्यान जाना चाहिये था। उनके बारे में यह भी कहा जा सकता है कि वे ज्यादातर गलत ही हुये हैं।

(इस समय १ बजकर १५ मिनट पर सदन स्थगित हुआ और २ बजकर १५ मिनट पर उपाध्यक्ष, श्री हरगोविन्द पन्त, की अध्यक्षता में सदन की कार्यवाही पुनः आरम्भ हुई।)

श्री गेंदा सिंह--माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह कह रहा था कि नारायण दत्त जी का प्रस्ताव अधिक उपयुक्त है और उसे सरकार को स्वीकार करना चाहिये। उसे स्वीकार होने से, चाहे दर्ज हुए काश्तकार हों और चाहे किसी का नाम न भी दर्ज हो, सबको बड़ी राहत मिलेगी। जिन लोगों का नाम दर्ज होने पर भी उन्हें बीच में जबरदस्ती बेदख़ल कर दिया गया है यह जानकर कि जमींदारी विनाश कानून के भीतर यह अधिकार दिया था, कि सन् १३५६ फसली में जिनका नाम दर्ज है वे काश्तकार मान लिये जावेंगे, वे सीरदार माने जावेंगे, इस डर से बड़े लोगों ने जिन्होंने कि खेत कमजोरों को दिये थे काम लेने के ख्याल से या और तरीक़े से उनको बेदख़ल कर दिया। तो उनकी जांच होना और उनका अधिकार फिर से देना जरूरी मालूम होता है।

दूसरे यह कि १३५७ और १३५८ फसली में भी ऐसे लोगों के नाम दर्ज थे या ऐसे लोग भी थे जिनका नाम नहीं दर्ज हुआ लेकिन वे पहले से उस खेत पर काबिज थे। ऐसे लोग भी बेदख़ल किये गये हैं। इन दोनों तरह के लोगों का भी ध्यान रखना जरूरी हो जाता है। इससे मुकदमेबाजी घटेगी। जमींदारी उन्मूलन कानून के बाद यदि किसी को बेदख़ल किया जाता है, चाहे वह शिकमी है चाहे किसी तरह का है, ऐसी हालत में उस कानून का मंशा ही खत्म हो जाता है। उस कानून का मंशा यह नहीं था कि जो लोग जमीन जोतते चले आये हैं वे बेदख़ल किये जायं। इस कानून से लोगों को बड़ी आशायें थीं। लेकिन अगर १९३९ के काश्तकारी कानून के पास होने के बाद कुछ जिलों में १७१ और १८० के मुताबिक़ किसान बेदख़ल किये गये तो उसकी सारी बुराई की जिम्मेदारी कांग्रेस की हुकूमत पर होनी चाहिये। तो मैं माननीय मंत्री जी से यह आग्रह करूंगा कि इस प्रस्ताव को स्वीकार करके आज उन हजारों काश्तकारों के साथ जो बेदख़ल किये जा रहे हैं या हो चुके हैं न्याय करें और उनका अधिकार दिलावें।

मैं समझता हूं कि पंचायत राज्य कानून के मातहत पटवारी के कागजात देखने का हक़ है गांव सभा के अधिकारी को भी लेकिन यह प्रैक्टिस में नहीं है। न किसी पटवारी के काग़ज़ को देख कर कहीं कोई दुरुस्ती कराने की बात मालूम हुई है। लेकिन नारायणदत्त जी तो यह कहते हैं कि जिले के लेविल पर वह हाई पावर कमेटी बने। होना तो यह चाहिये था कि गांव सभा को हम इतना अधिकार देते कि वह इस तरह के लोगों को बेदख़ल होने से रोके और उनके अधिकार की रक्षा करे और उस ग़लती को ठीक कराये। पंचायत राज कानून बनाने के समय सरकार का भी ऐसा मंशा था लेकिन मालूम नहीं पंचायतों के चुनाव होने के बाद सरकार का ख्याल किस लिये बदला जिससे कि उस अधिकार पर काम करने के लिये उन्हें प्रेरित नहीं किया गया है। यदि सरकार यह हाई पावर कमेटी मान लेगी तो इससे उन हजारों और लाखों लोगों का कल्याण होगा जिनका कल्याण करने का यह सरकार दावा करती है। और ख़ासतौर से जिसके ऊपर अभी हमारा सदन बहस कर चुका है यानी हरिजनों और पिछड़े लोगों की अवस्था सुधारने के ऊपर। मैं समझता हूं कि इस तरह की एक हाई पावर कमेटी बना दी जाय और उनको मुकदमेबाजी में न डाला जाय तो वैसी हालत में सबसे ज्यादा लाभ अगर किसी का हो सकता है तो

वह ऐसे ही हरिजनों और पिछड़े लोगों का लाभ हो सकता है। हरिजन मुक़दमेबाजी नहीं करेंगे। अगर आधा, पौन या चौथाई एकड़ का मुकदमा अदालतों में जायगा, चाहे वह लैंड रिकार्ड आपरेशन का ही मुकदमा क्यों न हो लेकिन उस मुकदमे की पैरवी वे नहीं करेंगे और न उसके लिये गवाह शहादत ही पेश करेंगे जिससे कि वे अपने मुकदमे को जीत सकें। इसलिये यह जरूरी हो जाता है कि फिर हम एक ऐसी कमेटी बनावें जिस कमेटी को यह अधिकार दिया जाय कि वह बहुत मुकदमेबाजी के चक्कर में, टिकट और फार्म के चक्कर में न जाय और वह बहुत आसानी के साथ जल्दी से जल्दी मुकदमों के फैसले दे सके। मुकामी तौर पर अगर ये मुकदमे सुने जा सकेंगे तभी इन लोगों का कल्याण हो सकता है।

एक बात मैं सिर्फ याद दिलाना चाहता हूं कि हमारे माल मंत्री और एक बार पंडित जवाहरलाल जी भी सन् ४१ में गोरखपुर जिले में गये थे तो उन्होंने कुछ एक लाख आदमियों के मुकाबले में यहां तक कहा था कि जिस वक्त हमारी हुकूमत होगी उस वक्त हम तो इन पटवारियों के कागजात को फाड़ कर फूंक देंगे। मैं इस वक्त फूंकने और फाड़ने की बात तो नहीं कहता हूं, मैं तो सिर्फ इतना कहता हूं कि आप उन लोगों के ऊपर भरोसा कीजिये जिनके भरोसे पर हम और आप यहां असेम्बली में आये हैं। मैं समझता हूं कि अगर इन मुकदमों का फैसला करने के लिये हाई पावर कमेटी बने और ऐसी कमेटीज से मुकामी तौर पर मुकदमों का फैसला करवाया जाय तो उससे जो नीचे के लोग हैं उन्हीं का कल्याण होगा। इसमें कोई ऐसी बात नहीं होनी चाहिये कि चूंकि आपोजीशन (विरोधी पक्ष) ने ऐसा कहा है तो उसे इंकार कर दिया जाय।

माल मंत्री (श्री चरण सिंह)--उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या इसके लिये एक ही घंटा रखा गया है?

उपाध्यक्ष--डेढ़ घंटे रखे गये हैं। यह तीन बजे समाप्त हो जायगा।

श्री चरण सिंह--अगर कोई एतराज न हो तो मैं कहूंगा कि इसके लिये कुछ और समय दे दिया जाय तो अच्छा हो। क्योंकि यह जरूरी नहीं है कि चारों प्रस्ताव आज ही खत्म हों। कभी कभी लोगों को प्राइवेट रेज्योलूशन के ऊपर भी तो खुलकर अपने ख्यालात के इजहार करने का मौका मिलना चाहिये।

उपाध्यक्ष--मुझे मुश्किल की बात यह मालूम होती है जब एक चीज पहले तय हो चुकी है तो फिर उसके पीछे जाना कहां तक मुनासिब होगा।

श्री अवधेश प्रताप सिंह (जिला फैजाबाद)--उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके द्वारा माननीय मंत्री महोदय से अनुरोध करूंगा कि कुछ समय हम लोगों को भी दे दिया जाय।

सदस्यगण--वही तो वे स्वयं कह रहे हैं।

श्री अवधेश प्रताप सिंह--तो मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि मुझे भी कुछ समय दिया जाय।

श्री चरण सिंह--मैं समझता हूं कि अगर तीन ही बजे तक का वक्त है तो १० मिनट किसी और सज्जन को दे दिया जाय। मेरे लिये तो २५ मिनट काफी होता है।

श्री अवधेश प्रताप सिंह--तो मुझे ५ मिनट दे दिया जाय।

उपाध्यक्ष--प्रस्तावक महोदय भी तो बोलेंगे।

श्री राजनारायण (जिला बनारस)-- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि जब सदन पूर्णरूप से, विरोधी पक्ष भी और सरकारी पक्ष भी यह चाहता है कि यह ऐसा महत्वपूर्ण विषय है कि इस पर ज्यादा विचार विमर्श होना चाहिये, तो मैं आपसे निवेदन करूंगा कि अगर इसी आइटम नं० २ पर बहस करने के लिये २ घंटा और समय बढ़ा दिया जाय तो मैं समझता हूं कि इसमें अधिकार से बाहर जाने की कोई बात नहीं होगी।

श्री चरण सिंह--मुझे तो कोई आपत्ति नहीं है। मेरी तो राय है कि साढ़े तीन बजे तक वक्त रखा जाय।

उपाध्यक्ष--तो मैं इस पर राय लिये लेता हूं।

प्रश्न यह है कि इस संकल्प के लिये साढ़े तीन बजे तक समय बढ़ा दिया जाय?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री सुरेश प्रकाश सिंह--श्रीमान्, मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या साढ़े तीन बजे के बाद फिर नं० ३ लिया जायगा?

उपाध्यक्ष -- जी हां।

श्री अवधेश प्रताप सिंह--माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इसके पूर्व कि मैं कुछ कहूं मैं आपके द्वारा सदन को यह बतलाना चाहता हूं कि संयुक्त दल जिसका मैं भी एक सदस्य हूं हमारे उपनेता श्री सुरेश प्रकाश सिंह जी ने हमको यह अधिकार दिया है और हर सदस्य को स्वतंत्र कर दिया है कि इस विषय पर जो उनका मत हो उसे वे प्रकट करें। इसलिये मैं उनको धन्यवाद देता हूं और कोई गलतफहमी न हो, लोग यह न समझें कि हमारी पार्टी में कोई फूट पड़ गयी। इसलिये मैंने पहले यह अर्ज कर दिया है। श्री नारायण दत्त तिवारी का जो संकल्प है उसको पढ़ कर मैं सुनाना चाहता हूं।

"चूंकि दस पन्द्रह वर्ष से भी अधिक समय से खेत जोतने वाले शिकमी, बटाईदार किसानों का नाम पटवारी के कागज में दर्ज न होने से शिकमी व बटाईदार काश्तकार बेदखल हो रहे हैं, जमींदारी उन्मूलन के बाद उनके बेदखल होने का और भी ज्यादा डर है।"

उसके बाद वह कहते हैं कि हाई पावर कमेटी बनाई जाय।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह नहीं समझ पाता कि इसकी आवश्यकता क्या है। यदि वे यह चाहते हैं कि हर जिले में एक एम० एल० ए० राज हो जाय तब दूसरी बात है। या वह यदि यह प्रशंसा चाहते हैं कि उन्होंने एक ऐसा प्रस्ताव किया जो कि काश्तकारों के हित के लिए है तब तो वह दूसरी बात है वरना जहां पर वह यह कहते हैं कि दस साल और पन्द्रह साल से लोगों के नाम कोई खाता, या पटवारी के कागज में कोई इन्दराज नहीं है जब कि वह काबिज हैं और वह बहुत पीड़ित और दुःखी हैं, जब वह यह कहते हैं कि तो उनको यह याद रखना चाहिये कि यू० पी० लैंड रेवेन्यू ऐक्ट में भी प्राविजन है कि जब किसी भी खेत पर कोई काश्तकार या कोई भी दुखी और पीड़ित काबिज हो, और उसका जो जोत में कब्जा रहते हुए भी अगर इन्दराज न हो तो दुरुस्ती कागजात की दरख्वास्त दे सकता है और इसके लिए पहले, दफा ३९, लैंड रेवेन्यू ऐक्ट में प्राविजन (उपबन्ध) था, जो कि अब जमींदारी अबालिशन ऐंड

लैंड रिफार्म्स ऐक्ट द्वारा संशोधित हो गयी है। जो माननीय सदस्य इसको पढ़ना चाहें वह पढ़ सकते हैं। लेकिन अब वह धारा संशोधित हो चुकी है लिहाजा अब जमींदारी अबालिशन ऐंड लैंड रिफार्म्स ऐक्ट की वही धारा मानी जायगी।

Substitute the following for the existing section 39 :

"The Collector may on his own motion and shall on the application of any person correct any mistake or error in the annual register arising from any accidental slip or omission"

[वर्तमान सेक्शन ३९ के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय---"कलेक्टर वार्षिक पूंजी में उन गलतियों को या भूलों को जो किसी आकस्मिक अनवधानता से या अतिक्रम से हो गयी हों अपनी ओर से सही कर सकता है और किसी व्यक्ति के आवेदन-पत्र पर उसे सही करना पड़ेगा"]

यह था कि हर किसान या जो भी इससे दुखी हो जिसका नाम पटवारी के कागज में न हो वह दफा ३९, यू० पी० लैंड रेवेन्यू ऐक्ट, जैसी कि वह जमींदारी अबालिशन ऐंड लैंड रिफार्म्स ऐक्ट द्वारा संशोधित हुई है, उसके अनुसार वह कार्यवाही कर सकता है। साथ ही साथ मैं यू० पी० लैंड रेवेन्यू ऐक्ट की धारा ४० भी पढ़ रहा हूं जिससे अभी यह स्पष्ट हो जायगा कि उनको अधिकार है।

"All disputes regarding entries in the annual register shall be decided on the basis of petition. If in a case of enquiry into a dispute under this section . . . ."

[वार्षिक पूंजी में प्रविष्टियों के सम्बन्ध में समस्या झगड़े में प्रार्थना-पत्र के आधार पर निर्णीत होंगे। यदि इस सेक्शन के अन्तर्गत किसी झगड़े में जांच का मामला हो. . .]

उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह बता देना चाहता हूं कि जमींदारी अबालिशन ऐंड लैंड रिफार्म्स ऐक्ट के अनुसार इस जगह अब कलेक्टर के स्थान पर तहसीलदार हो गया है।

"If the Collector is unable to satisfy himself as to which party is in possession he shall ascertain by summary enquiry who is the person best entitled to the property and shall put such party in possession."

[यदि कलेक्टर को सन्तोष न हो कि कौन सी पार्टी का कब्जा है तो उसके लिये आवश्यक होगा कि वह सरसरी जांच से निश्चित करे कि किस व्यक्ति का सम्पत्ति पर सबसे अधिक अधिकार है और वह उसको कब्जा दिला देगा।]

धारा ३९ और धारा ४० को देखते हुए अगर किसी किसान का नाम पटवारी के कागज में दर्ज नहीं है तो यह उसके अधिकार क्षेत्र में है कि वह तहसीलदार के पास जाकर यह दरख्वास्त दे कि इन्दराज मेरे नाम में हो और उसकी दुरुस्ती हो सकती है। अगर यह कहा जाय कि बटाई उनकी दर्ज है तब तो कोई दिक्कत नहीं है उसके लिये और पट्टे के लिये उनके पास राह है। इन सब चीजों के देखते हुए यह जाहिर है कि यू० पी० लैंड रेवेन्यू ऐक्ट और जमींदारी अबालीशन ऐक्ट में भी हर जगह उसका प्रबन्ध किया गया है कि काश्तकार किसी तरह से परेशान न किया जाय। अब यह कहा जाय कि माल मंत्री जी भी जमींदार और ताल्लुक़ेदार हैं तो इससे बढ़ कर अन्याय और क्या हो सकता है।

मेरे लिये यह कहा जा सकता है, मैं एक छोटा ताल्लुकेदार था, लेकिन माल मंत्री के लिये यह नहीं कहा जा सकता। आज कांग्रेस ने किसानों के लिये बहुत कुछ किया है।

[श्री अवधेश प्रताप सिंह]

जिन लोगों से जबरदस्ती खेत निकाल लिये जाते थे उनके लिये दफा ८३ यू० पी० टेनेंसी ऐक्ट एक साधन था जब कि वह कम्पेंसेशन जमींदारों से या जिन लोगों ने उन्हें निकाला है उनसे ले सकते हैं। यह कोई नई चीज नहीं है। यू० पी० टेनेंसी ऐक्ट, ३९ में आया और उसकी दफा ८३ मौजूद है। वह किसान जो जबरदस्ती किसी अपने खेत से हटा दिये गये हैं वह मुआविजा ले सकते हैं और अपने खेतों पर काबिज हो सकते थे। तो यह कहा जाय कि जमींदार किसानों को निकालेंगे और जैसा कि माननीय सदस्य बहराइच के पं० भगवानदीन मिश्र ने यह फरमाया था कि जमींदारों और ताल्लुक़ेदारों ने यह किया है कि काश्तकारों के पास खेत है, लेकिन किसी तरह से पटवारी को मजबूर करके अपने नाम इन्दराज करा लिया है, या उनके नाम दर्ज है और सीर और खुदकाश्त की है तो मैं आपके जरिये सदन का ध्यान इस ओर आकर्षित करूंगा कि यू० पी० टेनेंसी ऐक्ट, यू० पी० लैन्ड रेवेन्यू ऐक्ट मौजूद हैं। टेनेंसी ऐक्ट तो नहीं है लेकिन जमींदारी अबालीशन ऐण्ड लैंड रिफार्म्स ऐक्ट है उसमें भी उपाय है और यू० पी० लैंड रिफार्म्स ऐक्ट भी अमेंडेड फार्म में मौजूद है कि जिसमें किसान दुरुस्ती कागजात की दरख्वास्त दे सकता है। पंचायती अदालत और गांव सभा से कोई बात छुपी हुई नहीं है। वहां जो केस जाते हैं उनके फैसले बिल्कुल न्यायपूर्ण ही होते हैं और हमेशा जब कोई किसान वहां गया है तो उसकी तकलीफें दूर हुई हैं और आयंदा चल कर भी दूर हो सकती हैं।

आज जब मैं सदन में आया तो आते ही मैंने देखा कि हमारे माननीय माल मंत्री महोदय जमींदारों पर विशेष कृपा और कर रहे हैं। उन्होंने एक बिल पेश किया है जिसमें से मैं पढ़ कर सुना दूं। यह अभी बिल है, ऐक्ट नहीं है। सरकार इसमें भी एक असिस्टेंट कलेक्टर की देखभाल में काम करने जा रही है जो कि स्पेशल आफिसर कहलायेगा। और उसका यह काम होगा कि वह यह पता लगावे कि १३५९ फसली में इन्दराज या १३५९ फसली में कब्जा किस का था।

अगर माननीय नारायण दत्त तिवारी यह कहते हैं कि दस या १५ वर्ष पूर्व जो लोग अपनी जोत पर काबिज थे और आज उनका नाम नहीं है, तो इस बिल को देखते हुये जब कि सरकार एक स्पेशल आफिसर इस बात के लिये अप्वाइंट (नियुक्त) कर रही है कि वह जाकर देखे कि १३५९ फसली में किसका कब्जा था, मैं यह कहता हूं कि दस पन्द्रह साल की बात छोड़ दीजिये वे किसान जिनका कब्जा १३५८ या १३५९ फसली में था उनके भी खेत नहीं लिये जा सकेंगे। इन साधनों के रहते हुये इस प्रस्ताव का कुछ अभिप्राय मेरी समझ में नहीं आता।

मैं आपके सामने तीन कानूनों का हवाला दे चुका हूं और सब जगह आप यह पाइयेगा कि आज कोई ऐसी बात नहीं है जिसके लिये कोई समुचित उपाय ढूंढ़ा जाय। यह बहुत पुरानी चीज है। आज से पहले भी अगर कोई किसानों की जमीन ले लेता था तो धारा १८३ उनके पास मौजूद थी। अगर इन्दराज नहीं होता था तो धारा ४० यू० पी० लैंड रेवेन्यू ऐक्ट के अधीन वे दुरुस्ती कागजात कराते थे। अब एक दूसरा बिल आ रहा है जिसके द्वारा स्पेशल आफिसर अप्वाइंट होने जा रहा है जो यह सब चीजें देखेगा। ऐसी परिस्थिति में हाई पावर या लो पावर कमेटी का कोई प्रश्न ही नहीं उठता।

एक माननीय सदस्य ने फरमाया था कि यह कार्य एम० एल० एज० के सुपुर्द कर दिया जाय। जहां तक मैं समझता हूं एम० एल० एज० का कार्य केवल इस सदन में है। यदि वे इस तरह से अपना कार्यक्षेत्र बढ़ायेंगे और अपने जिले में जा करके सेटिलमेंट आफिसर का काम करेंगे, तो मैं समझता हूं कि इस तरह से एम० एल० ए० राज्य स्थापित हो जायगा। आज यह कहा जाता है कि जिलों में वहां के आफिसर्स खराबियां करते हैं, लेकिन मैं यह कहूंगा कि उनकी जो खराबियां हैं उसके जिम्मेदार हम ही लोग हैं। ऐसी

परिस्थिति में मैं इसका घोर विरोध करता हूं और आशा करता हूं कि सदन किसी भी दशा में इसकी स्वीकृति नहीं प्रदान करेगा।

श्री रामनरेश शुक्ल (जिला प्रतापगढ़)—माननीय अध्यक्ष महोदय, यह जो प्रस्ताव श्री नारायण दत्त जी ने रखा है इसको मैं अनावश्यक समझता हूं और इसका विरोध करने के लिये खड़ा हुआ हूं। जब मैं इसका विरोध करता हूं तो इसका मतलब यह नहीं है कि हमें यह पता नहीं है कि प्रान्त के प्रत्येक जिले में किसानों से जमीन छीनी गयी है। इसे हम जानते हैं कि कोई जिला ऐसा नहीं है जहां जमींदारों ने, या पुराने जमींदारों ने या उनके आदमियों ने किसानों से जमीनें न छीनी हों। यहीं नहीं हुआ है बल्कि बड़े बड़े काश्तकारों ने भी अपने शिकमी काश्तकारों से जमीनें छीन हों। यह सूचना है सरकार को और इस सूचना के रहते हुये इसपर विचार किया गया और यह प्रस्ताव को आये थोड़े ही दिन हुये होंगे, जब बजट का अधिवेशन हो रहा था तब हमारे माननीय माल मंत्री ने अपने भाषण में इस बात का इशारा किया था कि वे कोई इस प्रकार का कानून लाने वाले हैं जिसके द्वारा छीनी हुई जमीनें वापस हो जायं। तो इसको मानते हुये कि आज बहुत सी जमीनें काश्तकारों से छीनी गयी हैं यह जरूरत महसूस हुई कि हमारी तरफ से कोई कानन आवे और आज प्रातःकाल जब हमलोग यहां पर आये तो एक उत्तर प्रदेश भूमि व्यवस्था (अनुपूरक) विधेयक, १९५२, का कानून मिला। इसको पढ़ने के बाद और श्रीमान्, नारायण दत्त जी के प्रस्ताव को पढ़ने के बाद गोकि मुझे भी कुछ थोड़ा सा दावा कानून के जानने और समझने का है मैं समझ नहीं पाता कि वे इस हाई पावर कमेटी के द्वारा कितने पावर का बल्ब लगाना चाहते हैं जिसके प्रकाश से वे काश्तकारों को जमीन देना चाहते हैं। यह तो १०, १५ वर्ष की बात कहते हैं मगर हम तो यहां तक कहते हैं कि १३५९ में जिस काश्तकार का क़ब्जा जमीन के ऊपर रहा हो उसको क़ब्जा दिलवा दिया जाय और उसको अधिवासी काश्तकार मान लिया जाय। तो इस कानून के आ जाने के बाद, जिस पर भवन थोड़े ही दिनों में विचार करेगा, मैं समझता हूं कि इस प्रकार का प्रस्ताव अनावश्यक है और जो इतना समय भवन ने इस पर लगाया एक तरीके से व्यर्थ हुआ। अच्छा होता कि यह समय इस कानून के पेश होने पर हम लोग लगाते। इसके साथ ही साथ यह भी कहना आवश्यक है कि आपकी सलाह में तो एक कमेटी होनी चाहिये जो चार पांच आदमियों की हो जिसमें एम० एल० एज० हों, गांव सभा के आदमी हों, पंचायती अदालत के आदमी हों और न जाने कहां कहां के हों और वे लोग मिल कर फैसला करें। लेकिन जो भविष्य में कानून होने वाला है उसमें तो अधिकार एक व्यक्ति को दिया जा रहा है और वह व्यक्ति एक आफिसर क्लास का होगा, यह भी नहीं कि किसी ऐसे वैसे आदमी को दे दिया जाय। तो वह अकेला आदमी विचार कर फैसला करेगा और जो सही चीज होगी उसको कागज में इन्दराज करवा देगा।

जहां तक इस ओर इशारा किया गया है कि गांव सभाओं को भी दुरुस्ती का अधिकार दिया गया था मगर उसे भी वापस लिया जा रहा है तो इस बात की सूचना तो हमें नहीं है लेकिन ऐसा तजुर्बा जरूर है कि ऐसी बड़ी चीज के लिये एक जिम्मेदार आफ़िसर को लगाना जरूरी है, क्योंकि काग़ज़ात दुरुस्ती के जो तजुर्बात हुये हैं पंचायती अदालतों से यह जरूरी नहीं है कि उनका जिक्र यहां किया जाय, लेकिन जो तजुर्बा हुआ है अगर उसको इशारतन बता दिता जाय तो वह बड़ा कटु अनुभव हुआ है और यह सत्य है कि जैसी आशा की जाती थी, जिस तरीके से उनका निर्णय होना चाहिये था उस तरीके से उनका निर्णय हुआ नहीं। ये किसान की हमदर्दी करने वाले अगर इस बात को भी सोचें कि अधिकतर जगहों पर पंचायती अदालतें ऐसे लोगों के हाथों में पहुंच गयी हैं जिन से किसानों का हक़ सुरक्षित नहीं है। वहाँ पर जिस तरीक़े से फैसले हुये हैं उनको देखने के बाद इस तरह की कमेटी का बनाना केवल खतरनाक ही नहीं बल्कि भयंकर है।

तो मैं तो, उपाध्यक्ष महोदय, आपके द्वारा श्री नारायण दत्त जी से यह प्रार्थना करूंगा कि उन्हें तो काम से मतलब, यह कोई जरूरी नहीं है कि उनका प्रस्ताव पास हो जाय और सारे प्रांत

[श्री राम नरेश शुक्ल]

भर में ऐलान हो जाय कि समाजवादी पार्टी की तरफ से एक प्रस्ताव आया और उसके द्वारा जिनके पास भूमि नहीं थी उनको भूमि मिल गयी। अगर यह मंशा नहीं है और मैं जानता हूं कि यह मंशा कभी हो नहीं सकती क्योंकि मुझे उनकी नियत पर इत्मिनान है, तो फिर क्या जरूरत है ऐसे प्रस्ताव को लाने की। जब सूरज खुद निकल आया है तो एक चिराग ले कर रोशनी करने का प्रयत्न मैं सही नहीं समझता हूं। इस कानून के आ जाने के बाद उन्हें चाहिये यह था कि आज प्रातः काल आते और हमारे माल मंत्री के पास जाकर उन्हें धन्यवाद देते और उसके बाद खड़े होकर कहते कि हमें प्रसन्नता हुई कि जिस उद्देश्य को ले कर मैंने यह प्रस्ताव उपस्थित किया था वह हमारे माल मंत्री जी ने पूरा कर दिया। इसलिये उन्हें धन्यवाद देता हूं और अपने प्रस्ताव को वापस लेता हूं। मुझे इत्मीनान है कि वह इस मंशा को समझ कर अपने प्रस्ताव को वापस कर लेंगे।

श्री राज नारायण---माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य सुल्तान आलम, भगवानदीन जी और अन्त में राम नरेश जी शुक्ल को सुनने के बाद मुझे अवश्यकता हुई कि अब कुछ कहूं। यह बिल जब आता तो हम इसकी धाराओं पर बहस करते तो अच्छा होता। मगर मैं थोड़े ही में आदरणीय उपाध्यक्ष महोदय, जरा यह बतला देना चाहता हूं कि जिस तरह से कि हमारे एडजर्नमेंट मोशन (स्थगन प्रस्ताव) की स्पिरिट (भावना) को मारने के लिये एक प्रस्ताव आया था उसी तरह से हमारे इस प्रस्ताव की स्प्रिट को मारने के लिये बिल प्रस्तुत किया गया है। इससे बहुत कुछ अंश हमारे प्रस्ताव का मर जायगा इस बात को श्री रामनरेश जी समझ लें।

इस बात की मुझे खुशी है कि जिस समय मैं सैकड़ों काश्तकारों की दरख्वास्तों को लेकर माननीय माल मंत्री जी के पास गया था तो उन्होंने कहा था कि हम ऐक्ट में संशोधन करने वाले हैं। जब नियमों पर विचार करने के लिये कमेटी की मीटिंग हुई थी तो उस समय भी ऐसी बात आई थी। जरा इस ऐक्ट की दफा १६ के क्लाज दो को पढ़िये। उसमें लिखा हुआ है कि १३५६ का जो रिकार्ड है कि इस दिनांक से पहले वाले दिन तक जिसका कब्जा है वह मौरूसी काश्तकार मान लिए जायं अब यह बात माननीय राम नरेश जी समझें इसमें कब्जा शब्द लिखा हुआ है। यह इसका काबिज है या नहीं यह कैसे मानी जायगा।

जब हमने इसकी आवश्यकता माननीय माल मंत्री जी के सामने रखी और उन्होंने भी महसूस किया जैसा कि समाचार पत्रों में पढ़ा है कि एक बिल प्रस्तुत होने वाला है जो आज यहां आ भी गया है। अब मुझे इसकी आवश्यकता बतलाने की जरूरत नहीं रह गयी है कि ऐसे प्रस्ताव के आने की जरूरत है या नहीं और यह बिल इसकी पूर्ति करता है या नहीं। मैं अपने माननीय सदस्य से कहना चाहता हूं कि तर्क करने से वकीलों की भाषा में समय का दुरुपयोग करने से काम नहीं चलेगा। यह रिकार्ड है। सात दिन के अन्दर गाजीपुर, आजमगढ़, बनारस और मिर्जापुर जिलों से जिन काश्तकारों की एप्लीकेशन्स आई हैं जिनकी कापी हमने जिलाधीशों के पास भी भेजी हैं, अगर मैं उनके नाम पढ़ूं तो काफी समय लग जायगा और हमारा समय भी समाप्त हो जायगा।

अब मुझे फिर बार बार जो बिल प्रस्तुत हो गया है उस पर जाना पड़ता है। मुझे डर इस बात का है कि कहीं माननीय माल मंत्री या उपाध्यक्ष महोदय यह न कह दें कि आप बिल पर बोल रहे हैं या प्रस्ताव पर। अगर मुझे इजाजत दी जाय तो मैं पढ़कर सुना दूं। एक अधिकारी जो डिप्टी कलेक्टर होगा वह जायगा। क्या श्री राम नरेश जी समझते हैं कि एक अधिकारी उन सब बातों को समझ सकता है? अगर इस काम को पांच आदमियों को सुपुर्द कर दें तो ज्यादा डैमोक्रेटिक (जनतंत्रात्मक) होगा या आटोक्रेटिक (निरंकुश) होगा। एक तरफ तो सही बात है और दूसरी तरफ सारी पावर को सेंट्रलाइज करने (केन्द्रीयकरण) की बात है। अगर एक आदमी रख दिया जायगा कि वह यह देखे कि १३५९ में किनका कब्जा था और किनका नहीं। तो इस काम को नहीं कर पायगा। यह मैं निहायत अदब के साथ कह देना चाहता हूं।

सबसे पहले का जो ऐक्ट है यह उसका संशोधन है। १३५६ में जिनका नाम इन्दराज में था। म उससे भी आगे ले जाना चाहता हूं। माननीय नारायणदत्त जी का प्रस्ताव है जो मौजूदा ऐक्ट से भी एक कदम ज्यादा है कि चाहे उसका रिकार्ड में नाम न हो। अगर वह जोत रहा है तो उसका नाम होना चाहिये। मैं समझता था जब श्री राम नरेश जी कह रहे थे कि वह इस बात को नजरअन्दाज कर गये हैं। ऐसे शिकमी काश्तकार हैं, ऐसे बाटाईदार काश्तकार हैं जिनके तीन तीन पुश्त बीत गई हैं और जो टिलर आफ दी स्वायल हैं लेकिन उनका नाम इन्दराज में नहीं है, उनका क्या होगा।

मैं माननीय माल मंत्री जी की सेवा में अर्ज करना चाहता हूं कि यह जो हाफ हार्टिड वे (अर्धरुचि) का संशोधन आया है इससे काम नहीं चल सकता है। जैसे कि सन् १९४२ के सत्याग्रह में किया था "डू आर डाई" (करो या मरो) उसी तरह से फैसला करें कि केवल टिलर आफ दि साइल को ही जमीन जानी चाहिये या नहीं। बहुत दिनों से इसकी बहुत जरूरत है। हमारे यहां भी जिस तरह चार वर्ण बने हुये हैं उसी तरह से अपने भी चार वर्ण भूमिधर, अधिवासी, सीरदार और आसामी, बना दिये ह ऐक्ट के द्वारा तो किसी दिन सुभीता आयेगा कि यह चतुर्वर्ण व्यवस्था जमीन से खत्म हो। वह परिस्थिति शीघ्र आने वाली है।

जो हमारा प्रस्ताव है अगर माननीय रामनरेश शुक्ल और उन्हीं ऐसी बुद्धि वाले लोग उसकी अहमियत समझते हैं तो वे माल मंत्री जी से हमारी ओर से निवेदन करें कि वह इस बिल को वापस ले लें और सदन का समय अधिक न बरबाद होने दें। इस प्रस्ताव और बिल का लुब्बेलुवाब एक ही है कि जो जमीन जोतने वाला है उसी का हक उस जमीन पर जाना चाहिये। उसका नाम सरकारी कागजात में चा किसी हैसियत से रेकार्ड होता तो पटवारी के कागजात में उसका नाम रेकार्ड होना चाहिये, टिलर आफ दि साइल (काश्तकार) का नाम रेकार्ड होना चाहिये।

मैं अपने सम्मानित सदस्य को देखना चाहता था जिन्होंने हरिजनों के कल्याण के लिए एक प्रस्ताव पेश किया था, उनको ज्यादा जोर के साथ आज नान-आफिशियल डे है हमारे प्रस्ताव के समर्थन में खड़ा होना चाहिये था। अगर हमारा प्रस्ताव मान लिया जाता है तो इससे जितना हरिजनों का कल्याण हो सकता है आगे शायद दूसरा मेजर न कर सकेगा। एक बात तो सफाई के साथ माननी चाहिये। सरकारी बेंच के लोग जो इसके विरुद्ध बोले हैं उनकी हिम्मत नहीं पड़ती यह कहने की कि इस प्रस्ताव का इंटेंशन गलत है। उनको भी जनमत के पास जाना ह, इसलिये कानूनी शब्द जाल में, वाक्य जाल में थोड़ा सा रख कर एक दूसरे वर्ग का स्वार्थ सिद्ध किया जा रहा है। सफाई के साथ उनको यह बात कहनी चाहिये जिसको एक बार नहीं दसियों बार कमेटियों में,चाहे वह कांग्रेस की एग्रेरियन कमेटी रही हो, जमींदारी एबालीशन कमेटी रही हो या कोई दूसरी कमेटी रही हो,इस बात को मुक्त कंठ से माना गया कि जो जमीन का जोतने वाला है उसके हक में जमीन जानी चाहिये। मैं पुराने ग्रन्थों का इस समय आश्रय नहीं लेना चाहता। ग्रन्थों को भी देखिये तो उनमें बताया गया है कि जमीन का मालिक वह होता है जो जमीन का जोतने वाला होता है, उसी के हाथ में यह हक आता है इस प्रस्ताव के जरिये रामनरेश जी जो बात इस बिल के द्वारा कही गई है उसको देखने का कष्ट करें। म निहायत अदब के साथ कहना चाहता हूं कि इस प्रस्ताव से जो हक मिलता है वह बिल उसको कुंठित करने वाला बिल है। इसके जरिये इम्प्रूवमेंट करने की कोशिश तो अवश्य की गई है लेकिन यह सल्युशन नहीं है। माननीय नारायण दत्त तिवारी जी ने जो प्रस्ताव पेश किया है वही सल्यूशन (हल) है।

मैं उपाध्यक्ष महोदय, आपके द्वारा ट्रेजरी बेंच के सदस्यों और अन्य सदस्यों से कहना चाहता हूं कि आज नानआफिशियल डे (असरकारी सदस्यों का दिन) है, वह बिना किसी व्हिप के फेर में पड़े स्पष्ट मस्तिष्क से इस पर विचार करें। मेरे बहुत से कांग्रेसी भाइयों ने इस प्रस्ताव से मिलते जुलते क्वेश्चनर बना कर दिये हैं जो आगे आने वाले ह और जिनको तारांकित प्रश्न के रूप में नोटिस दिया गया है। आज नान-आफिशियल डे के दिन उनको स्पष्ट

[श्री राजनारायण]

रूप से यह कहना है कि यह प्रस्ताव बढिया है या नहीं। अगर बढ़िया है तो वे हमारे साथ आयें और अगर खराब है तो दूसरों के साथ जायं। बीच का रास्ता ठीक नहीं है। किसान समझता है कि सरकार हमें जमीन का हक देने जा रही है। लेकिन वास्तव में ऐसा किया नहीं जा रहा है। कानूनी दांव पेंच चल रहा है, यह हमारा स्पष्ट मत है। मैं आदर और श्रद्धा का भाव रखते हुये माननीय माल मंत्री, जो काफी परिश्रम करते हैं, उनसे कहना चाहता हूं कि वह सामाजिक आवश्यक श्रम नहीं कर रहे हैं। जैसे एक वकील करता है वह उसी तरह से उस कानून में इम्प्रूवमेंट करना चाहते हैं, उसे तोड़े कर वह आगे नहीं जाना चाहते।

मैं माननीय माल मंत्री से कहूंगा कि एक आध इम्प्रूवमेंट करने से काम चलने वाला नहीं है, यह तो प्रतिक्रियावादी रास्ता अपनाना है। जो बढिया रहा है, सुन्दर रहा है उसमें सब की भावना प्रतिबिम्बित होती है। अगर सब की भावना प्रतिबिम्बित होती है, माननीय नारायण दत्त जी के प्रस्ताव के जरिये से, तो फिर क्यों नहीं उसको प्रसन्नता के साथ स्वीकार किया जाता। मैं रामनरेश जी का ध्यान इस ओर आकृष्ट करना चाहता हूं कि माननीय मुकुट बिहारीलाल, श्री गेंदा सिंह और राजनारायण के हस्ताक्षरों सहित एक जो असहमति पत्र माननीय माल मंत्री की टेबिल पर रखा है उसमें इस बात को अच्छी तरह से कह दिया है कि एक अफसर के हाथ में अधिकार दिया जा रहा है। यहां के अफसरों की क्या गतिविधि रही है यह रामनरेश जी ज्यादा जानते हैं। तमाम जगह पर हाहाकार मचा हुआ है। लेकिन अफसर नहीं लिखते हैं कि हाहाकार मचा हुआ है। चाहे इसमें गवर्नमेंट का इशारा हो या और कोई बात हो लेकिन वह रिपोर्ट नहीं कर सकते हैं। इसलिये ऐसे किसी खास व्यक्ति को चाहे वह कलेक्टर हो या असिस्टेंट कलेक्टर हो उनके हाथ में आज हम काश्तकारों के भाग्य का निर्णय देने के लिये यहां पर नहीं आये हैं। हम चाहते हैं कि उसमें असेम्बली के प्रतिष्ठित सदस्य हों और बार एसोसियेशन के आदमी हों और उनके हाथ में यह काम दिया जाय। वह जाकर गांव गांव में घूमें और देखें कि क्या वास्तविकता है। तब कहीं जाकर यह काम बन सकता है।

बहुत से सदस्यों के दिमाग में यह डर है कि अगर यह किसानों को मालूम हो जायगा कि अब उनके भाग्य का निपटारा होने जा रहा है तो वह झुंड के झुंड चल पड़ेंगे। काश्मीर में शेख अब्दुल्ला ने क्या किया यह आप जानते हैं लेकिन आप यहां पर घबराते हैं कि किसानों की टोली की टोली मचल पड़ेगी मेरी समझ में नहीं आता कि आप इस तरह के कानून को बनाने से क्यों घबराते हैं, क्यों हिचकिचाते हैं। छोटे-छोटे किसान कांग्रेस में भी हैं और सोशलिस्ट पार्टी में भी हैं, जो ७, ७ और ८, ८ बीघा जमीन रखते हैं। अगर आप यह प्रस्ताव मान लेंगे तो फिर दूसरे काश्तकारों को जो जमीन उठी हुई है वह निकल जायगी इस बात से घबराते हैं। लेकिन मैं आपको यकीन दिलाता हूं ऐक्ट के अन्दर इस तरह की धारायें और उपयोगी समझी जायेगी तो माननीय माल मंत्री उससे भी आगे बढ़ जायंगे। इसलिये उनको किसी का डर होने की जरूरत नहीं है। उनको नारायण दत्त जी के प्रस्ताव के समर्थन में आना चाहिये और हिम्मत के साथ आना चाहिये। मैं उपाध्यक्ष महोदय, आपके जरिये से निहायत अदब के साथ माल मंत्री चरण सिंह जी से अर्ज करना चाहता हूं और साथ ही ट्रैजरी बैंचेज के सदस्यों से भी अपील करता हूं कि आप शब्द डम्बर में न आवें और वस्तुस्थिति का निरीक्षण करें और माननीय नारायण दत्त जी ने जो प्रस्ताव पेश किया है, उसका समर्थन करें।

श्री देवकीनन्दन विभव (जिला आगरा)—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं एक विधान का प्रश्न उपस्थित करना चाहता हूं। विरोधी दल के नेता ने अपने भाषण के दौरान में कुछ कागजात माननीय माल मंत्री को लक्ष्य करके सदन में फेंके हैं तो क्या वह वैधानिक हैं ?

उपाध्यक्ष—मैं समझता हूं कि यह बात उचित तो नहीं है, लेकिन उनका अभिप्राय किसी प्रकार से भी अपमानित करने का नहीं था, इसलिये मैंने उस विषय में कुछ नहीं कहा।

श्री चरण सिंह—वह हथियार यहां तक नहीं आया दूर ही रहा।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं बहुत दिलचस्पी के साथ विरोधी पक्ष के दोस्तों की तकरीरें सुनता रहा और जहां तक उधर की तकरीरों में बातें होती हैं और नारे होते हैं वह मेरे लिये कोई नये नहीं रह गये हैं । जैसे 'प्रतिक्रियावादी' और 'पूंजीवादी' वगैरह वगैरह । मैं इस तलाश में था कि आज कोई नया नारा उठेगा लेकिन कोई उठा नहीं ।

अब जहां तक किसानों के साथ हमदर्दी रखने और दिखलाने का संबंध है तो उसमें तो मैं समझता हूं कि कांग्रेस पार्टी या उसके सदस्य सोशलिस्ट पार्टी से ही नहीं, बल्कि दुनिया की किसी भी पार्टी के सदस्यों से पीछे नहीं हैं । मैं इतिहास में तफ़सील से नहीं जाना चाहता लेकिन संक्षेप में कुछ थोड़ा सा जरूर कहना चाहता हूं ।

सन् १९३९ में जब कांग्रेस का पहला मंत्रिमंडल कायम हुआ था उस वक्त जो लोग हीनहयाती काश्तकार कहलाते थे उनके वारिसों को ५ साल से ज्यादा क़ब्ज़े का अधिकार नहीं था, उस वक्त कांग्रेस के मंत्रिमंडल ने उन को भी मौरूसी काश्तकार क़रार दे दिया और यू० पी० टेनेंसी ऐक्ट, सन् १९४० जो उस वक्त बहुत बड़ा कानून बना उस में हर तरह से किसानों के अधिकार सुरक्षित किये गये, कच्ची कुरकी को तोड़ा गया और इसी तरह की बहुत सी सहूलियतें उनको दी गई ।

सन् १९४६ में जब हमारा दूसरा मंत्रिमंडल बना तो दफ़ा १७१ की गलत ताबीर की वजह से, गलत अर्थ लगाने की वजह से या गलत नजीर होने की वजह से बहुत से किसान बेदखल हो गये थे । उन सब को उन की जमीन वापिस दिलायी गई । उस के थोड़े ही दिन के बाद सन् १९४७-४८ में बस्ती, गोरखपुर और गोंडा में स्पेशल रिकार्ड आपरेशन कराये गये और उनके जरिये से जो किसान जबरदस्ती बेदखल किये गये थे या जिन की बेदखली की आशंका थी उन सब के नाम रिकार्ड कराये गये । उसके बाद ग़ाज़ीपुर वग़ैरह के कुछ इलाके में भी रिकार्ड आपरेशन कराये गये और शिकमियों की बेदखली ५ साल के बाद भी रोक दी गई और उसके बाद जमींदारी अबालीशन ऐक्ट जो अभी पास हुआ है उस में गवर्नमेंट जुट गई और इस काम में वह ६ साल तक लगी रही और जैसा हमारा वह कानून है वह आज दुनिया के सामने है । उस के सिलसिले में मुझे कुछ कहना नहीं है । लेकिन किसानों की हमदर्दी की बात उस में किस हद तक है इस सिलसिले में मैं कुछ अर्ज करूंगा सीर खुदकाश्त गैरदखीलकार के काश्तकार अर्थात् शिकमी काश्तकार और ठेकेदार और बिला तसफिया लगान के काश्तकार यानी जो काश्तकार की श्रेणी में भी नहीं आते थे, बल्कि जो गासिब थे या जबरदस्ती क़ब्जा किये थे और सन् ५६ में जिन के नाम दर्ज थे उन सब को इस कानून में अधिकार दिये गये ।

मैं कई बार कह चुका हूं और यह एक ऐसी बात है कि जिसको दोहराने में कोई हर्ज नहीं है कि जब कभी भी क़ानून दुनिया में बनते हैं क़ानून की दृष्टि में जिस का जबरदस्ती क़ब्ज़ा होता है उस को अधिकार नहीं दिये जाते । कभी आज तक ऐसा नहीं हुआ, लेकिन जमींदारी अबालीशन ऐक्ट के अधीन हम ने उन को इस तरह से अधिकार दिये और हमारा यह दावा है कि यहां के जितने कांग्रेसी साथी हैं या जो दूसरे भाई बैठे हुये हैं वह अपने ही देश के दूसरे सूबों में जायं और इस कानून के बारे में जिक्र करें और जन सेवकों को और वहां के लोगों को बतलावें कि यहां ऐसा कानून बना है तो मुझे यकीन है और मेरे पास रिपोर्ट आई है कि उन लोगों की समझ में नहीं आता है कि ऐसा यहां किस प्रकार किया गया है । जो इस ऐक्ट की परिभाषाएं हैं, जो डेफ़ीनेशन्स हैं जो उस की टरमिनालोजी (शब्दावली) है और जो बातें उस में निहित हैं और जो उसूल उस में हैं वह इतनी दूर तक जाने वाले हैं कि कम से कम हमारे देश के दूसरे भागों के जन-सेवक उस हद तक अपने दिमाग को नहीं ले जा पाये हैं । तो इतना किसानों के लिये यहां किया गया है । अब यदि मैं इस प्रस्ताव का विरोध करता हूं तो इस कारण से नहीं कि यह सोशलिस्ट भाइयों की तरफ से आया है, बल्कि इसलिये करता हूं कि यह काफ़ी दूर तक नहीं जाता है । जैसा मैंने कहा, मैंने माननीय सदस्यों का व्याख्यान काफ़ी गौर से सुना और माननीय राजनारायण जी का भी सुना । वह बड़े जोश में थे और बड़ा भावपूर्ण उनका व्याख्यान

[श्री चरण सिंह]

हो रहा था वह यह सिद्ध करने की कोशिश कर रहे थे कि सरकार की ओर से जो विधेयक पेश किया गया है वह प्रतिगामी है और काफ़ी आगे तक नहीं जाता।

माननीय गेंदा सिंह जी ने भी यह कहा कि १३५९ में जिनका नाम दर्ज नहीं उनका क्या होगा। मेरे भाई, इसे पढ़िये। जिनका नाम दर्ज नहीं, उन्हीं के लिये यह है। तो फिर यह सवाल क्यों किया गया है कि जिनका कब्जा है और इन्दराज नहीं है उनका क्या होगा? विधेयक यह कहता है कि प्रत्येक व्यक्ति जो १९५० ई० के उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था अधिनियम की धारा २० के अधीन किसी भूमि का अधिवासी न हुआ हो किन्तु १३५९ फ़सली में उसका उक्त भूमि पर खेती करने के रूप में क़ब्जा रहा हो, उक्त भूमि का निश्चित दिनांक से अधिवासी होगा और एततद्वारा अधिवासी प्रख्यापित किया जाता है और उसको उक्त अधिनियम के अधीन अधिवासी को प्राप्त सभी अधिकार प्राप्त हो जावेंगे एवं अधिवासी पर लगाये गये सभी दायित्व उस पर होंगे। कहां इसमें यह है कि १३५९ में जिसका इन्दराज होगा उन्हीं पर यह लागू होगा? नहीं, जिनका १३५९ में क़ब्ज़ा होगा उन पर लागू होगा।

अब दो बातें मैं माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपकी आज्ञा से सदन के माननीय सदस्यों के सामने रखना चाहता हूं। पहली तो यह कि दो दिशाओं में यह प्रस्ताव सरकार के विधेयक से पीछे है। प्रस्ताव में लिखा है कि चूंकि १०, १५ वर्ष से भी अधिक समय से खेत जोतने वाले शिकमी, बटाईदार किसानों का नाम पटवारी के काग़ज़ में दर्ज न होने से शिकमी व बटाईदार काश्तकार बेदखल हो रहे हैं। जमींदारी उन्मूलन के बाद उनके बेदखल होने का और भी ज्यादा डर है। तो आप तो साफ कहते हैं १०-१५ साल से जिनका क़ब्ज़ा है उनके लिये यह हाई पावर कमेटी बने और उनका नाम दर्ज हो, जबकि विधेयक यह कहता है कि १३५९ में जिनका क़ब्ज़ा है उनका भी नाम दर्ज होगा और उनको भी हक़ मिल जायगा। आप यह कहते हैं कि आप बहुत आगे तक जाने वाले हैं और यह पार्टी वाले जो सामने बैठे हैं ये पीछे रहते हैं क्योंकि यह प्रतिगामी लोगों की है। जो विधेयक गवर्नमेंट की तरफ से पेश है उसमें यह है कि १३५९ में जिनका क़ब्ज़ा रहा है, जबकि आपकी तरफ़ से यह है कि १०-१५ साल से जो बटाई और शिकमी के काश्तकार हैं उनके बेदखल होने की आशंका है।

आपके प्रस्ताव में शब्द हैं "बटाईदार" और "शिकमी" और व्याख्यान आप देते हैं कि जो भी टिलर आफ़ दी सायल (भूमि का जोतने वाला) हो, लेकिन विधेयक में कहीं भी बटाईदार और शिकमी का ज़िक्र नहीं है। तो बटाईदार और शिकमी के अलावा और भी कई क़िस्म के काश्तकार हो सकते हैं और उनको भी हमारा विधेयक रक्षा करता है।

इन दो चीजों में आपका प्रस्ताव हमारे विधेयक से पीछे है। प्रतिगामी या किस मनोवृत्ति का परिचायक है, मैं कहना नहीं चाहता। तो यह बात कहना और बात-बात में यह फर्ज कर लेना बिना किसी बात का अच्छी तरह से अध्ययन किये हुये कि ये सब प्रतिगामी बैठे हुये हैं और अकेले वे ही क्रांति करने वाले हैं। मैं समझता हूं कि यह सही बात नहीं है। फिर यह कहा गया कि पावर अगर किसी एक अफसर के हाथ में दें तो सेन्ट्रलाइजेशन (केन्द्रीयकरण) हो जाता है। और ५ आदमियों की हाई पावर कमेटी कोई काम करे तो वह डेमोक्रेसी हो जायगी डिक्टेटरशिप उन्होंने नहीं कहा बल्कि यह कहा कि एक आदमी को अधिकार दे देने से सेन्ट्रलाइजेशन हो जायगा। मैं समझता हूं कि सेन्ट्रलाइजेशन व डेमोक्रेसी वगैरह की बात बिल्कुल अनुपयुक्त है, ५ आदमियों को अगर हम अधिकार दे देते हैं। तो जैसा कि उसूल है, एक्जीक्यूटिव का काम जहां तक कम आदमियों के हाथ में हो वहां तो ठीक रहता है और लेजिस्लेशन का काम जितने अधिक आदमियों के हाथ में हो वह ठीक है। छोटे छोटे देश जैसे स्वीटजरलैन्ड में डेमोक्रेसी का उसूल यह है कि वहां लोग डाइरेक्ट विधान मंडल के मेम्बर हो सकते हैं। अपनी राय दे सकते हैं लेकिन बड़े-बड़े देशों में

इनडाइरेक्ट डेमोक्रेसी है। फिर भी ४३० आदमियों की बड़ी काफी तादाद है। वे कानून बनाने का काम अच्छी तरह से कर सकते हैं। लेकिन किसी भी जिले के लिये अगर पुलिस का इन्तजाम करना हो तो वह इन्तजाम एक आदमी के ही हाथ में होगा और होना चाहिये।

माननीय उपाध्यक्ष, मैं दावा तो नहीं करता कि मैंने बहुत ज्यादा क्रांतिकारी साहित्य का अध्ययन किया है लेकिन जो कुछ किया है उससे मालूम हुआ कि सन् '१७ में जो रूसी क्रांति हुई उसके बाद यह तय हुआ कि फौजी आफिसर्स भी डेमोक्रेटिक तरीके से एलेक्ट हुआ करें। कमेटी उनको चुन कर भेजा करती थी लेकिन थोड़े दिनों के तजुर्बे के बाद उस काम को छोड़ना पड़ा। इसी तरह से फैक्टरीज कमेटियां भी बनायी गयीं, लेकिन बाद में उनको भी छोड़ना पड़ा। तो हर जगह पर ५ आदमियों की कमेटी से या चुनाव से ही काम पूरा नहीं होता है। अगर डेमोक्रेसी के उसूल पर मेजारिटी को अधिकार देने की बात कही गयी होती तो बात समझ में आ भी सकती थी लेकिन ५ आदमियों की हाई पावर कमेटी को जो अधिकार देने की बात कही गयी है वह बात समझ में नहीं आती।

इसके अलावा एक बात और विचारने की है कि यह जो प्रस्ताव रखा गया है वह हमारे कांस्टीट्यूशन के बिलकुल अनुकूल नहीं बैठता है। अपने प्रस्ताव में आपने कहा है कि उस हाई पावर कमेटी को अंतिम निर्णय करने का अधिकार होगा। जब आप अंतिम निर्णय करने का अधिकार उसे दे देते हैं तब तो फिर वह बिना जुडिशिअल पावर के यह हो ही नहीं सकता है। फिर हाई कोर्ट तथा जुडिशिअल ट्रिब्यूनल उसके फैसले में दखल दे सकता है। हाई कोर्ट में अपील हो सकती है, डिस्ट्रिक्ट जज के यहां अपील हो सकती है। क्योंकि एक्जीक्यूटिव बाडी वह हो गयी और हाई पावर कमेटी को आप अधिकार दे देते हैं तो फिर उसमें जो जायेंगे उनकी नेकनामी भी होगी और बदनामी भी होगी। जैसा कि मेरे दोस्त जानते हैं कि हम लोगों ने कुछ दिन पहले कंट्रोल कमेटियों में असेम्बली के मेम्बरों को रखा था, लेकिन साल भर बाद ही उस चीज को छोड़ देना पड़ा, क्योंकि उससे साबित हो गया कि उसमें रहने से एम० एल० एज० की बदनामी होती है। अगर किसी कमेटी में फरीक बन कर कोई लड़ेंगे और उसमें इलेक्टेड (निर्वाचित) मेम्बर पड़ेंगे तो यह उनके हित में नहीं होगा। यह बात अलग रही कि आपने उनको अंतिम निर्णय का हक देने के लिये कहा है, इस तरह से तो वे जुडिशियल बाडी हो गये और फिर जो कानूनी तरीके हैं वे उनके अधीन हैं। फिर उसकी अपील हुई तो कोई बात नहीं हुई। फिर तो एक कलेक्टर ने फैसला किया, या मुंसिफ ने फैसला किया वैसे ही आप के पांच आदमियों ने फैसला किया। इसलिये उसको अंतिम निर्णय का अधिकार दिया जा नहीं सकता। इस बिल में जो कि सदन के सामने पेश है केवल असिस्टेंट कलेक्टर, सेकेंड क्लास तक यानी तहसीलदार तक, लेकिन ज्यादा रखेंगे कि डिप्टी कलेक्टर हो जांय लेकिन अगर कहीं ज्यादा कमी हुई और वह न जा पाया तो तजुर्बेकार तहसीलदार को भी इस तरह से कहते हैं कि वह जाय मौके पर और जांच करके देखेगा। गरीब और कमजोर आदमी कामयाब क्यों नहीं होता? इस लिये नहीं होता कि वह अदालत में इतना सबूत नहीं पहुंचा सकता है ताकि वह अपने विपक्ष जो कि रुपये आदि की दृष्टि से मजबूत होता है, के सबूत का मुकाबला कर सकता हो, हमने इसमें यह रखा है कि अधिकारी जायगा मौके पर तहकीकात करेगा, तहकीकात का मतलब यह है कि बैल वगैरह देखेगा, कि जमींदार के पास कितने बैल हैं, और किसान के पास कितने बैल हैं जमीन अगर उसके पास बिल्कुल नहीं है, तो बैलों का क्या करता है। गांव के बच्चों से पूछ सकता है। उस पर कोई रूल आफ़ एविडेंस (साक्ष्य के नियम) की पाबन्दी नहीं होगी। मौके पर तहकीकात करके जैसा कि उसकी अक्ल में आये, जैसा उसका ईमान कहे, वैसा वह इंदराज़ कर दे, यह काम उसका एग्जिक्यूटिव हुआ, क्यों कि हम यह कहते हैं कि उस इन्दराज में करेक्टनेस (शुद्धि) का प्रिजम्शन (अनुमान) होता है। सही है यह इन्दराज इसका कयास किया जायगा। तो उसके इस काम की अपील नहीं हो सकती। शायद कोई यह कहे कि ३८–३९ में जैसे कि बस्ती, गोरखपुर और गोंडा में इन्दराज करवाये गये थे उसके बाद भी मुकदमे दीवानी में दायर हुये थे। लेकिन इसमें और उसमें फर्क है। ३८-३९ में जो इन्दराज करवाये गये थे उनकी बाबत कोई कानूनी कयास नहीं था कि वे

[श्री चरण सिंह]

इन्दराज सही हैं। आज हम कानून के जरिये इन्दराज सही होने का कयास इस तरह के इन्दराजों में कर रहे हैं जिसको डिप्टी कलेक्टर या तहसीलदार मौके पर जा कर, अपनी तहकीकात करके देखेगा कि किस आदमी का कब्जा है। इस से ज्यादा जाना अनावश्यक है। अगर इससे आगे जाने की आवश्यकता है तो चाहे उधर से कोई दोस्त सुझाव दें, चाहे इधर से कोई दोस्त सुझाव दें, मैं हमेशा तैयार हूं।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, बस मुझे एक ही बात कहनी है अपने मित्र माननीय नारायणदत्त तिवारी जी से। मैं उनकी तारीफ करता हूं, वह मुझसे उम्र में बहुत छोटे हैं, मैं उनकी तारीफ करता हूं उनकी मेहनत के लिये कि खूब किताबों को पढ़ कर आते हैं। यह उनके अध्यवसायी होने का सबूत है। लेकिन किताबें किसकी लाते हैं? कांग्रेस ऐग्रीरियन रिफार्मस कमेटी की रिपोर्ट। खैर, जो भी किताबें वे लाते हैं उन किताबों को वह फिर पढ़ें और जमींदारी विनाश एवं भूमि-व्यवस्था अधिनियम का फिर से अच्छी तरह मुताला करें। और जो अब हम कुछ करने जा रहे हैं उसका मुकाबला करें। तो वह यह पायेंगे कि जितनी भी किताबें उनके पास हैं, अगरचे मैंने वह किताबें नहीं पढ़ीं, उन किताबों का कोई वाक्य जो कि हम कर चुके हैं या करने जा रहे हैं, उससे आगे नहीं जाता। लिहाजा इसमें ज्यादा वक्त खर्च न किया जाय।

इन शब्दों के साथ मैं प्रस्ताव का विरोध करता हूं और मैं यह समझता हूं कि जो मैंने अपनी बुद्धि के अनुसार समझाने की कोशिश की है उसमें कोई फ्लां (दोष) नहीं है, मैंने कोई कोशिश नहीं की है इस बात को फैसली करने की कि छिपी हुई बात कुछ हो और जाहिरा बात कुछ और हो।

जो बातें मैंने प्रस्तावक महोदय के सामने रखी हैं उन बातों को देखते हुये मैं समझता हूं कि वह अपना प्रस्ताव वापस ले लेंगे।

उपाध्यक्ष---मुझे खेद है कि प्रस्तावक महोदय को काफी वक्त नहीं रहा है।

श्री नारायणदत्त तिवारी---आपने माल मंत्री जी को ५ मिनट अधिक दिये तो मुझे तो सजा नहीं मिलनी चाहिये।

उपाध्यक्ष----उनको भी कम दिया है, उनके २५ मिनट थे।

श्री नरायणदत्त तिवारी---माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मेरे प्रस्ताव पर वाद-विवाद करते हुये जो सुन्दर भाषण यहां पर हुये हैं उनका मैं स्वागत करता हूं। माननीय माल मंत्री श्री चरण सिंह जी ने जिस भूमि पर अपने चरणों से पदाघात किया है उस पर पिष्ट-पेषण कर चलने का तो मैं कोई खास साहस नहीं करता, लेकिन उन्होंने ऐसी आपत्तियां उठाई हैं जिन पर हमारा सब का ध्यान देना आवश्यक है। पहले तो उन्होंने यह कहा कि कांस्टिट्यूशल के अनुसार हाई पावर कमेटी कुछ जुडीशियल ट्रिब्यूनल सी हो गयी है, एक 'कांस्टिट्यूशनल प्वाइंट' है, इसलिये यह प्रस्ताव नहीं हो सकता है। मैं समझ रहा था कि अगर कोई ऐसी बात होती तो शुरू में ही हमारे माननीय द्वारका प्रसाद मौर्य जी प्वाइंट आफ़ आर्डर (वैधानिक प्रश्न) उठा देते कि यह अनकांस्टिट्यूशनल (अवैधानिक) है। न तो माननीय मौर्य जी ने उठाया और न माननीय मंत्री जी ने उठाया। और जहां तक सवाल है हाई पावर कमेटी का, तो मैं तो यह समझता हूं और सभी लोग यह जानते हैं कि हाई पावर कमेटी एक जुडीशियल ट्रिब्यूनल नहीं हो सकती जो सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट की तरह हो। यह कांस्टीट्यूशनल व लीगल हिस्टरी में आज तक किसी ने दावा नहीं किया। यह हाई पावर कमेटी केवल जिलों के लिये है, आप ने देखा है कि इसमें यह साफ साफ कहा गया है। इस लिये माल मंत्री जी को ऐसा कोई सन्देह नहीं होना चाहिये।

साथ ही साथ उन्होंने यह भी कहा कि यह प्रतिगामी है और जो विधेयक आज पुरःस्थापित किया गया है (माननीय मंत्री जी का) वह इससे भी आगे बढ़ जाता है। मेरी नम्र राय के अनुसार आज विधेयक के ऊपर तो कोई बात उठानी ही नहीं चाहिए थी। आज तो उसका

पुरःस्थापन हुआ था और जब यहां कानूनी पंडित बैठे हुये हैं तो पहले ही एंटिसिपेट किसी चीज को कर लें जब कि उसे आज ही रखा गया है, मैं समझता हूं यह माननीय माल मंत्री जी को शोभा नहीं देता ।

श्री चरण सिंह--मैं तो केवल कहता हूं कि अब जब आ गया है तो अब तो प्रस्ताव वापस लिया जा सकता है ।

श्री नारायणदत्त तिवारी--उनको तो यह चाहिये था कि अगर उन्हें मेरा प्रस्ताव कुछ भी प्रतिक्रियावादी मालूम देता था तो उस में कुछ संशोधन कर देते और यह कह देते कि यह कमी है, इतना और बढ़ा दिया जाय तो यह प्रस्ताव सदन के स्वीकार करने के अनुरूप हो जाय । पर उन्होंने संशोधन तो कोई पेश नहीं किया, यह कह कर रह गये कि वह प्रतिगामी है और शुक्ला जी ने भी यही कहा । मुझे इस बात का दुख है । उन्होंने भी विधेयक को पढ़ा और मैं भी पढ़े देता हूं और साबित किये देता हूं कि मेरा प्रस्ताव प्रतिगामी नहीं है बल्कि जो माननीय मंत्री जी का विधेयक है वह प्रतिगामी है, पीछे को हटाता है । इसमें लिखा है धारा ३ में--

"प्रत्येक व्यक्ति जो १९५० ई० के उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि-व्यवस्था अधिनियम की धारा २० के अधीन किसी भूमि का अधिवासी न हुआ हो किन्तु १३५९ फसली में उसका उक्त भूमि पर खेती करने के रूप में कब्जा रहा हो ।"

तो केवल १३५९ में ही यह बात नियत करने की है । आप एक उदाहरण ले लीजिये । सब जमींदारों को मालूम था कि जमींदारी अबालीशन कानून पास होगा तो उन्होंने पिछले तीन चार साल में ही ऐसे सारे शिकमी और पट्टेदार काश्तकारों को बेदखल करना शुरू कर दिया तो मैं आपके द्वारा यह जानना चाहूंगा माननीय माल मंत्री जी से कि इतना बड़ा क्रान्तिकारी विधेयक है इसमें ऐसे पट्टेदार और शिकमियों के हक की रक्षा कहां है जो १३५८ में बेदखल हो चुके हैं ?

श्री चरण सिंह--जो पट्टेदार और शिकमी काश्तकार बेदखल हो रहे हैं उनके लिये इस विधेयक में दिया हुआ है ।

श्री नारायणदत्त तिवारी--मैं जब खड़ा हूं तो मुझे ही कहने का मौका है, बीच में बोलना माननीय माल मंत्री जी को शोभा नहीं देता । मैं पूछता हूं कि १३५८ में जो बेदखल हो चुके थे उनके लिये कहां पर यह बात आती है ? कहां पर यह विधेयक लागू होता है ? मुझसे माननीय माल मंत्री जी ने कहा कि किताबें आप मत पढ़िये, किताबें हम सब पढ़ चुके हैं और इनसे हम आगे बढ़ गये हैं । मैंने अभी पढ़ा था 'विद रिट्रास्पेक्टिव एफेक्ट (अनुदर्शी प्रभाव के साथ) । तो इसमें रिट्रास्पेक्टिव एफेक्ट कहां है ? ऐग्रेरियन रिफार्म्स कमेटी की रिपोर्ट में साफ़ साफ़ कहा गया है कि पिछले मामले भी आने चाहिये, लेकिन यहां 'रिट्रास्पेक्टिव एफेक्ट' कुछ भी नहीं है, केवल १३५९ फसली के लिये है ।

और आगे पढ़िये जरा । एक बात यह रही, दूसरे माननीय माल मंत्री का दावा यह था कि आप तो केवल बटाईदारों और शिकमियों की बात कर रहे हैं लेकिन हम ने और सब को शामिल कर लिया है जिनका आप ने जिक्र तक नहीं किया है । यदि माननीय माल मंत्री जी ने आगे का स्पष्टीकरण पढ़ दिया होता तो बड़ा अच्छा होता । इसमें यह है :--

"यदि कोई व्यक्ति संबद्ध भूमिधर या सीरदार के नौकर के रूप में या खेती के काम में साझीदार के रूप में उक्त भूमि पर खेती करता रहा हो ।"

इसमें दिया हुआ है साझीदार के रूप में । आप बटाईदार का क्या मतलब लगाते हैं ? इस प्रकार इस विधेयक के अन्दर ऐसी अड़चनें हैं कि इसके इन्टरप्रिटेशन में सारे बटाईदार मारे जा सकते हैं । इसको जरा आप को स्पष्ट करना चाहिये । आप यह देखें कि मेरा प्रस्ताव और यह विधेयक दोनों बिलकुल भिन्न भिन्न चीजें हैं । हमने तो शिकमी और बटाईदार जो बेदखल किये जा चुके हैं या किये जा रहे हैं या जिनके बेदखल होने की

[श्री नारायणदत्त तिवारी]

सम्भावना है उनके हित को दृष्टि में रख करके बात कही है । तो इतनी बातें हमारे माननीय माल मंत्री जी ने कहीं।

इसके बाद हमारे साथी माननीय अवधेश प्रताप सिंह ने कहा कि लैंड रेवेन्यू ऐक्ट और जमींदारी ऐक्ट आ चुके हैं, लेकिन वे यह भूल गये कि अगर लैंड रेवेन्यू ऐक्ट और जमींदारी एबालीश ऐक्ट की धाराओं से काम बनता तो जिस विधेयक की आज तारीफ की गयी है उसकी आवश्यकता ही नहीं पड़ती । लैंड रेजिस्टर में नाम दर्ज करने की जो बात है वह तो उसमें आती ही नहीं है ।

इसके साथ ही साथ मुझे उस समय बड़ा आश्चर्य हुआ जब हमारे माननीय सुल्तान आलम खां साहब ने अपना वक्तव्य दिया। उन्होंने हमको प्रतिक्रियावादी कहा, लेकिन मैं तो यह कहता हूं कि उन्होंने ऐसा कह कर इस विधेयक के रखने वालों को भी प्रतिक्रियावादी कहा। इस प्रकार मैं समझता हूं कि उन्होंने हमको और माननीय माल मंत्री जी दोनों को एक ही श्रेणी में रख दिया और साथ ही साथ उन्होंने सब से बड़ी शिकायत यह की कि मैं कुमायूं का रहने वाला हूं और पूर्वी जिलों का मैंने प्रस्ताव रख दिया । यह माननीय सदस्य की बदकिस्मती है कि बैलट में मेरा नाम आ गया । इसके अलावा मैं यह समझता हूं कि मैं केवल पहाड़ का नहीं हूं, मैं सारे प्रदेश के बारे में उतना ही अधिकार रखता हूं जितना कि माननीय सुल्तान आलम खां साहब रखते हैं। हमारे माननीय सुल्तान आलम खां साहब तो सुल्ताने आलम हैं, उनको ऐसी फ़िक्र नहीं होनी चाहिये और उनको यह भी मालूम होना चाहिये कि हमारे माननीय मुख्य मंत्री जी जिन्होंने सारे प्रान्त का नेतृत्व किया है और जो आज भी सदन के नेता हैं वे भी उनकी बदकिस्मती से उसी प्रदेश से आते हैं जहां से मैं आता हूं । उनको यह शिकायत मुझसे और माननीय मुख्य मंत्री जी से नहीं होनी चाहिये बल्कि उन्हें देखना चाहिये कि वास्तव में हमारे प्रस्ताव की मंशा क्या है । अन्त में मैं आप के द्वारा यह प्रार्थना करूंगा या अनुरोध करूंगा कि जिस प्रकार माननीय भगवानदीन वैद्य जी ने निष्पक्ष नीति से हमारे प्रस्ताव का समर्थन किया है उसी भावना को लेकर हमारे सभी माननीय सदस्य चाहे वे किसी भी पक्ष के हों, दलगत राजनीति को न देखते हुये, इस प्रान्त के जो ग़रीब शिकमी और बटाईदार हैं उनके हित को ध्यान में रखते हुये तथा माननीय शुक्ल जी जैसे माननीय सदस्य जहां अन्धकार देखते हों और जिस प्रकाश का उन्होंने जिक्र किया उस प्रकाश को हम उन तक पहुंचा सकें।

उपाध्यक्ष---प्रस्ताव जिस पर कि मत लेना है वह इस प्रकार है---

"चूंकि दस पन्द्रह वर्ष से भी अधिक समय से खेत जोतने वाले शिकमी, बटाईदार किसानों का नाम पटवारी के काग़ज में दर्ज न होने से शिकमी व बटाईदार काश्तकार बेदख़ल हो रहे हैं, जमींदारी उन्मूलन के बाद उनके बेदख़ल होने का और भी ज्यादा डर है ।

अतः यह सदन सरकार से सिफ़ारिश करता है कि प्रत्येक जिले में एक हाई पावर कमेटी बनायी जाय जो सरकारी काग़जों में ठीक तौर पर शिकमी, बटाईदार किसानों के नाम दर्ज करे और उनकी बेदख़ली से सम्बन्धी मामलों की जांच कर फैसला करे ।"

श्री रामनरेश शुक्ल---उपाध्यक्ष महोदय, कृपा करके माननीय सदस्य से पूछ तो लें कि वह अपना प्रस्ताव क्या वापस ले रहे हैं ।

उपाध्यक्ष---इसके बारे में उन्होंने पहले ही इच्छा प्रकट कर दी है ।

राजा वीरेन्द्र शाह (जिला जालौन)---मैं आप से प्रार्थना करना चाहता हूं कि इस रेजोल्यूशन में आधा घंटा बढ़ा दिया गया था इसलिये आधा घंटा असेम्बली और बैठे।

उपाध्यक्ष---वह तो समय आने पर देखा जायगा ।

अब प्रस्ताव पर मत लिये जायेंगे ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और सदन के निम्नलिखित ढंग से विभाजित होने पर अस्वीकृत हुआ—

पक्ष में—२३

अवधशरण वर्मा, श्री
उमाशंकर, श्री
कमला सिंह, श्री
गंगाधर, श्री
गजेन्द्र सिंह, श्री
गेंदा सिंह, श्री
जगन्नाथ मल्ल, श्री
जोरावर वर्मा, श्री
नारायणदत्त तिवारी, श्री
भोला सिंह यादव, श्री
मदनमोहन उपाध्याय, श्री
मुनीन्द्रपाल सिंह, श्री
यमुना सिंह, श्री
रणञ्जय सिंह, श्री
राजनारायण, श्री
राजवंशी, श्री
रामनारायण त्रिपाठी, श्री
रामसुन्दर पाण्डेय, श्री
रामसुभग वर्मा, श्री
वंशीदास धनगर, श्री
विष्णुदयाल वर्मा, श्री
शिवपूजन राय, श्री
हरिप्रसाद, श्री

विपक्ष में—१५७

अंसमान सिंह, श्री
अक्षवर सिंह, श्री
अब्दुल मुईज़ खां, श्री
अमरेशचन्द्र पांडेय, श्री
आर्थर ग्राइस, श्री
इस्तफ़ा हुसैन, श्री
उमाशंकर तिवारी, श्री
उमाशंकर मिश्र, श्री
कन्हैयालाल वाल्मीकि, श्री
करन सिंह, श्री
कालीचरण टण्डन, श्री
किन्दरलाल, श्री
कृष्णचन्द्र गुप्त, श्री
केशभान राय, श्री
खयालीराम, श्री
खुशीराम, श्री
गंगाधर शर्मा, श्री
गंगाप्रसाद सिंह, श्री
गणेशप्रसाद पाण्डेय, श्री
गिरजारमण शुक्ल, श्री
गुरुप्रसाद पाण्डेय, श्री
चन्द्रभानु शरण सिंह, श्री
चन्द्रसिंह रावत, श्री
चन्द्रहास, श्री
चरण सिंह, श्री
चिरंजीलाल जाटव, श्री
चिरंजीलाल पालीवाल, श्री
छेदालाल चौधरी, श्री
जगतनारायण, श्री
जगदीशसरन रस्तोगी, श्री
जगनप्रसाद रावत, श्री
जगपति सिंह, श्री
जवाहरलाल, श्री
तुलसीराम, श्री
तेजा सिंह, श्री
दयालदास भगत, श्री
दाताराम, श्री
दीनदयालु शर्मा, श्री
दीनदयालु शास्त्री, श्री
देवकीनन्दन विभव, श्री
देवदत्त शर्मा, श्री
देवनन्दन शुक्ल, श्री
देवेन्द्रप्रताप नारायण सिंह, श्री
द्वारकाप्रसाद मौर्य, श्री
धर्म सिंह, श्री
धर्मदत्त वैद्य, श्री
नत्थू सिंह, श्री
नरदेव शास्त्री, श्री
नवलकिशोर, श्री
नागेश्वर द्विवेदी, श्री
निरंजन सिंह, श्री
नेकराम शर्मा, श्री
नेत्रपाल सिंह, श्री
परमेश्वरी राम, श्री
परिपूर्णानन्द वर्मा, श्री
पुद्दनराम, श्री
पुलिनविहारी बनर्जी, श्री
प्रकाशवती सूद, श्री
प्रतिपाल सिंह, श्री
बलदेव सिंह, श्री

बलवीरसिंह, श्री
बलवंत सिंह श्री
बशीरअहमद हकीम, श्री
बसन्तलाल शर्मा, श्री
बाबूनन्दन, श्री
बेचनराम, श्री
बैजनाथप्रसाद सिंह, श्री
भगवतीदीन तिवारी, श्री
भगवतीप्रसाद दुबे, श्री
भगवतीप्रसाद शुक्ल, श्री (प्रतापगढ़)
भगवतीप्रसाद शुक्ल, श्री (बाराबंकी)
भगवान सहाय, श्री
भीमसेन, श्री
भुवर जी, श्री
मंगलाप्रसाद, श्री
मथुराप्रसाद, श्री
मन्नीलाल गुरुदेव, श्री
महावीर प्रसाद शुक्ल, श्री
महावीरप्रसाद श्रीवास्तव, श्री
महीलाल, श्री
मान्धाता सिंह, श्री
मिहरबान सिंह, श्री
मुरलीधर कुरील, श्री
मुहम्मद अब्दुस्समद, श्री
मोहनलाल, श्री
मोहन सिंह, श्री
रघुनाथप्रसाद, श्री
रघुवीर सिंह, श्री
रमानाथ खैरा, श्री
रमेशचन्द्र शर्मा, श्री
रमेशवर्मा, श्री
राजकुमार शर्मा, श्री
राजनारायण सिंह, श्री
राजाराम शर्मा, श्री
राधाकृष्ण अग्रवाल, श्री
राधामोहन सिंह, श्री
रामअधार तिवारी, श्री
रामअधीन सिंह यादव, श्री
रामअवध सिंह, श्री
रामकिंकर सिंह, श्री
रामकुमार शास्त्री, श्री
रामजी सहाय, श्री
रामनरेश शुक्ल, श्री
रामप्रसाद, श्री
रामबली मिश्र, श्री
रामभजन, श्री
रामराज शुक्ल, श्री
रामलखन मिश्र, श्री
रामलाल, श्री
रामवचन यादव, श्री
रामसनेही भारतीय, श्री
रामसहाय शर्मा, श्री
रामस्वरूप, श्री
रामस्वरूप गुप्त, श्री
रामस्वरूप भारतीय, श्री
रामहेत सिंह, श्री
रामेश्वर प्रसाद, श्री
लक्ष्मणदत्त भट्ट, श्री
लक्ष्मीशंकर यादव, श्री
लालबहादुर सिंह, श्री
लेखराज सिंह, श्री
वशिष्ठनारायण शर्मा, श्री
विजयशंकर प्रसाद, श्री
विद्यावती राठौर, श्रीमती
विश्वनाथ सिंह गौतम, श्री
विश्वम्भर सिंह, श्री
विष्णुशरण दुब्लिश, श्री
वीरसेन, श्री
वीरेन्द्रपति यादव, श्री
व्रजरानी मिश्र, श्रीमती
व्रजविहारी मिश्र, श्री
व्रजविहारी मेहरोत्रा, श्री
शिवकुमार मिश्र, श्री
शिवदान सिंह, श्री
शिवनारायण , श्री
शिवमंगल सिंह, श्री
शिवराजबली सिंह, श्री
शिवराज सिंह यादव, श्री
शिवराम राय, श्री
शिववचन राव, श्री
शिवस्वरूप सिंह, श्री
श्रीचन्द, श्री
श्रीनाथ राम, श्री
श्रीनिवास, श्री
श्रीपति सहाय, श्री
सत्यनारायण दत्त, श्री
सियाराम गंगवार, श्री
सीताराम डाक्टर, श्री
सीताराम शुक्ल, श्री
सुरुजूराम, श्री
सुरेन्द्रदत्त वाजपेयी, श्री

सुल्तान आलम खां, श्री
सेवाराम, श्री
हबीबुर्रहमान अंसारी, श्री
हमीद खां, श्री
हरगोविन्द सिंह, श्री
हरदयाल सिंह पिपल, श्री

जमींदारों के भूतपूर्व अनियोजित कर्मचारियों के पुनर्वासन के सम्बन्ध में संकल्प

राजा वीरेन्द्र शाह (जिला जालौन)—मुझे थोड़ा सा अर्ज़ करना है समय के मुताल्लिक कि भवन का समय बढ़ाया जाय क्योंकि डिवीजन में कुछ समय खर्च हो गया है। हमें पूरा १ घंटा मिलना चाहिये।

उपाध्यक्ष—मैं समझता हूं कि इसके निर्णय होने का समय नहीं आया है। १ घंटा इस प्रस्ताव के लिये है, इसके पश्चात् जैसी भवन की राय होगी किया जायगा।

श्री रणंजय सिंह (जिला सुल्तानपुर)—मैं प्रस्ताव करता हूं कि इस विधान सभा की राय है कि उत्तर प्रदेश में सरकार की जमींदारी उन्मूलन नीति के फलस्वरूप जमींदारों के जो कर्मचारी, जिनकी गिनती लगभग दो लाख से अधिक है और जो अपने बाल-बच्चों सहित लगभग ८ या १० लाख हैं, बेरोजगार हो गये हैं और बड़ी कठिन परिस्थिति में पड़ गये हैं उनको रोजगार पर लगाने और उनके पुनर्वासन के सम्बन्ध में सरकार निम्नलिखित या अन्य उचित व्यवस्था करे:—

(१) सरकारी मालगुजारी की वसूली से सम्बन्धी व्यवस्था के अधीन नये स्थानों पर नियुक्ति।
(२) लैंड रिफार्म्स कमिश्नर के अधीन उचित स्थानों पर नियुक्ति।
(३) प्रतिकर कमिश्नर के अधीन उचित स्थानों पर नियुक्ति।
(४) ऐसे कर्मचारी जो अशिक्षित हों या जो शारीरिक दुर्बलता के कारण नौकर नहीं रखे जा सकते उनके पुनर्वासन के लिये धन दिया जाय।
(५) प्रदेश की पंच-वर्षीय योजनाओं और नवीन निर्माण-कार्यों के संबंध में नये स्थानों पर नियुक्ति।
(६) बालकों की स्कूल की फीस से मुक्ति।
(७) अन्य और ऐसे उपायों द्वारा जो सरकार उचित समझे या जिनके सम्बन्ध में भविष्य में सुझाव दिये जायं।

श्रीमान्, यह एक ऐसा आवश्यक और निर्विवाद संकल्प है कि जिस पर कुछ विवाद की आवश्यकता नहीं जान पड़ती। मैं यह देखता हूं कि जमींदारी उन्मूलन के कारण जो कई लाख जमींदारों के कर्मचारी बेकार हो गये हैं उनकी रक्षा के लिये सरकार पर पूर्ण उत्तर-दायित्व है। यदि यह बेकारी बढ़ती है तो हमारे प्रांत का बहुत अहित होता है। इसमें संदेह नहीं कि बेकारी प्रत्येक राष्ट्र के लिये एक अभिशाप है। बेकारी जहां पर आ जाती है उसके कारण अनेक उपद्रव होते हैं और अनेक प्रकार की अशान्ति चारों-ओर फैल जाती है। उस समय फिर चारों-ओर भूमि धन-धान्य से सम्पन्न भी हो और सब प्रकार का सुख हो, लेकिन जब बेकारों की संख्या बढ़ जायगी और ऐसे समय में जो वर्तमान शिक्षा-पद्धति है उसके कारण लोगों में धार्मिक भाव का सर्वथा अभाव है, लोग कम्युनिज्म की तरफ बेकारी के कारण बढ़ते जा रहे हैं।

[श्री रणंजय सिंह]

यह जमींदारों के कर्मचारिगण साम्यवाद के सदा विरोधी रहे हैं। और कभी भी नहीं चाहते कि साम्यवाद यहां पर फैले परन्तु अपनी बेकारी के कारण बुभुक्षितम् किम् न करोति पापम् (भूखा कौन सा पाप नहीं करता) जब वह भूख से मरने लगेंगे और उनके बच्चे भी दाने-दाने के लिये मुहताज हो जायेंगे। उनको खाने के लिये रोटी और पहनने के लिये कपड़ा नहीं मिलेगा तब यह स्वाभाविक ही जान पड़ता है कि वे क्रांति की ओर, अराजकता की ओर अग्रसर हो जायं। मैं यह जानता हूं कि हमारी सरकार के पास बहुत बड़ी शक्ति है। वह उपद्रवों को शान्ति कर सकती है। परन्तु ईश्वर न करे वह समय आवे जब इस प्रकार से सरकार को शस्त्रों से रक्षा के निमित्त व्यवहार करना पड़े। इस प्रकार से यह बेकारी अनर्थ के अतिरिक्त कोई जनहित में नहीं हो सकती है। इस प्रकार जो यह लोग बेकार हो रहे हैं और बेरोजगार हो रहे हैं उनका अगर कोई उपाय किया जाय तो उससे लाभ ही लाभ है, चाहे आप इसको न्याय की दृष्टि से देखें या राजनीतिक और सामाजिक दृष्टि से देखें उनकी दयनीय दशा पर ध्यान देना चाहिये और उनके लिये प्रबंध करना चाहिये जिससे उनकी रक्षा हो सके और वह बेकार हो कर बहुत कष्ट न झेल सकें। उन लोगों की संख्या इतनी अधिक है जो बहुत ज्यादा है। छोटे और बड़े जमींदार २० लाख के करीब रहे हैं। उनके कर्मचारी इससे भी अधिक हो सकते हैं।

श्री शिवनारायण (जिला बस्ती)—मैं एक प्वाइंट आफ आर्डर (वैधानिक प्रश्न उठाना) रेज करता हूं। रूल ७९ में यह है कि—

"In order that a resolution may be admissible, it shall satisfy the following conditions, namely:

(1) it shall be clearly and precisely expressed;

(2) it shall raise substantially one definite issue;"

[किसी संकल्प के ग्राह्य होने के लिये यह आवश्यक है कि निम्नलिखित शर्तों को पूरा करे, अर्थात्—

(१) उसकी भाषा स्पष्ट और निश्चित होगी।

(२) उससे सारतः एक ही निश्चित प्रश्न उठाया जायगा।]

श्री सुरेश प्रकाश सिंह (जिला सीतापुर)—जो यह पढ़ रहे हैं इस पर विचार नहीं किया जा सकता क्योंकि यह अंग्रेजी में पढ़ रहे हैं।

श्री शिवनारायण—उस ७९ में यह है कि संकल्प की ग्राह्यता की शर्तें, किसी संकल्प के ग्राह्य होने के लिये यह आवश्यक है कि वह निम्नलिखित शर्तों को पूरा करे, अर्थात्

(१) उसकी भाषा स्पष्ट और निश्चित होगी।

(२) उससे सारतः एक ही निश्चित प्रश्न उठाया जायगा।

(३) उसमें तर्क, निष्कर्ष व्यंग्यात्मक विवरण, दोषारोपण तथा अपमान-जनक वक्तव्य नहीं हो।

(४) उसमें किसी व्यक्ति के सरकारी अथवा सार्वजनिक कार्य से सम्बद्ध कृत्यों के अतिरिक्त उसके चरित्र या आचरण का उल्लेख नहीं होगा।

(५) उसका किसी ऐसे विषय से संबंध नहीं होगा जो भारत के किसी भाग में क्षेत्राधिकार रखने वाले किसी न्यायालय के विचाराधीन हो।

मेरा यह प्वाइंट आफ आर्डर (वैधानिक प्रश्न) है कि एक ही विषय प्रस्ताव का होना चाहिये।

उपाध्यक्ष—माननीय सदस्य ने जो प्रस्ताव किया है वह जमींदारी उन्मूलन नीति के फलस्वरूप जो कष्ट हुआ है उसी पर है। इस लिये यह ठीक है।

श्री रणंजय सिंह---तो मैं कह रहा था कि ऐसे लोगों की रक्षा की जाय और उनकी बेकारी दूर की जाय। इसके साथ ही साथ अन्य पदों पर उनकी नियुक्ति की जाय। इसके सम्बन्ध में मैं आप से निवेदन करूंगा कि अगर सरकारी मालगुजारी की वसूली के लिये अथवा अन्य विभागों में यदि इनमें से अनुभवी लोग रखे जायेंगे तो वह औरों से अच्छा काम कर सकेंगे बजाय इसके कि अनुभवहीन लोगों को बुला कर किसी ऐसे पद पर नियुक्त किया जाय जिसके लिये वे उपयुक्त न हों। मैं सरकार से प्रार्थना करूंगा कि ऐसे लोगों को लिया जाय जो बहुत योग्य रहे हैं।

मैं यह नहीं कहता कि उनको ही लेने का सरकार कोई अपने पर बन्धन करे, दूसरे योग्य हों उनको भी ले, लेकिन यह लोग बहुत से अनुभवहीन लोगों से अच्छा काम करेंगे और यह लोग देहातों में रह चुके हैं और वहां की सब बातों से वाकिफ हैं। वह उन लोगों से व्यवहार करते रहे हैं और व्यवहार कुशल हैं। वह कुशलता से काम करेंगे। अगर जिस जगह वह अब तक रहे हैं वहां उनका रखना उचित न हो तो उनको दूसरे जिलों में कहीं और रख दिया जाय वहां जाकर भी वह अपने अनुभव से सुचारुरूप से काम कर सकते हैं और उन के द्वारा हमें अपने इस नये प्रबंध में सुगमता होगी। इससे जनता का, इन कर्मचारियों का और सरकार का सभी का लाभ होगा। तो सरकार को इस के मानने में कोई संकोच न होना चाहिये। मैं चाहता हूं कि नौकरियों और नियुक्तियों में गुण, कर्म, स्वभाव के अनुसार आदमी लेने चाहिये, वह रख लिये जाते हैं। उन के बच्चों का प्रबंध किया जाता है तो उन की बेकारी भी दूर होती है, उन की रक्षा भी होती है और जो संकट उत्पन्न होने वाला है वह भी बच जायगा। इन शब्दों के साथ मैं इस संकल्प को रख रहा हूं। अगर आवश्यकता हुई तो और बाद में कहूंगा।

माल मंत्री के सभा सचिव (श्री द्वारिका प्रसाद मौर्य)---उपाध्यक्ष महोदय, जो प्रस्ताव यहां माननीय रणंजय सिंह ने पेश किया है यदि वह न पेश किया होता तो अच्छा था क्योंकि यह प्रस्ताव स्वीकार होने योग्य नहीं है और स्वीकार नहीं किया जा सकता। इसके कई कारण हैं। न स्वीकार होने के बाद ऐसी भावना हो सकती है कि जमींदारों के जो नौकर हैं वह सरकारी नौकरियों में लिये ही न जायं। ऐसी भी मन्शा सरकार की नहीं है और न होनी चाहिये और इस प्रस्ताव को स्वीकार कर के यह भी बंधन नहीं बांधा जा सकत ाकि जमींदारों के नौकर सब नौकरियां में खपा लिये जायं।

इस लिये मैंने कहा कि यह प्रस्ताव उपस्थित करना ही ठीक नहीं था। इसमें संदेह नहीं कि जमींदारों के नौकर वसूली के लिये रहे होंगे लेकिन वह कार्य-सम्पादन करना उनके लिये ठीक नहीं होगा। वे खाली हो जावेंगे, इसमें संदेह नहीं है। लेकिन यह कहना कि उन्हें फिर वसूली के काम में लगा दिया जाय तो इससे जनता को परिवर्तन महसूस नहीं होगा और वह उन्हें पसन्द नहीं करेगी क्योंकि वह उनके साथ अपना घनिष्ट संबंध नहीं चाहती है। दूसरे कामों में जैसे प्रतिकर निर्धारण अधिकारी के यहां या दूसरे विभागों में उनके लिये जाने पर कोई प्रतिबन्ध नहीं है। औरों की तरह वे भी जा सकते हैं। सरकार नहीं चाहती कि बेकारी बढ़े। कोई भी स्टेट यह पसंद नहीं करेगी कि उसके निवासी किसी हालत में भी बेकार रहें। जो लोग जमींदारी उन्मूलन के पश्चात् बेकार हुये हैं उन्हें भी काम मिलना चाहिये, इसमें कोई संदेह नहीं हो सकता। उनकी कहां और किस प्रकार से खपत होगी यह सोचने की चीज है। बहुत से तो उनमें से देहातों के रहने वाले ही हैं जो तरह-तरह के उद्योगों में लगे हुये हैं। यह कोई जरूरी नहीं है कि जितने भी काम करने वाले हैं वे सभी सरकारी नौकरियों में लिये जावें। तरह-तरह के रोजगार हैं, लोग परदेश में जाकर मिलों में काम करते हैं.और सभी कहीं न कहीं किसी न किसी रूप में काम में लगे हुये हैं और जो लोग खाली हो जावेंगे उन्हें भी कहीं न कहीं काम में लगना होगा। लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि एक प्रस्ताव द्वारा सरकार पर यह बन्धन लगाया जाय कि जो भी जमींदारों के कर्मचारी रहे हैं उन सब को सरकार अपनी नौकरी में ले। यह एक नामुनासिब प्रस्ताव है।

[श्री द्वारका प्रसाद मौर्य]

इसके अलावा पुनर्वासन अनुदान की बात कही गई। पुनर्वासन अनुदान जमींदारों को जमींदारी के खात्मे से जरूर मिल रहा है। अगर उनको किसी विशेष कर्मचारी से विशेष हमदर्दी है तो अपने पुनर्वासन अनुदान में से वह उस कर्मचारी को भी दे सकता है, इस पर सरकार की ओर से कोई रुकावट नहीं है। लेकिन यह कहना कि वे काम के लायक नहीं रह गये हैं और सरकार उनको पुनर्वासन अनुदान दे यह अनुचित है। जो सरकारी कर्मचारी होते हैं और जो विभाग स्थायी नहीं होते हैं उनके लोगों को भी सरकार अलग करती है। यह कहना कि ऐसे लोगों को पुनर्वासन अनुदान या उनके बच्चों को मुफ्त शिक्षा दी जाय, ये सारी मांगे ऐसी हैं जो स्वीकार करने योग्य नहीं हैं। पहले तो उनको यह कहना चाहिये था कि जितने भी सरकारी कर्मचारी हैं उनके बच्चों को मुफ्त शिक्षा दी जाय। यदि ऐसा हक हो सकता है तो जमीदारी उन्मूलन की अपेक्षा सरकारी नौकरों के बच्चों का अधिक हक हो सकता है। यदि सरकारी कर्मचारी बेकार हो जावें तो उनके लिये भी यह कहना कि उनको पुनर्वासन अनुदान दिया जाय, उचित नहीं है। लेकिन आपने जमींदारों के जो नौकर हैं उनके लिये सारी बातें मांगी हैं और ऐसी मांगे हैं जो स्वीकार करने योग्य नहीं हैं। मैं उनको यह विश्वास दिलाना चाहता हूं कि जैसा उन्होंने कहा कि जो योग्य हों वे लिये जायं, यह ठीक है। जो योग्य हैं उनके लिये रास्ता बन्द नहीं है चाहे वे जमींदार के नौकर रहे हों, चाहे स्कूल-कालेजों से पढ़ कर निकले हों, चाहे हरिजन हों, चाहे पिछड़ी जाति के हों। सरकार हमेशा इस बात के लिये तैयार है कि जो योग्य हों उनको स्थान दिया जाय। इसमें कोई दो रायें नहीं हो सकतीं हैं।

जमींदारों के ऐसे कर्मचारी जो योग्य रहे हों उनको सरकारी नौकरी में लिये जाने पर कोई रोक नहीं है और वे लिये जा सकते हैं, लेकिन इस प्रस्ताव के द्वारा कि सब को इस तरह से सरकारी नौकरी में ले लिया जाय, तमाम विभागों के नाम गिना दिये गये, पुनर्वासन अनुदान तथा उनके बच्चों की स्कूल फीस की माफी वगैरह सारी बातें कह कर जो, इस प्रस्ताव के जरिये वे करना चाहते हैं या कराना चाहते हैं मैं समझता हूं कि उन्होंने अपने ही आदमियों के लिये हानि पहुंचायी। क्योंकि इसके गिर जाने पर और पास न होने पर यह भावना हो सकती है कि जमींदारों के नौकर सरकारी नौकरी में न लिये जायं। इसलिये मैं नहीं समझता कि इस प्रस्ताव को रख कर आपने उनको कोई लाभ पहुंचाया है। वे जो कि योग्य हैं अवश्य लिये जायेंगे। उनके लिये कोई रुकावट नहीं है और जैसा तमाम नागरिकों के साथ व्यवहार किया जाता है वैसा ही उनके साथ भी व्यवहार किया जायगा। यह प्रस्ताव जिस रूप में है और जिस ढंग से रखा गया है मैं नहीं समझता कि यह स्वीकार करने के योग्य है। मैं उम्मीद करता हूं कि सदन इसे अस्वीकार करेगा।

श्री शिवनारायण—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके द्वारा इस सदन के सम्मुख सदन के सदस्यों को बतला देना चाहता हूं कि सन् १७५७ से लेकर १९४७ तक ये जमींदार के नौकर ही हैं जिन्होंने हमारी आजादी के रास्ते में रोड़े अटकाये। फिर हम उनको यह रियायत दें कि उनको सरकारी नौकरी में रखें और वे मालगुजारी वसूल करें यह कहां तक न्याय की बात हो सकती है। यह कौन नहीं जानता कि उन्होंने हमारे ऊपर नाना प्रकार के जुल्म और सितम ढाये। उन्होंने हमारे मासूम बच्चों को डंडों से पीटा और उन पर तरह-तरह के जुल्म ढाये। आज इस सदन के अन्दर मुझे अवसर मिला है कि मैं उन बातों को कहूं। हमारे डिप्टी मिनिस्टर साहब ने बतलाया कि जो योग्य होंगे वे रखे जायेंगे, लेकिन मैं आपको बतलाना चाहता हूं कि किसी जमींदार के पास योग्य नौकर नहीं हैं, वे योग्य आदमियों को नौकर रखते ही नहीं थे। वे लठैतों को रखते थे जो रात दिन गुंडई करते रहते थे। उनके यहां कोई भला आदमी नौकरी नहीं करता था। फिर ऐसे लोगों को नौकरी देने की बात तो बिल्कुल गलत है। जो नौकर हैं उनमें कोई गरीब नहीं है, कोई हरिजन नहीं है, कोई रिफ्यूजी भी नहीं है।

जितनी जमीने थीं वे सब जमींदारों ने उनके नाम लिख दीं, उनके रिश्तेदारों के नाम लिख दीं। इसलिये मैं हाउस के समस्त सदस्यों से अनुरोध करूंगा कि इस प्रस्ताव का कतई समर्थन न किया जाय। मैं सिंह साहब से भी अदब के साथ निवेदन करता हूं कि ऐसे प्रस्ताव लाकर आपने अपने नौकरों के रास्ते में स्वयं ऊंट खड़े कर दिये क्योंकि अगर यह रेज्योल्यूशन गिर गया तो आइन्दा आपके नौकर ही आपको दोष देंगे कि आप ऐसा प्रस्ताव लाये जिससे उनको आगे नौकरी मिलनी भी बन्द हो गयी। क्योंकि इस से लोग कहेंगे कि तुम्हारे लिये तो असेम्बली में प्रस्ताव पेश हुआ था वह गिर गया इस लिये तुम्हें नौकरी नहीं मिलेगी।

मैं आपके द्वारा अदब से कहना चाहता हूं कि ये दिल के फफोले हैं जो निकल रहे हैं। उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके द्वारा फैजाबाद के राजा साहब को जो हमारे सामने बैठे हुये हैं बतला देना चाहता हूं कि आप गलती न करें।

श्री अवधेश प्रताप सिंह (जिला फैजाबाद)—आप माननीय उपाध्यक्ष के द्वारा कहें।

श्री शिवनारायण—मैंने माननीय उपाध्यक्ष के द्वारा ही आपको सम्बोधित किया है। तो मैं आपके द्वारा अपने लायक दोस्तों को बतला देना चाहता हूं कि जमींदार भाई जो यहां बैठे हुये हैं, मैं किसी सदस्य के ऊपर आक्षेप नहीं कर रहा हूं, जो कुछ भी मैंने कहा वह माननीय उपाध्यक्ष के द्वारा ही कहा। मैं हाउस के नियम को जानता हूं। मैं डिसिपलिन (अनुशासन) जानता हूं। मैं निहायत अदब के साथ, उपाध्यक्ष महोदय, आपके द्वारा यह बतला देना चाहता हूं। मैं स्वतः शिक्षक हूं। इन जमींदार साहबान के जो नौकर हैं उनके बच्चे जो हमारे यहां पढ़ते हैं उनके साथ नाना प्रकार के पक्षपात किये जाते हैं। उनकी फीस माफ कर दी जाती है नाजायज दबाव डालते रहते ह हेडमास्टरों पर। लाल साहब, अहरा के नौकर का बेटा आया पढ़ने, उसकी फीस हेड मास्टर साहब ने माफ कर दी। कितने दिन यह जुल्म चलता रहेगा? अब वह दिन नहीं जब खलील मियां फाख्ता उड़ाते थे। सन् १९३७ ई० की मिनिस्ट्री में हम ने उनको सहूलियतें देने की कोशिश की। ४६ की मिनिस्ट्री में भी हमने उनके साथ सहानुभूति दिखायी। लेकिन इस पिछले इलेक्शन में उन्होंने हमारे साथ क्या किया यह छिपी हुई बात नहीं है। अभी हमने देखा कि उधर से आकर प्रीमियर की जगह पर बैठ गये। फूले नहीं समा रहे थे। हाउस में देखता हूं, बाहर देखता हूं, बन में देखता हूं, सड़क पर देखता हूं, गलियारे पर देखता हूं हर स्थान पर देखता हूं। अभी नहीं भाई जरा सुनिये। जमींदारों के नौकर जमींदारों की ही जेब काट लेते थे। अगर दस रुपये वसूल किये तो पांच रुपये देते थे। उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके द्वारा सदन के सदस्यों को बतलाना चाहता हूं कि दो रुपये के नौकर शेरवानी, फर्स्ट क्लास का पम्प, फेल्ट कैप लगाये हुये कचहरी में घूम रहे हैं, पान का बीड़ा नहीं सूखता। यह पैसा कहां से आता था? हमीं गरीबों का खून चूस कर। तीन पैसे पर हम उनका हल चलाते थे। अभी थोड़ी देर हुई एक रेज्योल्यूशन भी आया। मुझे अवसर नहीं मिला नहीं तो मैं बताता कि मुझे क्या कहना था। लेकिन आज मैं उन भाइयों को बताना चाहता हूं कि राणा प्रताप के जमाने से हम आपके साथ रहे हैं। किसी भी ठाकुर, किसी भी पंडित के घर के पीछे देखिये, २०-३० घर चमारों के मिलेंगे। राजा साहब, बस्ती के घर के पिछवाड़े सैकड़ों घर चमारों के बसे हैं। आपकी जान-माल की रक्षा करते थे। दोस्तो, मैं उनको बताना चाहता हूं। डिप्टी स्पीकर साहब, मैं हाउस के लोगों को बताना चाहता हूं। मैं डाइरेक्ट अटैक (सीधा आक्रमण) किसी के ऊपर नहीं करना चाहता। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं हाउस को बतला देना चाहता हूं कि जमाना बदल चुका है।

हमारे लाल टोपी वाले भाई बहुत उछल-कूद करते हैं। मुझे कल अवसर नहीं मिला नहीं तो बताता। आज भुखमरी का शोरगुल मचाते हैं। लेकिन वह लोग सहयोग नहीं करते। अगर आपने सहयोग नहीं दिया तो मुल्क का कल्याण नहीं हो सकता। मुल्क का कल्याण उसी तरह हो सकता है जैसा कि राजा जी ने कहा है कि हमें कांग्रेस के नाते नहीं, सोशलिस्ट के नाते

[श्री शिवनारायण]

नहीं बल्कि देश के एक सेवक के नाते देश हितका काम करना है। उसी तरह से इस सदन के सब माननीय सदस्य जो यहां बैठे हुये हैं उनको भी देशहित का कार्य करना चाहिये। हमने १९ मई को शपथ उठायी थी कि हम सरकार चलायेंगे लेकिन हम देखते हैं कि आये दिन मखौल होती है।

राजा वीरेन्द्र शाह---यह असंगत बात है।

श्री शिवनारायण---यह बिलकुल टु दि प्वाइंट (संगत) है। लठ आज भी मारे जा रहे हैं। मैं आपके द्वारा बतलाना चाहता हूं कि आज भी गांवों में क्या हो रहा है। आये दिन रोज हमारे आदमी आते हुये मारे जाते हैं और साथ ही उनके साथ रात दिन अत्याचार जारी है। रात-दिन सोने को नहीं मिलता। मैं यहां से पिछली असेम्बली ओवर होने के बाद जब गया तो ७—८ दिन तक दौरा करता रहा और गांव-गांव से मेरे पास चमार आये। उन्होंने कहा कि तुम्हारे साथ में जो आये हैं तो हम गांव में वापस जाने नहीं पायेंगे। आज भी यह हो रहा है। यह छुपी बात नहीं है। इसके बाद भी कहा जाय कि हम उन कर्मचारियों को गवर्नमेंट सर्वेंट के बतौर रख लें, तो यह अन्याय होगा। मैं प्रस्ताव का पुरजोर विरोध करता हूं और मैं आपके द्वारा इस सदन को निहायत अदब के साथ यह बताना चाहता हूं कि मैं किसी भी बच्चे को चाहे वह जमींदार का हो, चाहे हिन्दू हो, मुसलमान हो या चमार का हो सबको एक नजर से देखता हूं। मैं इस पक्ष में हूं कि सबको शिक्षा मुफ्त दी जाय। मैं तो इस बात को मानता हूं कि "Those who will join hands we will join hands otherwise we will march on" (जो हमारे साथ हाथ मिलावेंगे हम उनके साथ हाथ मिलावेंगे अन्यथा हम आगे बढ़ेंगे।)

राजा वीरेन्द्र शाह---माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैंने अभी एक मित्र की बड़ी जोशीली स्पीच सुनी। मैं आपके जरिये से माननीय सदस्यों से यह निवेदन करना चाहता हूं कि जिस भावना से प्रेरित होकर उन्होंने अपने यह भाव प्रगट किये उससे इस प्रस्ताव का कोई संबंध नहीं है और इस मंशा से यह प्रस्ताव नहीं पेश किया गया। मैं यह समझता हूं कि हर समाज में अच्छे और बुरे आदमी होते हैं। इसके मानी यह नहीं कि हर जमींदार के नौकर को, हर जमींदार के कर्मचारी को आप वही दोष लगायें और हर एक को इसी निगाह से देखें कि हर आदमी बेईमान था, चोर था और गुन्डा था।

मैं आपके जरिये से यह बतलाना चाहता हूं कि अगर यही चीज वह मानते हैं तो दिल्ली में जो उनकी सरकार बनी है कांग्रेसी सरकार उसने उन स्टेटों के कर्मचारियों को जो अभी मर्ज हुई हैं जैसे टेहरी गढ़वाल, बनारस, वैसे के वैसे ही उन्हीं पदों पर रख लिया। तो यह आपको शोभा नहीं देता कि एक जगह आप यह कहें कि बुरे हैं और दूसरी जगह उनको गले से लगायें। यह न्याय नहीं है हमारी सरकार का और न महात्मा गांधी के मानने वालो का ही यह कर्त्तव्य है कि आप इस तरह से इस चीज को पेश करें। मैं मानता हूं कि शायद माननीय सदस्य के साथ कोई ज्यादती हुई हो और किसी ने कोई ऐसा काम किया हो जिससे वह असंतुष्ट हैं, लेकिन मैं आपके जरिये से बताना चाहता हूं कि यह सरकार भी मानती है कि इस प्रांत के कुछ राज्य ऐसे हैं जैसे बलरामपुर और कपूरथला जहां के मुलाजिम सरकारी मुलाजिमों से ज्यादा ईमानदार हैं, ज्यादा वहां की रिआया उनके कारण प्रसन्न है बनिस्बत उन मुलाजिमों के जो कोर्ट आफ वार्ड्स में काम करते हैं।

आज इतना समय नहीं है कि हम उनका विवरण यहां दे सकें। मुझे तो अपने प्रस्ताव पर आना चाहिये और बोलना चाहिये। लेकिन आपने जोशीली स्पीच में यह कह डाला कि ये १० लाख आदमी या २ लाख आदमी बेईमान हैं। यह बिलकुल गलत है श्रीमान्, दो-चार दस-बीस जमींदार और उनके कर्मचारी ऐसे हो सकते हैं। मैं उनको यह बतलाना चाहता हूं कि जहां इलेक्शन हुये जमींदारों ने उन कर्मचारियों से कहा कि वोट अंग्रेजों के मुआफिक

दो। पर उन कर्मचारियों ने आपको वोट दिलाये। आज भले ही आप न मानें, आज भले ही कहें कि वे बेईमान है, लेकिन ऐसे भी आदमी हैं जो देश की हर तरक्की में और आपत्ति में मदद करते रहे हैं और आपके साथ रहे हैं। तो माननीय मंत्री जी को उदार होना चाहिये श्रीमन्।

अभी मौर्य जी ने कहा कि मुझे सहानुभूति थी, लेकिन हमने एक रेज्योल्यूशन रख दिया इसलिये वह सहानुभूति गायब हो गयी। मै आपके जरिये से कहता हूं कि आप सहानुभूति रखते और हम लोगों को यह मालूम होता कि कर्मचारियों के विषय में सरकार का कुछ ध्यान है तो हम इस प्रस्ताव को पेश न करते। हम यह देखते हैं कि बराबर चर्चा हो रही है, आप नये मुलाजिम भर्ती कर रहे हैं। कलेक्शन के वास्ते एक नई फौज भर्ती की जा रही है। वह फौज १८ हजार आदमियों की है। जो प्रस्ताव हमारे मित्र ने पेश किया है वह इस भाव से पेश किया है कि जो लोग ईमानदार हैं, जिन की रेपुटेशन (ख्याति) ठीक है उनको ले लिया जाय। अभी एक प्रस्ताव आपके सामने आने वाला है जिस में एक कांग्रेस के सदस्य ने यह रखा है कि जिस सरकारी कर्मचारी के संबंध में भ्रष्टाचार की शंका की जाय उसको हटा दिया जाय। तो यह शंका हर जगह हो सकती है। यह शंका गवर्नमेंट के कर्मचारियों के बारे में भी हो सकती है। इसलिये यह कोई ठोक दलील नहीं है कि जमींदारों के सब नौकर बेईमान हैं, वे लेने लायक नहीं हैं। हमारे प्रस्ताव में तरीके लिखे हुये हैं कि सात तरीके से हम उनकी मदद कर सकते हैं। मैं आप के जरिये सरकार का ध्यान इस ओर दिलाना चाहता हूं कि जमींदारों ने जहां जमीनें खरीदीं वहां उनके साथ कुछ आदमी आये और उनके साथ जमींदारों का रिश्ता पुश्तहा पुश्त से चला आ रहा है। वे अच्छी और बुरी दोनों हालतों में उनके साथ रहे।

आप ने ऐक्ट में तो यहां तक रख दिया है कि सन् १९४६ के बाद अगर जमींदारों ने कोई पट्टा अपने मुलाजिमों के नाम किया हो तो वह नाजायज समझा जाय। मैं आपके जरिये सरकार से यह कहना चाहता हूं कि अब उनके लिये क्या गुंजाइश है। आप बलरामपुर की लिस्ट देखिये। आप ने यहां १८ हजार आदमियों की लिस्ट रखी है। बलरामपुर में करीब तीन हजार मुलाजिम थे और उन में से बहुत से आदमियों की वही तनख्वाह थी जो आप अपने तहसीलदारों और नायब तहसीलदारों को देते हैं या कलेक्शन आफिसरों को देंगे। कपूरथला में और दूसरी बड़ी-बड़ी रयासतों में भी यही हाल था। मेरे कहने का मतलब यह है कि जिस तरीके से आप उनकी मदद कर सकें करें। किसी के लड़कों की आप फीस माफ कर दें, किसी को कलेक्शन आफिसर मुकर्रर कर दें और किसी को अमीन मुकर्रर कर दें। हमारे कहने का मतलब यह नहीं है कि सब के लिये यह चीज लागू की जाय। मैं यह भी बतलाना चाहता हूं कि सरकार उसी से दबती है जो नुईसेंस पैदा करता है। इन दो लाख आदमियों ने प्रांत में कोई प्रदर्शन नहीं किया, कोई नुईसेंस नहीं पैदा किया, इस कारण आप इनको सहायता न दें यह ठीक नहीं है। यह हमारे सोशलिस्ट भाई बठे हुये हैं। अगर कहीं चार मजदूर निकाले जाते हैं तो यह आफत कर देते हैं। मिल मालिकों को चार मजदूरों को भी निकालने में आफत हो जाती है, ट्रिब्युनल बैठता है, लेकिन यहां दो लाख आदमियों की रोटी जा रही है और वह सिर्फ इसलिये कि २२ लाख जमींदारों को बदनाम किया गया कि वे बुरे हैं लिहाजा ये दो लाख आदमी भी बुरे कहे जा रहे हैं। मैं यह जानना चाहता हूं कि यह बेकारी सरकार बढ़ा रही है या कम कर रही है? क्या ये दो लाख आदमी प्रदर्शन करें, मांग करें और प्राविंस में जो पीसफुल ऐटमासफियर है उसको बिगाड़ें तभी आप उनकी सुनेंगे आप को चाहिये कि जो आदमी जिस योग्य हो उसको जांच करायें और जांच कराने के बाद जो आदमी जिस जगह के योग्य मालूम हो उसको वह जगह दें। मैं यह नहीं कहता कि फलां आदमी को रख लिय जाय या फलां स्टेट के आदमियों को रख लिया जाय बल्कि हमारे प्रस्ताव में यह कहा गया है कि उनका ख्याल किया जाय। जिस ने बीस २५ साल से एक राज्य की सेवा की है, वह बेकार हो गया है, उसके पास जमींन भी नहीं है, इस लिये अब वह क्या करेगा?

[राजा वीरेन्द्र शाह]

उनको वही हालत हो जायेगी जो देवरिया में किसानों की हो रही है। क्या आप चाहते हैं कि वे भी भूखों मरें? माननीय पंत जी ने कल कहा था कि हम किसी आदमी को भूखा नहीं मरने देंगे लेकिन आप इन लोगों को बरबाद करके क्या यह चाहते हैं कि यह भूखों मरें? जो आदमी इतने दिनों से काम करता चला आ रहा है, उसका सिलसिला अगर टूटता है, उसको बजाय मदद देने के क्या आप यह चाहते हैं कि वह बरबाद हो जाय? बुंदेलखंड में बावनी और दूसरी बहुत छोटी-छोटी स्टेट थीं और उनके सब कर्मचारी गवर्नमेंट की मुलाजिमत में ऐबसार्ब (विलीन) हो गये हैं। तो कोई वजह नहीं है कि जमींदारों के मुलाजिम भी अगर आप से कुछ आशा रखें तो आप उनकी सहायता न करें। अगर सरकार चाहे तो बहुत तरीकों से उनकी मदद कर सकती है जैसे मैंने बतलाया कि आप उनकी स्कूल की फीस माफ कर दीजिये और जो जिस जगह के लायक हो उसकी वहां नियुक्ति कर दीजिये। इसके अलावा जब आप कोर्ट आफ वार्ड्स के मुलाजिमों के लिये करने जा रहे हैं तो उतना ही हक यह लोग भी रखते हैं। कोर्ट आफ वार्ड्स के मुलाजिम कम बदनाम नहीं हैं। जिस तरह से हमारे जिलेदार बदनाम हैं उससे कम बदनाम वे लोग नहीं हैं, भले ही उसके कुछ ऊंचे अधिकारी न बदनाम हों। तो हमारे प्रस्ताव का मतलब यह था कि सरकार को इन आदमियों की बेरोजगारी की तरफ भी ध्यान देना चाहिये और जितना जरूरी दूसरा प्रस्ताव था उतना ही अहम यह प्रस्ताव है। आप यह ख्याल न करें कि यह जमींदारों की तरफ से आया है।

मैं जमींदार था पर अब नहीं हूं और न जमींदार टिकट पर चुन कर ही आया हूं। आखिर वे लोग भी तो जनता ही के आदमी हैं। चाहे भले हों या बुरे हों यहीं रहेंगे। तो इसका आपको ख्याल न करना चाहिये जैसा कि हमारे पार्लियामेंटरी सेक्रेटरी साहब ने जवाब दे दिया कि अब चूंकि रेज्योल्यूशन आ गया है इसलिये हम ध्यान नहीं देंगे। इसको सुनकर मुझे बड़ा दुख हुआ। उनको ऐसा नहीं कहना चाहिये। मुमकिन है हमने गलती की हो इस रेजोल्यूशन को यहां ला कर, लेकिन हमारी इस गलती का नुकसान वे लोग उठावें, यह कुछ उचित नहीं है। भाग्य का निर्णय यहां नहीं होता। उसका निर्णय तो भगवान के यहां होता है, तो मैं आपसे अर्ज करूंगा कि हमारा यह प्रस्ताव मान लिया जाय और जो-जो संशोधन हमारे मंत्री जी चाहें मैं उनको मानने के लिये तयार हूं। हमारे उद्देश्य को वह मानलें और मैं एक-एक अक्षर उनके कहने के मुताबिक बदलने को तैयार हूं।

माल मंत्री (श्री चरण सिंह)—उपाध्यक्ष महोदय, जहां तक उस भावना और जजबात का संबंध है जो कि इस प्रस्ताव के अन्दर है मैं उससे पूर्णतया सहमत हूं। जो लोग बेरोजगार हुये हैं उन लोगों को रोजगार मिलना चाहिये, यह मेरी कामना है और जितने भी हम सब लोग यहां पर बैठे हैं, मैं समझता हूं सब इससे सहमत होंगे लेकिन इसके साथ ही साथ हमारी जो कठिनाई है अगर उस कठिनाई का कोई हल वह माननीय मित्र जिन्होंने यह प्रस्ताव पेश किया है या जो इस प्रस्ताव के समर्थक हैं बतला दें तो उनकी बड़ी कृपा होगी। हमारे यहां दस हजार रुपये से ज्यादा मालगुजारी देने वाले ४२९ जमींदार हैं इन लोगों के यहां कुछ के यहां १०, कुछ के यहां १०० और कुछ के यहां ७०० और ८०० और डेढ़ हजार से दो हजार तक मुलाजिम रहे हैं। इस तरह से लाखों नहीं तो हजारों आदमी बेरोजगार हो जाते हैं। लेकिन उसके साथ ही साथ जैसा मैंने कहा कि हमको कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा है कि इन सब को हम रोजगार दे सकें। रोजगार देने की नाकाबलियत हमारी एक तो यह है और साथ ही साथ यह भी हमारी कठिनाई है, वह यह कि जितने जमींदारों के मुलाजिम थे उन सब की शिक्षा की योग्यता के बारे में यह जरूरी नहीं था कि कामन हो, समान हो। किसी जगह मैनेजर शायद मिडिल फेल हों जब कि दूसरी जगह मैनेजर एम० ए० पास भी हो सकते हैं। तो ऐजूकेशनल क्वालिफिकेशन्स जो गवर्नमेंट सर्विस में जरूरी चीज है और कुछ नियम होते हैं और एक पैमाना होता है। इस तरह के नियम और पाबंदियां जमींदारों के यहां नहीं थीं।

वह अपनी मर्जी के मालिक थे। जिसे चाहा उसे नौकर रख लिया, किसी एजूकेनशनल क्वालिफिकेशन की जरूरत नहीं थी। उनकी जरूरत पूरी होनी चाहिये थी। चाहे वह सरवराकार हो, नायब तहसीलदार हो या तहसीलदार हो कोई भी क्यों न हो। बलरामपुर एक मानी हुई रियासत है और बहुत ही वेल मेनेज्ड स्टेट (सुप्रबन्धित रियासत) थी। इसी तरह से और भी रियासतें थीं। कपूरथला एक रियासत थी, जिसका पंजाब में भी कुछ था। उसके यहां भी सर्विसेज के वही नियम थे जो हमारे यहां गवर्नमेंट सर्विसेज के हैं। इसी तरह से और भी रियासतें हो सकती हैं जो शिक्षा की योग्यता पर जोर देती रही हों। लेकिन आमतौर से जमींदार शिक्षा पर ध्यान न दे कर यह देखते थे कि उसके मुलाजिम रखने से उनकी गरज पूरी हो जायगी या नहीं। वह गरज एक ही थी कि येन केन प्रकारेण लगान वसूल हो जाय।

मेरे भूमिधर भाई बुरा न मानेंगे जो पहले जमींदार थे। उनके वर्ग के कुछ लोग ऐसे थे जो ऐसे लोगों को मुलाजिम रखते थे जो गांव में आंतक फैला सकें और जो तरकीब और तिकड़मों में प्रवीण और माहिर थे। ऐसे लोग भी मुलाजिमत में रखे गये। अब जैसा कि श्री मौर्य जी ने बहुत तफसील से कहा कि हमने पहली जुलाई को एक नया कदम उठाया। जो पिछला ढांचा था उससे मुंह मोड़ लिया। छोटे-बड़े का पैमाना और ऊंच-नीच का गज दूसरा ही हो गया।

हम यह चाहते हैं कि हमारे देश में कोई शोषक न रहे। आज कोई शोषक और शोषित का रिश्ता नहीं रहा है। जो लोग इस वातावरण में पल चुके हैं वे अगर चाहें भी ईमानदारी से तो भी वे अपने आपको ढाल नहीं सकते हैं उस जनता की सेवा करने के लिये जो अब तक पीड़ित रही है, शोषित रही है। उसकी सेवा करने के लिये उनका इंटेलेक्चुअल हैंडीकेप (वैधिक कमी) है जिसकी वजह से वह इस नये वातावरण में इस गवर्नमेंट की या इस जनता की सेवा करने के अच्छे हथियार नहीं बन सकते हैं।

ऐसे भी लोग थे जिनको तनख्वाहें तो बहुत कम मिलती थीं लेकिन जिनकी आमदनी के और बहुत से जराये थे। अगर इस दृष्टि से देखा जाय तो उनको नुक्सान बहुत कम हुआ है। जो उनकी आमदनी के जराये थे उनको बयान करने की यहां जरूरत नहीं है। इसके अतिरिक्त कुछ ऐसे मुलाजिमान भी थे जिनको जमींन वगैरह का सहारा था। जिनके पास जमींन थी वह तो ठीक है लेकिन जितना मासिक वेतन मिलता था वह नहीं रहा। लेकिन यह नहीं कहा जा सकता है कि वे बेरोजगार हो गये हैं या ऐसे हो गये हैं कि जिनके पास कोई सरो-सामान नहीं रहा है या वे अपने पैरों पर खड़े नहीं हो सकते हैं। जैसा कि मैंने आपके जरिये दोस्तों से अर्ज किया कि जब मैं उनसे कहता हूं कि मेरी उनके साथ हमदर्दी है तो जाब्ते के लिए कहता हूं। मैं चाहता हूं कि गौर से सुनें। जब मैं यह कहता हूं कि गवर्नमेंट को हमदर्दी है तो वह यकीन करें। मैं चाहता हूं और गवर्नमेंट भी चाहती है कि किसी प्रकार उनको रोजगार का रास्ता निकल आये। लेकिन जैसा कि मैंने कहा कि हमारे सामने कठिनाइयां हैं। जमींदारी खत्म होने से बहुत से गुजारेदार हैं जिनकी हजारों की तादाद है उनकी जिन्दगी में भी एक बड़ी तब्दीली हो जायगी। वैसे हम विचार कर रहे हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जैसे बेवा वग़ैरह, उनको बाकायदा वजीफा वग़ैरह मिलता हो, गवर्नमेंट उनके लिये बहुत ऐक्टिवली (सक्रिय होकर) विचार कर रही है कि आया हम उनके लिये कुछ कर सकेंगे या नहीं कर सकेंगे। लेकिन मैं कोई वायदा नहीं करता। लेकिन मैंने अर्ज किया कि कोई विधवा या नाबालिग बच्चा जिनको वजीफा मिलता हो उनकी कोई हमदर्दी की जा सकेगी इसके लिये गवर्नमेंट कोशिश करेगी। जमींदारों के मुलाजमीन, गुजारेदार और कोर्ट आफ वार्ड्स के हजारों मुलाजमीन बेरोजगार होने जा रहे हैं। कोर्ट आफ वार्ड्स के कर्मचारी पूर्णरूप से सरकारी कर्मचारी नहीं हैं लेकिन अर्द्ध सरकारी कर्मचारी जरूर माने जा रहे हैं और वे उम्मीद करेंगे कि गवर्नमेंट उनके लिये कोई न कोई रोजगार ढूंढ़ेगी। उनका मसला भी हमारे सामने है।

[श्री चरण सिंह]

लेकिन उपाध्यक्ष महोदय, हर गवर्नमेंट के साथ खासतौर से जब कि गति से चलने वाला जमाना हो ऐसी स्थितियां आती हैं कि बहुत हमदर्दी रखते हुए, बहुत इरादा रखते हुए गवर्नमेंट अपने उस इरादे को पूरा नहीं कर पाती। मसलन् १८५७ में जो लोग तख्ते पर झूल गये और में बाल बच्चों के कोल्हू में पेल दिये गये थे जिनको फांसी लगा दी गई और जो सैकड़ों गांवों के जमींदार या बड़ी सम्पत्ति के मालिक थे अभी जिस वक्त जमींदारी उन्मूलन पर विचार आया था तो एक प्रस्ताव आया कि उन लोगों के साथ न्याय होना चाहिये, क्योंकि वे गद्दार नहीं थे, वे देश के सिपाही थे, वे हुब्बुलवतनी के रास्ते पर चलने वाले थे, उन्होंने कुरबानी की, कमेटी के मेम्बरान ने तजवीज की जो उनसे हमदर्दी रखते थे, लेकिन हमने देखा कि अमलन हम कुछ नहीं कर सकते हैं। प्रस्ताव यह आया था कि हम उनकी जमींदारी वापस कर दें। जिन्होंने सन् ५७ से लेकर अब तक उनके बेटों ने, पोतों ने और सन्तति ने बराबर देश की सेवा की और उसी मार्ग को वे अपनाये रहे, लेकिन हम जमींदारी तो उनकी वापस नहीं कर सके। फिर कहा गया कि जमींदारी का मुआविजा दे दिया जाय, लेकिन वह भी हम नहीं कर सकते। इसी प्रकार से सन् २१, सन् ३० और सन् ३२ के आन्दोलनों में जिन लोगों की जमीन बेदखल हो गई, उस समय 'नो रेंट कम्पेन (किराया मत दो) आन्दोलन चला, इलाहाबाद और उसके आसपास के इलाके में बहुत से काश्तकार बेदखल हो गये, उनकी जमीनें दूसरे लोगों के पास पहुंच गईं, बहुत इच्छा होते हुए भी हम उनकी जमीनें वापस नहीं दे सके। जब मंत्रिमंडल सन् ४६ में बना और ४२ के जो सिपाही थे जिनकी जमीनें बेदखल हो गई थीं और जिनका बहुत नुकसान हुआ उसका हमने हर्जाना दिया और वह भी पूरा हर्जाना नहीं, केवल आंसू पोंछ दिये।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं फिर दोहराता हूं हजारों आदमी बेरोजगार किये गये, इस गवर्नमेंट की हमदर्दी उनके साथ है। एक बात मैं कहना भूल गया कि जमींदारी खत्म होने के बाद मालगुजारी वसूल करने के लिये जो हजारों राजकर्मचारी नियुक्त होने वाले हैं वे लोग जो एजुकेशनली क्वालिफाइड (शिक्षा के दृष्टिकोण से दक्ष) हों और उनमें कलेक्शन की योग्यता हो वे दरख्वास्त दे सकते हैं और चुने जा सकते हैं। तीस नायब तहसीलदार बराहरास्त लिये जायंगे। उसमें जितने हमारे हरिजन भाइयों का १० प्रतिशत पूरा करने की बात रखी है और गवर्नमेंट की जो पालिसी पिछड़े हुए हमारे भाई हैं उनका लिहाज रख कर और राजनीतिक पीड़ित और उनके आश्रित जो हैं उनके सम्बन्ध में जो सरकारी नीति है उसका लिहाज रख कर जो बाकी जगहें बचेंगी उन पर हम इन बेरोजगारों की नियुक्ति कर सकेंगे। इसके लिये एक कमेटी बनाने का विचार है। इसके साथ ही हमने एक योग्यता यह भी रक्खी है कि जिसको कलेक्शन का अनुभव हो उसको भी मौका दिया जायगा। यह भी एक स्पेशल क्वालिफिकेशन होगी। इस तरह से जमींदारों के जो कर्मचारी थे और कोर्ट आफ वार्ड्स के कर्मचारी हैं वे भी उनमें आ सकते हैं। लेकिन ये जो सूबे के लेबिल पर जो नायब तहसीलदार लिये जायंगे उनकी संख्या बहुत कम है, ३० ही है लेकिन ६, ६ महीने काम करने वाले नायब तहसीलदारों की भी नियुक्ति होने वाली है जिनकी संख्या ६०० है और इसी तरह से हजारों की तादाद में अमीन होंगे। ५ हजार के करीब, मुझे सही याद नहीं, क्लर्क भी होंगे। तो उन सबका रिक्रूटमेंट जिलाधीश जिलों में करेंगे। वे लोग जिले से उन आदमियों को लेंगे। उनसे यह कहा गया है कि वे उन आदमियों को ही लेवें जो जिले के रहने वाले हों, क्योंकि उनकी थोड़ी तनख्वाह होगी और दूसरे जिलों में जाने से उनका ज्यादा खर्चा होगा। ६ महीने के लिये उनको रखा जायगा तो बाहर जाकर उनके लिये यह मुश्किल हो जायगा कि अपना घर बसावें। इसलिये उनको अपने जिले से ही लेना ठीक रहेगा। इस तरह से हजारों कर्मचारी रखे जायंगे, लेकिन उनकी शिक्षा, जो जरूरी योग्यता है,

वही होनी चाहिये और उस योग्यता को वह पूरा करते हों.तो जैसा मैंने कहा कि जमींदार साहबान के कर्मचारी और कोर्ट आफ वार्ड्स के कर्मचारी उसमें दरख्वास्त दे सकते हैं। हमने कोई इस बात की मनाही नहीं की है कि वह आदमी उसमें नहीं आ सकते हैं। जैसा मैंने अर्ज किया कि बहुत से ऐसे आदमी हैं जो बहुत ईमानदारी से काम करते थे। उनकी समस्या हमारे सामने है। उनके साथ हमारी सहानुभूति है उनके लिये जितना हम करने का इरादा रखते हैं उतना नहीं कर सकते हैं। जितने लोगों को इस प्रस्ताव से हमदर्दी है वह हमको और कोई रास्ता बतलावें कि इसमें और क्या किया जा सकता है। हम उस पर पूरी तरह से विचार करेंगे। इन सब बातों को पेश करके मैं यह समझता हूं कि मेरे मित्र ने जो यह प्रस्ताव पेश किया है उसको वे वापस लेने का फैसला करेंगे।

श्री रणंजय सिंह—उपाध्यक्ष महोदय, जो अभी यहां पर भाषण हुये उनमें कुछ बातें ऐसी कही गईं कि जिनका उत्तर देना मैं आवश्यक समझता था किन्तु मैं लम्बी बातों में जाना नहीं चाहता हूं, सिर्फ दो चार बातों का जिकर करना चाहता हूं। माननीय राजस्व मंत्री ने इन लोगों के साथ सहानुभूमि प्रकट की है। मैं जानता हूं कि उनका सच्चा हृदय है और सच्चे हृदय से ही उन्होंने सहानुभूति प्रकट की है। मैं बहुत ब्यौरे में नहीं जाना चाहता हूं। इतना निवेदन करना चाहता हूं कि उन आदमियों की योग्यता के अनुसार ही काम मिलना चाहिये। सरकारी कर्मचारियों के लड़कों की फीस माफ नहीं की गई, इस सम्बन्ध में मैं इतना कहता हूं कि कोई समय ऐसा न आवे कि उनके लिए भी बेकारी बढ़ने की आशंका हो। ऐसे समय में यदि कुछ थोड़े दिनों के लिये कोई प्रबन्ध किया जाय तो बहुत अच्छा है। जिस प्रकार शरणार्थियों के साथ यहां रियायत की गई या हमारे हरिजन भाइयों के साथ कुछ रियायत की जा रही है, मैं तो उनको हरिजन नहीं कहता हूं मैं तो सब को एक समान समझता हूं कि सब ईश्वर के ही बनाये हुये हैं और सब आपस में बराबर हैं, लेकिन जो पिछड़े हुये हैं उनकी पढ़ाई के लिये कुछ रियायत की ह इसी प्रकार से यदि सम्भव हो सके तो इन लोगों के साथ रियायत की जाय तो उनको बहुत सुख होगा और वे लोग आपको आशीर्वाद देंगे। मैं यह समझता हूं जैसा कि राजस्व मंत्री जी ने कहा कि बहुत से जमींदारों और ताल्लुकेदारों के यहां ऐसे लोग थे जो बहुत पढ़े-लिखे नहीं थे और कुछ और कारण से रख लिये गये थे। सरकार के लिये यह बहुत सम्भव नहीं है, किन्तु जो भी सम्भव हो सके उनके साथ रियायत करनी चाहिये। योग्यता के अनुसार कुछ लोगों को काम मिल जाय तो उन लोगों को बहुत सन्तोष होगा और बेकारी बचाई जा सकेगी। उनके लिये कोई उपाय निकाला जाय यह एक विचारणीय बात है। जैसा राजस्व मंत्री जी ने कहा कि उन लोगों के साथ जो कुछ भी सम्भव होगा वह किया जायगा, इसका मुझे विश्वास है। व्यवहार के सम्बन्ध में मैं यह निवेदन करूंगा कि अभी पहली जुलाई को जब जमींदारी उन्मूलन दिवस मनाया गया तो उस दिन के लिये सरकार की तरफ से इस बात की हिदायत की गई थी कि कोई ऐसी बात न हो जिससे जमींदारों के हृदय में किसी प्रकार की कटुता बढ़े। यह बात जान कर मुझे बहुत प्रसन्नता हुई थी। जिस समय वहां पर सभा हुई थी तो मैं भी उसमें बोलने के लिये गया था तब अध्यक्ष महोदय ने मेरे सामने वक्ताओं को यह आदेश दिया था कि कोई बात ऐसी न कहें जिससे किसी प्रकार की कटुता बढ़े, तो इस प्रकार से यह समस्या जमींदारों के जो नौकर हैं उनकी है। मैंने सुना है कि बलरामपुर राज्य में ३,००० कर्मचारी थे। मेरे यहां से बलरामपुर की आमदनी ५ गुनी है और मेरे यहां भी ४२६ कर्मचारी हैं उनमें से कुछ को तो काम में लगा लिया जायगा और अगर नक़द मुआविजा मिलता तो यह समस्या उत्पन्न ही न होती, लेकिन कुछ कारणों से उनको यदि नकद मुआविजा नहीं दिया जा सकता है तो ऐसी हालत में वे लोग किसी काम में अवश्य लगाये जायं। मैं निवेदन करूंगा कि बहुत से ऐसे कर्मचारी हैं जिनका पेशा मुलाजिमत

[श्री रणंजय सिंह]

का रहा है और जिन्होंने खेती-बाड़ी भी कभी नहीं की है। मैं इतना कहूंगा कि उनमें से कुछ को मैं और काम में लगा सकता हूं फिर भी ४२६ में से ३०० ऐसे हैं जो अलग हो जायेंगे। इन शब्दों के साथ मैंने प्रस्ताव पेश किया और अन्त में माननीय राजस्व मंत्री के आश्वासन के बाद और उनके सहानुभूतिपूर्ण शब्दों को सुनने के बाद मेरी प्रार्थना है कि मैं अपने प्रस्ताव को वापस लेना चाहता हूं।

(सदन की अनुमति से संकल्प वापस लिया गया।)

जनता का नैतिक स्तर ऊंचा करने के सम्बन्ध में संकल्प

उपाध्यक्ष--मैं समझता हूं कि माननीय सदस्य के लिये केवल दो तरीक़े हैं। एक तो यह कि वह प्रस्ताव पेश कर दें और आज जो थोड़ा सा समय है उसमें वह समाप्त कर दिया जाय, नहीं तो आज का समय समाप्त होने पर आगे जब असरकारी दिन हो उस दिन इस प्रस्ताव पर आगे कार्यवाही की जाय। इस वक्त माननीय सदस्य अपना प्रस्ताव पेश कर दें।

श्री रतन लाल जैन (ज़िला बिजनौर)---यह ध्यान में रख कर कि उच्च प्रमुख देश बनने के लिये नैतिक स्तर का ऊंचा होना आवश्यक है इस विधान सभा की निश्चित सम्मति है कि सरकार जनता का नैतिक स्तर ऊंचा करने के लिये विशेष कार्यवाही करे, जिसमें निम्नलिखित कार्यवाहियां भी सम्मिलित होंगी--

(१) नैतिकता का जोरदार विशेष प्रचार (Drive)।

(२) शिक्षा पद्धति में क्रान्तिकारी परिवर्तन, नैतिक शिक्षा को भी शिक्षा के उद्देश्यों में माना जावे।

(३) जनता से विशेष सम्बन्धित पुलिस आदि सरकारी नौकरियों में कम वेतन वाले कर्मचारियों के वेतन में वृद्धि।

(४) दण्ड देने के नियमों में उचित परिवर्तन (Corrupt) कर्मचारियों को शोहरत पर नौकरी से पृथक आदि करने का दण्ड देना।

(५) भ्रष्टाचार को रोकने के लिये, नीचे कर्मचारी और सरकारी व्यक्तियों के विरुद्ध कार्यवाही करने के हेतु प्रत्येक ज़िले में पांच व्यक्तियों के बोर्ड की स्थापना जिसमें ज़िलाधीश व सुपरिंटेंडेंट पुलिस के अतिरिक्त तीन ग़ैर-सरकारी प्रतिष्ठित निसंदिग्ध चरित्रवान व्यक्ति हों।

(६) सच्चरित्र, ईमानदार आफीसर व कर्मचारी को उच्च पद, वेतन वृद्धि आदि देकर प्रोत्साहन देना।

जैसी उपाध्यक्ष महोदय की सम्मति हो वैसा किया जावेगा। जैसे आप की आज्ञा हो, या तो अभी इस पर बोलूं या अगले दिन के लिये छोड़ दूं।

उपाध्यक्ष---अभी दस मिनट माननीय सदस्य बोलें, अभी दस मिनट बाकी हैं।

श्री रतन लाल जैन---यह तो सब को विदित ही है कि हमारे देश का नैतिक-स्तर बहुत नीचा है। जनता के किसी भी वर्ग को देखिये वहीं हम ईमानदारी और सत्यता में कमी देखते हैं। व्यापारी वर्ग अच्छे माल में घटिया माल मिला कर बेंचता है। कंट्रोल के ज़माने में कितना ब्लैक मार्केट हुआ है उससे हम भली भांति परिचित हैं। अगर हम गांवों को देखते हैं तो गांव सभाओं के सुपुर्द नमक, तेल आदि का वितरण किया गया। वहां

भी अधिकांश ब्लैक मार्केटिंग हुई। इस तरह हम देखते हैं कि हमारी जनता के नैतिक चारित्र्य में कितनी कमी है। हमारी अदालतें न्याय और सत्य के लिये बनी हैं मगर उनमें सबको मालूम है कि कितना भ्रष्टाचार है। जनता भी जो वहां जाती है वह भी बहुत कुछ झूठ से काम लेती है और यह कहा जाता है कि अदालत का झूठ झूठ ही नहीं होता। इस तरह हमारे न्यायालयों में भी गड़बड़ी होती है।

हम देखते हैं कि हमारे डाक्टर और वैद्य जो जनता की सेवा के लिये हैं, उनमें कितना भ्रष्टाचार है। उनमें सेवा की भावना बहुत कम है, पैसे बनाने की अधिक है। अभी हमने पढ़ा था कि यहीं लखनऊ के लेडी अस्पताल में एक स्त्री के आपरेशन में कितनी लापरवाही की गई और उसके लिये अनुसंधान कमेटी बिठाई गई। हम देखते हैं कि गांधी मेमोरियल कालेज में बड़े-बड़े प्रोफेसर आपरेशन में लापरवाही करते हैं और उन्होंने अपने घरों पर आपरेशन-रूम खोल रखे हैं जहां वे हजारों और सैकड़ों रुपया फीस का लेते हैं। यह हमारे यहां की दुर्व्यवस्था है। जब हम सरकारी मुहकमों में जाते हैं तो नीचे के कर्मचारियों में भ्रष्टाचार भरा पड़ा है और ऊपर वालों में भी बहुत से खराब हैं। जिसको ऐफ़ीशैंसी कहते हैं वह बहुत कम हो गई है। आज यही कारण है कि जितनी सरकारी योजनायें और कार्य हैं, जैसे सड़क बनाने का काम यह सब जिस तरह से अच्छे तरीक़े से होना चाहिये, नहीं हो रहे हैं। जितना काम होना चाहिये था उतना नहीं हो पा रहा है, क्योंकि सेवा की भावना नहीं है, मिशनरी न होकर उनकी भावना मर्सीनरी है। वे जाब्ता पूरा करते हैं।

एक जमाना था कि हमारा देश बहुत ऊंचा था। पहले जमाने में जब मेगस्थनीज यहां आया तो उसने यहां की बाबत लिखा था कि यहां के लोग सच्चे और ईमानदार ह, यहां ताला भी लगाने की जरूरत नहीं है। इसके पश्चात् हमारी हालत आहिस्ता-आहिस्ता गिरती गई। पिछले जमाने में भी राजपूत अपनी जबान के लिये मशहूर थे और बहुत सी लड़ाइयां केवल इसलिये हार गये कि वे अपनी बात से नहीं हटे। आज हमारी हालत इतनी गिर गई है। उसके बहुत से कारण हैं जिनके लिये मुझे ज्यादा कहने की जरूरत नहीं है। इसका मुख्य कारण दासता है। मेरी राय में दासता से बढ़कर और बड़ा पाप या दोष नहीं है। जहां गुलामी होगी वहां डर होगा क्योंकि दासता में डर का होना स्वाभाविक है और जहां डर है वहां असत्य है। आदमी झूठ को डर से या लालच से बोलता है। जहां भय होगा वहां असत्यता होगी और जहां असत्यता आ गयी वहां कायरता और नैतिक पतन हुआ। इसलिये आज जो हमारी दशा दासता के कारण है उसे देख कर मुझे कोई आश्चर्य नहीं होता। दासता में तो यह बात होनी चाहिये थी।

आज हमारा देश स्वतंत्र हुआ है। इसलिये हमारा अब यह कर्तव्य है कि हम अपने देश को अवश्य उस जगह पर पहुंचावें जिसका कि वह अधिकारी है। जैसी पोजीशन, जैसा पद उसका पहले जमाने में था, संसार में जितने महापुरुष हुए हैं उनमें सबसे अधिक यहीं पर हुए हैं। संसार ने भारतवर्ष से ही शिक्षा ग्रहण की। आज हमारा यह कर्तव्य है कि हम अपने देश को उस ऊंचे पद पर पहुंचावें और उस ऊंचे पद पर पहुंचाने के लिये यह आवश्यक है कि इस देश का नैतिक-स्तर ऊंचा हो। अगर मुझसे यह पूछा जाय कि आज हमें स्वतंत्र होने के बाद क्या करना है तो मैं तो दो शब्दों में कहता हूं कि हमें उत्पादन बढ़ाना है और नैतिक-स्तर ऊंचा करना है। इन दो शब्दों के अन्दर तमाम चीजें सुधार की आ जाती हैं।

जहां तक उत्पादन का प्रश्न है सरकार उसे बढ़ाने का पूरा-पूरा प्रयत्न कर रही है। अभी थोड़े से समय में १३ लाख एकड़ बंजर जमीन तोड़ डाली गयी है, इसी तरह से कितने ही लाख एकड़ जमीन सिंचाई योग्य कर दी गयी, जगह-जगह बांध बंध रहे हैं, जगह जगह नहरें फैलाने की योजनायें हैं, सड़कें बन रही हैं यानी जितने भी

[श्री रतन लाल जैन]

हमारे यहां सरकारी ये कार्य हैं वे सब इस देश में उत्पादन बढ़ाने के लिये हैं। लेकिन इस सरकार ने कोई खास क़दम यहां का नैतिक-स्तर ऊंचा करने के लिये नहीं उठाया। नैतिक-स्तर ऊंचा नहीं होने से जितने भी कार्य यह सरकार करती है उतने काम पूरे नहीं हो पाते हैं क्योंकि जो काम करने वाले अधिकारी हैं, कर्मचारी हैं, उनका हृदय उन कार्यों में नहीं है। उनके अन्दर सेवा की भावना नहीं है, उनके अन्दर सेवा की लगन नहीं है उनके अन्दर वह मिशनरी स्प्रीट नहीं है जिसकी आवश्यकता है। इसलिये सरकार जो व्यय करती है, अगर ५० लाख व्यय होता है तो असल में ईमानदारी से आधा ही काम होता है और आधा काम बेकार जाता है। इसलिये उत्पादन बढ़ाने के लिये, एफीसेन्सी में वृद्धि करने के लिये एवं कार्य को सुचारुरूप से चलाने के लिये केवल यही नहीं बल्कि मैं तो कहता हूं स्वराज्य को स्थिर रखने के लिये नैतिक स्तर का ऊंचा होना नितान्त आवश्यक है।

उपाध्यक्ष—मैं माननीय सदस्य से अनुरोध करूंगा कि आप किसी दूसरे ग़ैर-सरकारी दिन को अपने प्रस्ताव को जारी रखें।

(इसके बाद सदन ५ बजे सोमवार, २५ अगस्त, १९५२ के ११ बजे दिन तक के लिए स्थगित हो गया।)

कैलासचन्द्र भटनागर,
सचिव, विधान सभा,
उत्तर प्रदेश।

लखनऊ,
२२ अगस्त, १९५२।

विधान सभा सचिवालय

नत्थी 'क'

(देखिए पीछे पृष्ठ ४०१ पर)

उत्तर प्रदेश भूमि-व्यवस्था (अनुपूरक) विधेयक, १९५२

कुछ प्रयोजनों के निमित्त १९५० ई० के उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि-व्यवस्था अधिनियम के उपबन्धों की अनुपूर्ति करने के लिए; — उ० प्र० अधिनियम संख्या १, १९५१।

विधेयक

कुछ प्रयोजनों के निमित्त जो यहां आगे चल कर प्रतीत होंगे, यह आवश्यक है कि १९५० ई० के उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि-व्यवस्था अधिनियम के उपबन्धों की अनुपूर्ति की जाय; — उ० प्र० अधिनियम सं० १, १९५१।

अतएव निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :

१—(१) यह अधिनियम "उत्तर प्रदेश भूमि-व्यवस्था (अनुपूरक) विधेयक, १९५२" कहलायेगा। — संक्षिप्त शीर्षनाम, प्रसार और प्रारंभ।

(२) इसका प्रसार उन क्षेत्रों में होगा जहां १९५० ई० के उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि-व्यवस्था अधिनियम का प्रसार समय विशेष पर हो। — उ० प्र० अधिनियम संख्या १, १९५१।

(३) यह तुरन्त प्रचलित होगा किन्तु १९५० ई० के उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि-व्यवस्था अधिनियम की धारा २ की उपधारा (१) के खंड (क) से खंड (च) तक में उल्लिखित क्षेत्रों में वह ऐसे दिनांक से प्रचलित होगा जो राज्य सरकार गजट में प्रकाशित विज्ञप्ति द्वारा निश्चित करे और भिन्न-भिन्न क्षेत्रों के लिए भिन्न-भिन्न दिनांक निश्चित किये जा सकते हैं। — उ० प्र० अधिनियम संख्या १, १९५१।

२—विषय या प्रसंग में कोई बात प्रतिकूल न होने पर इस अधिनियम में— — परिभाषाएं।

(क) किसी क्षेत्र के सम्बन्ध में "निश्चित दिनांक" का तात्पर्य १९५० ई० के उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि-व्यवस्था अधिनियम की धारा ४ के अधीन उक्त क्षेत्र के निहित होने के दिनांक (date of vesting) से है। — उ० प्र० अधिनियम संख्या १, १९५१।

(ख) "भूमि" (land) का तात्पर्य बाग़ भूमि (grove-land) से भिन्न ऐसी भूमि से है जिसका १९५० ई० के उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि-व्यवस्था अधिनियम की धारा १८ या १९ के अधीन कोई भी व्यक्ति भूमिधर या सीरदार बन गया हो; — उ० प्र० अधिनियम संख्या १, १९५१।

(ग) उन शब्दों और पदों, का जिनकी परिभाषा इस अधिनियम में नहीं की गई है और जो यू० पी० लैंड रेवेन्यू ऐक्ट, १९०१ अथवा यू० पी० टेनेंसी ऐक्ट, १९३९ अथवा १९५० ई० के उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि-व्यवस्था अधिनियम में प्रयुक्त हुए हों, वही अर्थ होगा जो उक्त अधिनियमों में उनका हो। — यू० पी० ऐक्ट संख्या ३, १९०१। यू० पी० ऐक्ट संख्या १७, १९३९। उ० प्र० अधिनियम संख्या १, १९५१।

१३५९ फ़स्ली से खेती करने के रूप में क़ाबिज व्यक्तियों का अधिवासी होना।

३—प्रत्येक व्यक्ति जो १९५० ई० के उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और-भूमि व्यवस्था अधिनियम की धारा २० के अधीन किसी भूमि का अधिवासी न हुआ हो किन्तु १३५९ फसली में उसका उक्त भूमि पर खेती करने के रूप में क़ब्जा रहा हो, उक्त भूमि का निश्चित दिनांक से अधिवासी होगा और एतद्द्वारा अधिवासी प्रख्यापित किया जाता है और उसको उक्त अधिनियम के अधीन अधिवासी को प्राप्त सभी अधिकार प्राप्त हो जायंगे एवं अधिवासी पर लगाये गये सभी दायित्व उस पर होंगे।

स्पष्टीकरण:—यदि कोई व्यक्ति सम्बद्ध भूमिधर या सीरदार के नौकर के रूप में या खेती के काम में साझीदार के रूप में उक्त भूमि पर खेती करता रहा हो तो उसके विषय में यह न समझा जायगा कि उसका उक्त भूमि पर खेती करने के रूप में क़ब्जा है।

अधिकार अभिलेख का संशोधन करने के लिए विशेष अधिकारी की नियुक्ति।

४—(१) इस बात को निश्चित करने के लिए कि धारा ३ में अभिदिष्ट किसी व्यक्ति का किसी भूमि पर खेती करने के रूप में १३५९ फ़सली में क़ब्जा था या नहीं, राज्य सरकार इस अधिनियम के आरम्भ हो जाने के बाद यथाशीघ्र किसी क्षेत्र में अधिकार अभिलेख (Record of Rights) में संशोधन के लिए अधिकारी नियुक्त कर सकती है जो पद में द्वितीय श्रेणी के असिस्टेंट कलेक्टर से कम का न हो।

(२) उक्त अधिकारी का यह कर्तव्य होगा कि वह ऐसी स्थानीय जांच करने के बाद जिसे वह आवश्यक समझे, अधिकार अभिलेख में ऐसे प्रत्येक व्यक्ति का नाम भूमि पर १३५९ फ़स्ली में काबिज (occupant) के रूप में दर्ज कर दे, चाहे किसी विधि में इसके विपरीत कोई बात हो।

धारा ४ के अधीन अधिकार अभिलेख के विषय में परिकल्पना।

५—धारा ४ के अनुसार अधिकार अभिलेख में किये गये इन्दराज के विषय में यह परिकल्पना की जायगी कि जब तक वह अन्यथा प्रमाणित न हो, सही है।

नियम बनाने का अधिकार।

६—धारा ४ की उपधारा (२) के अधीन जांच करने की रीति और उसमें अनुसरण की जाने वाली प्रक्रिया एवं इस अधिनियम के उपबन्धों को साधारणतः कार्यान्वित करने के लिये व्यवस्था के निमित्त, राज्य सरकार नियम बना सकती है।

उद्देश्य और कारण

सरकार को इस आशय की बहुत सी शिकायतें मिली हैं कि भूमिधर और सीरदारों के खातों की भूमि में खेती करने के रूप में क़ाबिज़ बहुत से व्यक्ति भूमि से जबरदस्ती बेदख़ल किये जा चुके हैं या किये जा रहे हैं। सरकार को यह विश्वास करने के लिये उपयुक्त कारण है कि इनमें बहुत से व्यक्तियों को खतेदारों ने अपनी भूमि पर कब्जा दिया था। उक्त व्यक्ति कृषकों की उस श्रेणी के हैं जो अत्यन्त निर्बल और दरिद्र हैं। इस विधेयक का यह उद्देश्य है कि उक्त भूमि पर उक्त व्यक्तियों के अधिकारों को सुरक्षित रखा जाय।

चरण सिंह,
माल मंत्री।

पी० एस० यू० पी० ए० पी० ७३ एल० ए०—१९५२—८५०।